सर्वशिक्षा अभियान
पर
मूल्यांकन रिपोर्ट

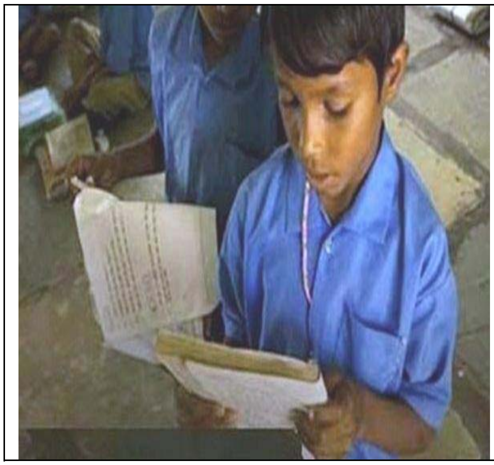

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

योजना आयोग

भारत सरकार

नई दिल्ली-110001

मई, 2010

आमुख

भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 6-14 वर्ष के आयु समूह हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बन गया है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसमें बुनियादी शिक्षा का सार्वजनिकरण (यूईई) समयबद्ध रूप से करने का विचार कियाग या है। एसएसए मुख्य रूप से शिक्षा पर पहुंच, सामाजिक और जैंडर समानता और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रण कराना है। यह कार्यक्रम सभी राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के साथ सहभागिता की जाती है, जिससे 2010 तक शिक्षा का सार्वजनिकरण हो सके, संबंधित समय में बच्चों का पंजीकरण और उनके स्कूल में बने रहने को कायम रखा जा सके। एसएसए का यह भी लक्ष्य रहता है कि स्कूलों के प्रबंधन में समुदायों की सक्रिय सहभागिता बनाई जाए, ताकि सामाजिक और जैंडर संबंधी अंतरालों को पाटा जा सके।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) योजना आयोग ने एसएसए के मूल्यांकन अध्ययन की शुरूआत की है, ताकि इसके उद्देश्यों और संबंधित प्रगति की समीक्षा की जा सके। इस अध्ययन में यह जानने का भी प्रयास किया गया कि एसएसए के अंतर्गत अपनाई गई रणनीतियां कहां तक प्रभावी रही, स्कीम के कार्यानवयन में क्या बाधाएं रहीं और भविष्य के लिए कार्यक्रम और नीति तैयार करने के लिए भावी सुझावों के लिए प्रयास किया गयाहै।

इस अध्ययन के तहत 11 राज्यों में शहरी और ग्रामीण प्रतिदर्शों को कवर किया गया। 13 कस्बों को भी एसएसए हस्तक्षेपों के आकलन के लिए गंदी बस्तियों में शहरी स्कूलों को कवर किया गया।

शिक्षा की पहुंच की दृष्टि से इस अध्ययन से कुछ उपलब्धियां भी हुई हैं। ग्रामीण बस्तियों के 98% से भी अधिक प्रतिदर्शों के आधार पर 3 किलोमीटर में बुनियादी स्कूलों पर पहुंच का सार्वजनिकरण हो गया है, जबकि 93% गन्दी बस्तियों के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के पड़ोस में स्कूल की सुविधा सुलभ है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण प्रतिदर्शों में वंचित रही बस्तियों की संख्या सभी राज्यों में कमी आई है। जिलों से लिए गए प्रतिदर्शों में 2003 में पंजीकरण 89% थे, जो 2007 में 93% हो गए। गन्दी बस्तियों के स्कूलों के प्रतिदर्शों के आधार

पर इस अवधि में पंजीकरण में 18% की वृद्धि हुई है। अध्ययन में यह स्वीकारात्मक तस्वीर भी उभर का आई है, जो सामाजिक और जैंडर समानता के बारे में है। यह सामाजिक और जैंडर समानता के बारे में है। यह भी देखा गया है कि जैंडर असमानता के बावजूद भी लड़कियों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदर्शों में जैंडर समानता अनुपात में 0.89 और शहरी गन्दी बस्तियों के स्कूलों में 0.82 का अनुपात देखा गया है। असम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अध्ययन के अंतर्गत लिए गए स्कूलों में जैंडर समानता संबंधी पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया है। अन्यथा रूप से योग्य बनाए बच्चों के पंजीकरण में भी प्रभावी वृद्धि देखी गई है और उनकी हिस्सेदारी में कुल पंजीकरण में 0.43% की और ग्रामीण क्षेत्रों क्षेत्रों के प्रतिदर्श में 1.17% की वृद्धि हुई है।

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही एसएसए का मुख्य उद्देश्य है। यह देखा गया है कि छात्र अध्यापक अनुपात (पीटीआर), अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता और एसएसए के प्रति माता – पिता की जागरूकता में वृद्धि हुई है।

अध्ययन के अनुसार कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे – ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपर प्राथमिक स्कूलों का अभाव, ''स्कूल से बाहर रहे बच्चों'' और स्कूल छोड़ने वाले को मुख्य धारा में लाना। सीजनल माइग्रेशन, कमजोर मॉनीटरण और पर्यवेक्षण लिकेजीज, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता।

माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग और सदस्य सवचिव, योजना आयोग से इस अध्ययन को काफी सतत् सहयोग और प्रोत्साहन मिला है। प्रो0 अभिजीत सेन, माननीय सदस्य, योजना आयोग इस अध्ययन में प्रेरणा और मार्गदर्शन के अविरल स्रोत रहे हैं।

अध्ययन की डिजाइन श्री के0एन0 पाठक, पूर्व उप सलाहकार और श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (बीईओ मुख्यालय) द्वारा तैयार की गई है। फील्ड संबंधी जांच पूरे भारत में फैले 7 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालयों (आरईडी) और 8 परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों (पीईओ) के अधिकारियों द्वारा की गई है

डेटा एंट्री का कार्य पीईओ मुख्यालय द्वारा सभी आरईओ (ज) और पीईओ (ज) की सहायता से किया गया है।

अध्ययन का वर्तमान स्वरूप श्रीमती उषा सुरेश निदेशक आरईओ, मुम्बई द्वारा श्रीमती रत्ना अंजन जेना, सलाहकार (पीईओ) के समग्र दिशा-निर्देशों और श्रीमती एस0 भवानी, पूर्व वरिष्ठ सलाहकार (पीईओ) और सभी आरईओ (ज) से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। अध्ययन में शामिल अधिकारियों की सूची अध्ययन के अंत में दर्शाई गई है। सभी अधिकारियों से प्राप्त सहायता और सहयोग की सराहना की जाती है।

नई दिल्ली
दिनांक 8 जून, 2010

(आर0सी0 श्रीनिवासन)
प्रधान सलाहकार (पीईओ)

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ संख्या
	आमुख	
	अधिशासी सारांश	
	अनुलग्नकों की सूची	
अध्याय-1	परिचय	
	-सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य	
	-हस्तक्षेपों की विशेषताएं	
	-अध्ययन की सीमाएं	
अध्याय-2	उद्देश्य एवं पद्धति	
	-अध्ययन का उद्देश्य	
	-पद्धति	
	-प्रतिदर्श चयन	
अध्याय-3	आदर्श पहुंच एवं समानता	
	-वंचित बस्तियां	
	-अल्पसेवा वाली बस्तियां	
	-स्कूलों से दूरी	
	-पीआरआई सहभागिता	
	-पंजीकरण एवं उपस्थिति	
	-स्कूल से बाहर रहे बच्चे	
	-अंतरालों को पाटना	
अध्याय-4	शिक्षा की गुणवत्ता	

	-अवसंरचनात्मक सुविधाएं	
	-अध्ययन सामग्री और प्रोत्साहन	
	-स्कूल सूचक	
	-सीखने संबंधी उपलब्धियां	
अध्याय-5	वित्तीय संसाधन	
	-केंद्र – राज्य हिस्सेदारी	
	-निधि जारी करना	
	-निधि का सदुपयोग	
	-जिलों को निधि का वितरण	
	-जिला स्तर पर निधियों का सदुपयोग	
	-हस्तक्षेपों पर व्यय	
	-स्कूल स्तरीय अनुदान और व्यय	
अध्याय-6	सामुदायिक स्वामित्व और विकास भागीदार	
	-सामुदायिक सहभागित	
	-ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता	
	-माता-पिता एवं अध्यापक संघ	
	-एनजीओ (ज) की सहभागिता	
	-ब्लॉक और क्लस्टर केंद्र	
	-मॉनीटरण प्रणालियां	
अध्याय-7	शहरी निष्कर्ष	
	-चयन के मापदण्ड	
	-पहुंच	

	-अल्प – सेवित बस्तियां	
	-पंजीकरण एवं उपस्थिति	
	-स्कूल से बाहर रहे बच्चे	
	-जैंडर और सामाजिक अंतराल	
	-अवसंरचनात्मक सुविधाएं	
	-स्कूल सूचक	
	-अध्ययन एवं पठन सामग्री एवं प्रोत्साहन	
	-सीखने संबंधी उपलब्धियां	
	-कार्यान्वयन एजेंसियां	
	-टाउन समितियां	
	-गंदी (स्लम) समितियां	
	-स्कूल निधियां	
	-माता-पित एवं अध्यापक संघ	
	-शहरी और क्लस्टर संसाधन केंद्र	
अध्याय-8	बाधाएं	
	-स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं	
	-शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता के कारण	
	-कस्बों में एसएसए के कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं	
अध्याय-9	सिफारिशें/सुझाव	
	अनुलग्नक	
	अनुलग्नक	
	लिए गए संदर्भ	

अधिशासी सारांश

पृष्ठभूमि

विभिन्न स्कीमों जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीएपी) के माध्यम से शिक्षा में सुधार के दशकों के बावजूद भी यह महसूस किया गया था कि अब भी काफी संख्या में बच्चे शिक्षा की धारा से बाहर थे तथा राज्यों द्वारा किए गए प्रयास बुनियादी शिक्षा के आदर्शीकरण के लिए पर्याप्त नहीं थे।

नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में देश में शिक्षा के सुधार के लिए अपनाया गया, जिस में पहुंच संबंधी सुधार, जैंडर और अंतरालों को कम करने और सीखने की गुणवत्ता में सुधार हेतु हस्तक्षेप तैयार किए गए। समयबद्ध लक्ष्यों के माध्यम से आदर्श पंजीकरण के लक्ष्य हासिल करने के लिए एसएसए ने एक रूप रेखा निर्धारित की और उसे मिशन मोड के रूप में अपनाया गया।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य थे:-

- सभी बच्चों को स्कूल में लाना, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, 2003 तक ''स्कूल में वापसी'' संबंधी शिविर को 2005 तक बढ़ाना।
- 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक बुनियादी स्तर पर सभी जैंडर और सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को पाटना।
- 2010 तक सार्वजनिक रिटेंशन।
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की बुनियादी शिक्षा पर ध्यानकेंद्रण।

2001 में स्कीम के आरंभ होने के प्रारम्भिक वर्षों से 2003-04 तक कार्य में संसाधनों का अभाव रहा। 2004-05 में कार्यक्रम के लिए निधि निर्धारित करने के लिए सभी केंद्रीय करों पर 2% प्रभार और शुल्क लगाया गया।

मूल्यांकन अध्यन – उद्देश्य एवं प्रणाली

विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति और मानव संसधान विकास मंत्रालय के अनुरोध पर पीईओ ने एसएसए पर मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया था। ग्यारह राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों में फरवरी, 2008 के आरंभ में सर्वेक्षण शुरू किया गया था। अध्ययन के लिए संदर्भ अवधि 2003 से 2007 रखी गई।

मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं:-

1. यह पता लगाना की एसएसएस किस सीमा तक अपने उद्देश्यों और संबंधित लक्ष्यों और उसके निर्धारक कारकों को हासिल करने में सफल रहा।
2. एसएसए के अंतर्गत अपनाई गई अवधारणा कार्यनीतियां उद्देश्यों को हासिल करने में महां तक प्रभावित हुई का मूल्यांकन।
3. स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान करना।
4. भावी मार्ग हेतु सुझाव देना।

प्रणाली

विभिन्न स्तरों पर प्रतिदर्श एककों के चयन हेतु एक बहुस्तरीय स्ट्रैटीफाइड प्रतिदर्शी प्रणाली विविध स्ट्रैटीफाइंग मापदण्डों के साथ अपनाई गई।

राज्यों का चयन

अवस्थिति के आधार पर राज्यों को पांच प्रदेशों अर्थात उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और पूर्वोततर में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक प्रदेश में राज्यों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन पर किए गए व्यय की प्रतिशतता के आधार पर उनका स्तरीकरण किया गया। पूर्व प्रदेश को छोड़कर, जहां तीन राज्य थे प्रत्येक प्रदेश में दो राज्य चुने गए और पूर्वोत्तर में मात्र एक राज्य का चयन किया गया। शहरी प्रतिदर्शों के लिए प्रत्येक प्रदेश से एक राज्य, जहां निचले लोगों की संख्या अधिकतम थी को चुना गया। शहरी और ग्रामीण प्रतिदर्शों के लिए एक संघ शासित क्षेत्र को भी चुना गया था। व्याप्ति में लिए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

इस प्रकार हैं:-

जोन	ग्रामीण प्रतिदर्श के लिए चुने गये राज्य	शहरी प्रतिदर्श के लिए चुने गए राज्य
उत्तर	1. उत्तर प्रदेश 2. हरियाणा 3. हिमाचल प्रदेश	1. उत्तर प्रदेश
पश्चिम	4. राजस्थान 5. मध्य प्रदेश	2. महाराष्ट्र
पूर्व	6. बिहार 7. पश्चिम बंगाल	3. पश्चिम बंगाल
दक्षिण	8. आंध्र प्रदेश 9. तमिलनाडु	4. आंध्र प्रदेश
उत्तर पूर्व	10. असम	5. असम
संघ राज्य क्षेत्र	1. चंडीगढ़	1. पुडुचेरी

जिलों का चयन

चुने हुए राज्यों में जिलों की संख्या के आधार पर वहां जिलों के प्रतिदर्श निर्धारित किए गए, जहां जिलों का चयन महिला साक्षरता और वर्ष 2002-03 के लिए डीएसआई डेटा की उपलब्धता के आधार पर किया गया। ग्रामीण प्रतिदर्शों के लिए 29 जिलों तथा शहरी प्रतिदर्शों के लिए 12 जिलों को व्याप्ति में लिया गया।

ब्लॉकों/ गांवों/ स्कूलों का चयन

चुने हुए प्रत्येक जिले से बेतरतीब आधार पर 2 ब्लॉक चुने गए और प्रत्येक ब्लॉक से स्कूलों की उपलब्धता अर्थात एक गांव प्राथमिक स्कूल सहित और दूसरा गांव जहां दो स्कूल हों और उन में कम से कम एक स्कूल अपर प्राथमिक हो। एसएसए के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के मौजूदा स्कूलों जैसे –

सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय, ईजीएस, एआईई केंद आदि को चुने हुए प्रत्येक दो गांवों से व्याप्ति में लिया गया।

शहरी प्रतिदर्शों का चयन

प्रत्येक राज्य से दो कस्बों को चुना गया, जहां निचले तबके के लोगों की संख्या अधिकतम थी। चुने गए प्रत्येक कस्बे से, दो बस्तियों को बेतरतीब आधार पर चुना गया। संघ राज्य क्षेत्र यानि पुडुचेरी से दो कस्बे व्याप्ति में लिए गए। इस प्रकार शहरी प्रतिदर्शों के लिए 12 कस्बों और 24 गंदी बस्तियों का चयन पांच राज्यों से कियाग या। तथापि, तेरह कसबों और बाईस गंदी बस्तियों को वास्तव में व्याप्ति में लिया गया।

अध्ययन के लिए व्याप्ति में ली गई अनुसूचियों के प्रकार:

अनूसची का प्रकार	**व्याप्ति में लिए गए स्कूलों की संख्या**
राज्य स्तरीय अनुसूची (एसएलएस)	35
जिला स्तरीय अनुसूची (डीएलएस)	41
ब्लाकॅ स्तरीय अनुसूची (बीएलएस) कस्बा स्तरीय अनुसूची (टीएलएस)	71
ग्राम स्तरीय अनुसूची (वीएलएस) गंदी बस्ती संबंधित अनुसूची (एसएसएलएस)	137
स्कूल स्तरीय अनुसूची (एससीएलएस)	250
विद्यार्थी स्तरीय अनुसूची (सीएलएस)	2045
फर/वासीय अनुसूची (एचएलएस, डीडब्ल्यूएलएस)	1390
स्कूल स्तर पर आख्या आधारित जांच सूची (ओबीसीएल)	249

- राज्य स्तरीय अनुसूचियों के आधार पर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (35) से सूचना प्राप्त की गई, यद्यपि चुने हुए राज्यों को ही व्याप्ति में लिया गया।

निष्कर्ष

ईजीएस (शिक्षा गारंटी स्कीम) केंद्रों की स्थापना और नए स्कूल शफरू करने के परिणाम स्वरूप सभी राज्यों में स्कूलों से वंचित रही बस्तियों की संख्या में कमी आई है, अतः पहुंच संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में काफी प्रगति हुई है। समय के साथ नई बस्तियां बन जाने, भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने, निर्माण में देरी, प्रक्रियात्मक देरी, सामुदायिक सहभागिता के अभाव के कारण शिक्षा पर सार्वजनिक पहुंच को हासिल नहीं किया जा सका है (पैरा 3.2, 3.5)

2. बस्तियों के काफी निकट स्कूलों की सुलभता से स्थिति में सुधार हुआ है और ग्रामीण बस्तियों में 98% से भी अधिक के पास 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर बुनियादी स्कूलों की सुलभता है। शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के 93% से भी अधिक काम के बदले अनाज कार्यक्रम बच्चे अपने घरों से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही पड़ोस के स्कूल में जाते हैं। (पैरा 3.10 और 7.3)

3. प्राथमिक स्कूलों और अपर प्राथमिक स्कूलों के वर्गीकरण में कोई समानता नहीं है, क्योंकि कुछ राज्यों में कक्षा **I** से **V** को प्राथमिक सकूल में श्रेणीबद्ध किया गया गया है और अन्य में कक्षा **V** को अपर प्राथमतक स्कूल में रखा गया है। एकल प्राथमिक और अपर प्राथमिक सकूलों के अस्तित्व के कारण कुछ माध्यमिक स्कूलों में प्राथमिक स्कूल और अपर प्राथमिक अनुभाग चुने हुए प्रतिदर्शों में प्राथमिक स्कूलों/अपर प्राथमिक स्कूलों के स्कूल/अनुभाग (2/1) संबंधी एसएसए के अनुपात का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। फिर भी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की बस्तियां (50%) जहां मात्र प्राथमिक स्कूल है, इन राज्यों में वंचित रही बस्तियों की सीमा कम रही है, जिसका कारण लड़कियों का बीच में स्कूल छोड़ना और अनुपस्थिति रहा है, क्योंकि अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए विद्यार्थियों को काफी लम्बी दूरी तय करनी होती है। शहरी प्रतिदर्शों में असम, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश में गंदी बस्तियों के पड़ोस में कुछ प्राथमिक स्कूल ही उपलब्ध थे (पैरा 3.7, 3.8 और 7.5)

4. गांवों में अधिकांश स्कूल (75% से भी अधिक) सरकारी स्कूल हैं (इन में सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूल भी शामिल हैं)। बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गांवों में शिक्षा सुलभ कराने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य शिक्षा विभागों के पास है, जिनमें स्थानीय शासी संस्थान भी सहभागी हैं (अर्थात् स्कूल प्रबंधन में पंचायती राज संस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में नोट करने योग्य हैं) जब कि पश्चिम बंगाल में सहायता प्राप्त स्कूल काफी हैं, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में निजी स्कूलों की काफी प्रचुरता है। शहरी गंदी बस्तियों में सरकारी संस्थानों की सहभागिता जिनमें नगर पालिका का प्रबंधन के स्कूल भी शामिल हैं, की संख्या 78% है (पैरा 3.11 और 7.4)

5. समग्र सकल पंजीकरण अनुपात 2003 में 89% था, जो बढ़कर 2007 में 93% हो गया है। असम, बिहार, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बच्चों के समग्र पंजीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्रामीण अंचलों में बाल जनसंख्या में आई कमी और परिवारों के बाहर प्रवास के कारण पंजीकरण में कमी आ गई थी। राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछेक ब्लॉकों में संभवत: निजी स्कूलों में शिफ्ट कर जाने, अधिक उम्र के विद्यार्थियों में हुई कमी या, उनके स्कूल छोड़ देने के कारण कमी देखी गई। पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश के अलावा शहरी गंदी बस्तियों में सरकारी स्कूलों के पंजीकरण में 18% की वृद्धि हुई, जब कि वहां निजी स्कूल भी मौजूद हैं (पैरा 3.12, 3.15 और 7.6)

6. पंजीकरण अनुपात में हुई वृद्धि से विद्यार्थियों की उपस्थिति दर में भी सुधार हुआ। ग्रामीण स्कूलों में 62% में शहरी स्कूलों के 68% के मुकाबले 75% से भी अधिक औसत उपस्थिति रिपोर्ट की है, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े बिहार, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों में विद्यार्थी उपस्थिति की औसत सतत रूप से कमजोर बनी रही। जब कि बिहार के सभी स्कूलों और उत्तर प्रदेश के 82% स्कूलों ने 75% से भी कम उपस्थिति रिपोर्ट की है। असम में 54% स्कूलों ने 75% से भी कम छात्र उपस्थिति रिपोर्ट की है कमजोर उपस्थिति के कारण में शामिल हैं – सीजनल माइग्रेशन, दूरी, बुरा स्वास्थ्य, त्यौहार, घर के काम, सिबलिंग देखभाल और माता – पिता की प्रेरणा का अभाव। असम और बिहार के कुछ स्कूलों

(40%) में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा था। गंदी बस्तियों के स्कूलों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के लिए घर का काम काज, सिबलिंग देखभाल और बुरे स्वास्थ्य को कारण माना है (पैरा 3.16, 3.17 और 7.7)।

7. स्कूल से बाहर रहे और बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने संबंधी हस्तक्षेपों में आंशिक सफलता मिली है। ग्रामीण घरों में लगभग 7% और शहरी गंदी बस्तियों में 20% घरों में बच्चे स्कूल से बाहर थे। बीच में स्कूल छोड़ दिया, जिन में 50% से भी अधिक बच्चे सामाजिक रूप से वंचित समूहों (एससी/ एसटी) से थे। असम, चण्डीगढ़ और तमिलनाडु एवं असम के और चयनित गांवों और पहुडुचेरी की शहरी गंदी बस्तियों में स्कूल के बाहर वाले बच्चे नहीं थे। यह देखा गया कि ईजीएस/एआईई केंद्रों के अस्तित्व और प्राथमिक स्कूलों में प्राथमिक पूर्व घटक के कारण ग्रामीण प्रतिदर्शों में स्कूल के बाहर रहे बच्चों में प्रभावी कमी आई है (पैरा 3.19, 3.23 और 7.8 और 7.9)।

8. गांवों में स्कूल से बाहर रहे 70% बच्चे और शहरी गंदी बस्तियों के 84% बच्चे स्कूल में उपस्थिति होने के इच्छुक थे। उनकी अपेक्षा में मुफ्त वर्दी, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, छात्रवृत्तियां और दण्ड का प्रावधान न होना शामिल था। जैंडर विभेद भी देखा गया, क्योंकि स्कूल छोड़ने वालों में 55% लड़कियां थीं। शहरी क्षेत्रों में भी, स्कूल से बाहर रहने वालों में 58% लड़कियां थीं (पैरा 3.20, 3.21 एवं 7.9, 7.10)

9. स्कूल से बाहर रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए सभी राज्यों ने केंद्र सरकार की रूप रेखा को ही अपनाया है, जिसके लिए पंजीकरण अभियान, आवासीय और गैर – आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में 38% माता - पिताओं ने शुरू किए गए पंजीकरण अभियान को रिकॉल किया, जबकि शहरी गंदी बस्तियों में 54% ने रिपोर्ट किया कि पंजीकरण अभियान आयोजित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में 55% माता - पिताओं और 45% शहरी माता - पिता एसएसए हस्तक्षेपों से अवगत थे (पैरा 3.22, 6.12 और 7.46)

10. चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल को छोड़ कर अधिकांश शेष राज्यों ने प्राथमिक कक्षाओं में 'नो डिटेंशन पालिसी' का अनुसरण नहीं किया। ग्रामीण बच्चों में लगभग 6% और शहरी क्षेत्रों में 9% कक्षा I व II में बच्चों को असफल घोषित किया और आगे उसी ग्रेड में रखा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्यार्थियों में 6% टर्म और परीक्षा में शामिल नहीं हुए जिम्मेदार और सीजनल माइग्रेशन को इसके लिए जिम्मेदार बताया (पैरा 3.24 एवं 7.29)

11. लड़कियों के पंजीकरण अनुपात में ठोस सुधार हुआ, परिणामस्वरूप ग्रामीण स्कूलों में जैंडर समानता अनुपात 0.89 और शहरी स्कूलों में यह 0.82 हो गया। असम और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों, असम और पुडुचेरी की शहरी गंदी बस्तियों में पंजीकरण में जैंडर समानता अनुपात हासिल कर लिया गया है। शिक्षा की दृष्टि से चयन किए गए पिछड़े ब्लाकों में प्रतिदर्शों के आधार पर लड़कियों के पंजीकरण अनुपात में भी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से जालौर, राजस्थान में (26%) और बिहार के कस्बानगर में 14% लड़कियों के पंजीकरण में हुए सुधार का कारण स्कूलों में समरूप पक्षीय महिला अध्यापक अनुपात का होना नहीं था। असम, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के स्कूलों में महिला अध्यापिकाओं के न्यून अनुपात के बावजूद भी लड़कियों के पंजीकरण में सुधार हुआ है। असम, बिहार और मध्य प्रदेश में लड़कों के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण में सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के शहरी प्रतिदर्शों में भी लड़कियों के पंजीकरण में ठोस सुधार हुआ है। (पैरा 3.29, 3.30, 3.31 और 7.11)

12. स्कूली पंजीकरण में सामाजिक रूप से वंचित रहे समूहों की हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में 32% और शहरी क्षेत्रों में 30% थी, जो जनसंख्या में उनके हिस्से से अधिक थी। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थानप में अधिकांश एससी/एसटी बच्चे सरकारी स्कूलों में पंजीकृत थे (पैरा 3.34 और 7.12)

13. अन्यथा रूप से सुयोग्य बच्चों के पंजीकरण में भी एक प्रभावपूर्ण वृद्धि देखी गई और ग्रामीण क्षेत्रों में 2007 में उनका पंजीकरण 1.17% तक पहुंच गया, जो कि 2003 में कुल पंजीकरण के मुकाबले 0.43% था। शहरी स्कूलों में संदर्भ अवधि के दौरान उनकी संख्या में कमी देखी गई। यद्यपि बच्चों को वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए, कुछ स्कूलों ने ही शिक्षा योजनाओं को

वैयक्तिक रूप दिया (पैरा 3.36 और 7.13)।

14. यद्यपि स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार हुआ है, कुछ राज्यों में अब भी अवसंरचनात्मक अभाव मौजूद है। सभी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड (हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों को छोड़कर) (88% स्कूल (सभी मौसम के) पक्का भवनों में हैं और 90% स्कूल राजस्थान के कुछ स्कूलों के अलावा पीने के पानी की आपूर्ति करते हैं। यद्यपि 82% स्कूलों में कॉमन शौचालय उपलब्ध थे, मात्र 50% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय थे। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में अवसंरचना संबंधी अभाव देखा गया। शहरी गंदी बस्तियों के 82% स्कूलों में पेय जल सुविधाएं सुलभ थी, लेकिन मात्र 40% में ही लड़कियों के लिए अलग शौचालय थे। मध्य प्रदेश में अधिकांश ग्रामीण स्कूल (60%) मल्टीग्रेड हैं और तमिलनाडु में 90% चयनित जिलों में स्कूल मल्टीग्रेड हैं। शहरी क्षेत्रों में 32% मल्टीग्रेड हैं और इन स्कूलों में 75% आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं (पैरा 4.3, 4.5, 4.6, 4.15 और 7.14, 7.15,7.18)

15. 60% ग्रामीण स्कूलों में विद्युत नहीं पहुंची है और वहां कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रशिक्षित कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, जो कंप्यूटर सहायता लर्निंग पद्धति दे सके। मात्र 11% स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध थे। शहरी गंदी बस्तियों के स्कूल की स्थिति उससे बेहतरीन थी और 86% को विद्युत से जोड़ दिया गया है और 62% स्कूलों में कंप्यूटर लगा दिए गए हैं। बिजली के अभाव में भी कुछ स्कूल जहां अवसंरचना सुलभ है, वे डबल शिफ्ट नहीं चला पा रहे हैं (पैरा 4.7 और 7.16)

16. शिक्षण, लर्निंग सामग्री (टीएलएम्स) की उपलब्धता की दृष्टि से जैसे कक्षाओं में चार्ट्स और पोस्टर्स, 75% ग्रामीण स्कूलों की तुलना में 93% शहरी स्कूलों में टीएलएम्स उपलब्ध थे। तुलनात्मक दृष्टि से शहरी स्कूलों में टीएलएम्स के उपयोग की स्थिति भी बेहतरीन (91%) थी(जब कि मात्र 77% ग्रामीण विद्यार्थी ने रिपोर्ट किया कि अध्यापक पढ़ाने के दौरान उनका उपयोग कर रहे हैं। बिहार और हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टीएलएम्स तैयार करने में संसाधन केंद्रों से मार्गदर्शन में अभाव की सूचना दी है। ग्रामीण विद्यार्थियों में

31% और शहरी स्कूलों में 66% की पुस्तकालयों तक पहुंच थी (4.9,4.10,4.11, 4.12 और 7.25)

17. एसएसए के तहत लड़कियों और एससी/एसटी के बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई और सभी राज्यों में अपात्र बच्चों को राज्य अनुदान/बुक बैंकों से नि:शुल्क पुस्तकें दी गई। शहरी बच्चों में 98% को सत्र के आरंभ में ही पुस्तकें मिल गई थीं, जबकि ग्रामीण स्कूलों में 84% को ही मिल सकीं। विलंब से सत्र के बीच पुस्तक मिलने की सूचना बिहार और हरियाणा के ग्रामीण स्कूलों आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शहरी स्कूलों से प्राप्त हुई थी (पैरा 4.13, 7.24)।

18. 60% ग्रामीण स्कूलों में अनुकूल शिष्य – अध्यापक अनुपात (पीटीआर) (मानदंडों के अनुरूप था) जबकि शहरी स्कूलों में यह 57% था और उच्चतर ग्रेटीट्यूड टीचर्स का हिस्सा (56%) था, जबकि शहरी स्कूलों में यह 36% था। स्कूल में महिला अध्यापिकाओं का अनुपात 43%-44% था, जो कि एसएसए के 50% के मानदण्ड से कम था1 2007 में ग्रामीण स्कूलों में नियमित अध्यापकों के 19% पद तथा शहरी सकूलों में 12% पद रिक्त थे। एसएसए के 2 अध्यापकों के न्यूनतम मानदण्ड के बावजूद ग्रामीण स्कूलों में 7% एक अध्यापक वाले स्कूल थे, जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में प्रचूर मात्रा में थे (3.31, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18 & 7.17, 7.19, 7.20,7.21)

19. अध्यापक उपस्थिति के संबंध में विद्यार्थियों, गांव के सदस्यों और कार्यान्वयन प्राधिकारियों के विचार अलग-अलग थे, विद्यार्थी और सामुदायिक सदस्यों की राय थी कि अध्यापकों में नियमितता थी, परन्तु राज्य के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अध्यापक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भगोड़े रहे हैं। 96% छात्रों ने सूचित किया है कि अध्यापक नियमित रहे हैं, 10% ग्रामीण छात्रों ने सूचित किया है कि स्कूलों में शारीरिक दण्ड दिया जाता है, जबकि शहरी स्कूलों में 15% छात्रों ने इसकी सूचना दी है। हिमाचल प्रदेश में एक चौथाई से भी 26% छात्रों ने और पुडुचेरी में सभी छात्रों ने सूचित किया है कि प्राय: शारीरिक दण्ड दिया जाता है। (पैरा 4.21 और 7.28)

20. अध्यापकों का प्रेरणा स्तर कम है, क्योंकि वे गैर अध्यापन गतिविधियों में शामिल हैं और पाठ्क्रम तैयार करने में उनसे परामर्श नहीं लिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 74% अध्यापक और शहरी क्षेत्रों में 75% अध्यापक जनगणना सर्वेक्षण, चुनाव ड्यूटी, पल्स पोलियो आदि के कार्यों में सहभागी रहे हैं, जबकि ग्रामीण स्कूलों के 54% अध्यापक और शहरी स्कूलों के 76% अध्यापक गैर शिक्षण गतिविधियों के प्रति अनिच्छुक थे। ग्रामीण अध्यापक 73% अपने वेतन से संतुष्ट थे, जबकि शहरी अध्यापकों में 46% ही अपने वेतन से संतुष्ट थे। (पैरा 4.20 और 7.23)

21. विभिन्न राज्यों में लर्निंग की गुणवत्ता में काफी अंतर था (प्राथमिक) कक्षाओं और (अपर प्राथमिक) कक्षा VIके विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी/स्थानीय भाषा और गणित के परीक्षण की उपलब्धियां दर्शाती हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ने और मौखिक दक्षताएं लेखन दक्षाओं से बेहतरनी थी, प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा II) के विद्यार्थियों के औसत अंक लिखित परीक्षा देने में शहरी स्कूलों में ग्रामीण स्कूलों की तुलना में स्तर ऊंचा था। तुलनात्मक अंक 54,30 और लेखन में 54 अंक गणित, अंग्रेजी में और स्थानीय भाषा में ग्रामीण विद्यार्थियों के थे जबकि शहरों में औसत अंक 69, 35 और 74 थे। (पैरा 4.26, 4.27 4.28, 4.29 और 7.31, 7.32)

22. अपर प्राथमिक कक्षाओं में भी (कक्षा VI) शहरी विद्यार्थियों के लिखित परीक्षा के अंक ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना में कुछ बेहतरीन थे। विषयों में स्थानीय भाषा में विद्यार्थियों ने गणित या अंग्रेजी की तुलना में बेहतरीन अंक प्राप्त किए। (पैरा 4.30, 4.31 और 7.33)

23. आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण स्कूलों और आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की शहरी गंदी बस्तियों में विद्यार्थियों का निष्पादन अधिक अच्छा था, जो कि दर्शाता है कि अनेक कारकों के संयोजन जैसे बेहतरीन अध्यापकों की सुलभता, परिष्कृत अध्यापन प्रणालियों जैसे टीएलएम का उपयोग, पुस्तकालय की सेवाएं, गैर शिक्षण गतिविधियों में कम सहभागिता और प्रेरित अध्यापक भी पठन संबंधी परिणामों को प्रभावित करते हैं। नव प्रवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां जैसे लर्निंग काडर्स पर आधारित गतिविधियां तमिलनाडु में उपयोग में लाई जाती रहीं हैं और आंध्र प्रदेश में स्कूलों की ग्रेडिंग की सयपहल की जाती रही है ताकि स्कूलों के बीच स्पर्धा लायी जा सके और माता - पिताओं की सहभागिता में सुधार लाया जा सके (पैरा 4.32, 4.33, 4.34 और 7.35)।

24. 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस कार्यक्रम के लिए अधिकांश राज्यों (बाइस) समानुपातिक संसाधन बढ़ाने में समर्थता व्यक्त की है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो राज्यों के कम हिस्से के पक्षधर हैं, शेष राज्यों ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र की अंशदान नीति के प्रति संतोष व्यक्त किया है(पैरा 5.4)।

25. इस कार्यक्रम के लिए निधि के स्राव में स्थिर वृद्धि के द्वारा बराबर किया गया और इस कार्यक्रम के लिए उच्चतर आबंटन किए गए, सहायता में वृद्धि (केंद्रीय और राज्य का हिस्सा) 2003-04 में 43% था जो कि 2006-07 में बढ़कर 73% हो गया। सदुपयोग अनुपात भी 98% से बढ़कर 110% तक पहुंचकर उसमें अधिक ग्राह्य क्षमता को दर्शाया है। क्योंकि पिछले वर्षों की बकाया राशि का भी सदुपयोग किया गया। राज्य कार्यान्वयन समितियों द्वारा जिलों को किया गया वितरण 109% था जो घटकर 2006-07 में 96% तक आ गया (पैरा 5.5, 5.6, 5.7)

26. यह देखा गया है कि दमण, दीव, गोवा, गुजरात, केरल और मणिपुर ने अपने खर्च का अधिकतर हिस्सा (20% से अधिक) गुणवत्ता हस्तक्षेपों पर किया है, जो बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल से अधिक हे, जिन्होंने 60% से भी अधिक व्यय सिविल कार्यों पर किया है। हस्तक्षेपों पर किए गए व्यय की दृष्टि से 2007 में जिल आबंटन का 92% ही सिविल कार्यों, मरम्मत और अनुरक्षण पर खर्च कर पाए हैं। कंप्यूटर शिक्षा, गुणवत्ता संबंधी सुधार के लिए व्यय 50% प्रवर्तनकारी गतिविधियों और अध्यापक प्रशिक्षण के लिए (54%) किया गया।

27. जिलों और उप जिलों के स्तर पर निधि के अंतरण में सुधार हुआ है। अधिकांश राज्य पहली किस्त अप्रैल-जून, 2007 तक अंतरित करने में सफल रहे और दूसरी किस्त सितम्बर-दिसम्बर, 2007 में जारी कर पाए हैं। यद्यपि, उप ब्लॉक स्तर पर निधियों के अंतरण में विलंब हुआ है, क्योंकि कुछ राज्यों में निधियां वर्ष के अंत में ही वितरित की जा सकीं हैं।

28. उपलब्ध संसाधनों के पूल में हुई वृद्धि के कारण 2003 की तुलना में 2007 में काफी संख्या में स्कूलों को अनुदान मिल गया था। आंध्र प्रदेश और असम में अपर प्राथमिक स्कूलों को भी प्राथमिक स्कूलों के बराबर निधियां प्राप्त हुईं। शहरी प्रतिदर्शों में पुडुचेरी से सब से कम निधि के सदुपयोग की सूचना मिल है।

(पैरा 5.16, 7.44)

29. शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों में काफी व्यापक अंतर देखा गया। रिपोर्ट की गई सूचना के आधार पर 2007 में प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी व्यय किया गया। औसत व्यय बिहार में सर्वाधिक था और यह आंध्र प्रदेश में सब से कम था। ग्रामीण स्कूलों में दर्शित औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में रूपए 497 रहा है, जो शहरी गंदी बस्तियों के स्कूलों में रूपए 35 रहा, जो कि शहरी बस्तियों के स्कूलों को उचित निधिकरण पर ध्यानकेंद्रण की आवश्यकता है (पैरा 5.17 और 7.45)।

30. स्कूलों के सामुदायिक स्वामित्व, जिसे निचले स्तर पर इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन की रीढ़ माना गया था, में आंशिक सफलता ही मिली है, क्योंकि ग्रामीण शिक्षा समितियों ने स्कूल गतिविधियों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। जबकि असम, बिहार, चण्डीगढ़ और राजस्थान ने सूचित किया है कि वहां वीईसी (ज) ने स्कूल के मॉनीटरण, अवसंरचना सुधार और पंजीकरण सुधार में उन्हें शामिल किया गया और तिमाही आधार पर बैठकें भी आयोजित की गईं। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में नियमित आधार पर बैठकें आयोजित नहीं की गई। अर्ध शिक्षकों की नियुक्तियों में (आंध्र प्रदेश को छोड़कर) वीईसी (ज) को शामिल नहीं किया गया। अवसंरचना सुधार (80%) रहा। आधे से भी अधिक वीईसी (ज) मात्र निधि संबंधी मामलों से सरोकार रखा है। प्राथमिक पणधारियों के रूप में माता - पिताओं की भूमिका सीमित रही है, क्योंकि पीटीए के अस्तित्व के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में 50% और शहरी स्कूलों में 45% माता - पिताओं को ही जानकारी थी (6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.12, 6.13 और 7.46)।

31. संस्थागत अवसंरचना जैसे ब्लॉक संसाधन केंद्र और क्लस्टर संसाधन केंद्र जिनकी स्थापना शैक्षणिक मार्गदर्शन देने, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और स्कूलों की कार्यशैली के मॉनीटरण के लिए की गई थी। वहां मानव संसाधनों के अभाव और स्कूलों के साथ कमजोर संचार संपर्क चुनौती बने रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में 77% बीआरसी (ज) और 45% सीआरसी (ज) स्कूलों से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित थे। असम में प्रत्येक सीआरसी (ज) के पास 44 स्कूलों का क्षेत्र सौंपा गया था और उत्तर प्रदेश में शहरी गंदी बसतियों के क्षेत्र में प्रत्येक सीआरसी 48 स्कूलों की देखभाल करता है। शहरी क्लस्टर्स में

स्थित सीआरसी (ज) से मात्र 10% स्कूलों को ही शैक्षणिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। जिला स्तर पर एनजीओ (ज) से आईईईजीएस केंद्रों की स्थापना में काफी सक्रिय रहे। अन्यथा रूप से योग्य विद्यार्थियों को सहायता और लर्निंग मूल्यांकन आदि में इन संस्थाओं द्वारा जागृति पैदा करने, फिर भी अधिक भूमिका निभाई है और उनकी गतिविधियों को व्यापक हो रहे समुदाय द्वारा और अधिक सदपुयोग करने की संभावना है (6.16,6.17,6.18 और 7.49)।

32. 7 राज्यों में राज्य स्तरीय मॉनीटरण संबंधी समितियां गठित नहीं की गई हैं। सभी चयन किए गए जिलों में जिला स्तरीय टीम कार्य कर रही थी, परन्तु संरचना को संचालित करने संबंधी मानदण्ड कार्य और दौरों की आवर्ती स्पष्ट नहीं थी। असम, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में जिला शिक्षा कर्मचारियों के पास एसएसए और राज्य स्कीमों की दोहरी जिम्मेदारियां थी। अधिकांश दल स्कूलों के मॉनीटरण में शामिल तो थे, परन्तु स्कूल मैपिंग या उपलब्धी संबंधी मुद्दों पर बहुत कम ध्यान दे रहे थे। स्कूलों में जिला स्तरीय दलों/ बीआरसी (ज)/ सीआरसी (ज) के दौरों का रख रखाव नहीं किया जा रहा था (पैरा 6.21, 6.22)।

33. कस्बों में नगर पालिकाओं के अंतर्गत निधियों के अंतरण या स्कूलों की गतिविधियों के समन्वयन में जिला परियोजना कार्यालय की कोई दखल नहीं देखी गई। नगर पालिकाएं सीधे ही राज्य परियोजना कार्यालय से एसएसए निधियां निकलवाती हैं और जिला प्राधिकारियों से हटकर स्वतंत्र कार्य करती हैं। कस्बा स्तरीय समितियां जिनका गठन कर लिया गया है, वे वचनबद्धता की कमी और स्कूलों की गतिविधियों के मॉनीटरण के लिए काउंसीलर्स/ कॉर्पोरेटर्स से समय के अभाव में निष्प्रभावी थी। स्लम स्तरीय समितियां या वार्ड समितियां आंशिक रूप से प्रभावी थी, फिर भी शहरी गंदी बस्तियों के स्कूलों में निधियों और अलग योजनाओं के अभाव के कारण उनकी कार्य प्रणाली प्रभावित हो रही थी(पैरा 7.37, 7.39)।

बाधाएं

1. अध्यापकों की कमी और एकल अध्यापक स्कूलों ने अधिकांश राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता को काफी हद तक कम कर दिया है। अध्यापकों को गैर शिक्षण गतिविधियों जैसे जनगणना सर्वेक्षण, निर्वाचन ड्यूटी, घरों का

सर्वेक्षण, मध्याह्न भोजन का सर्वेक्षण आदि दायित्व सौंपना एक निष्प्रेरक कार्य रहा है, क्योंकि आधे से भी अधिक अध्यापकों ने इन गतिविधियों के लिए अनिच्छा की है।

2. सीजनल माइग्रेशन, असाक्षरता, आर्थिक पिछड़ेपन और जानकारी के अभाव के कारण सार्वजनिक पंजीकरण अब भी एक चुनौती बना हुआ है।
3. राज्यों में अपर प्राथमिक स्कूलों, मल्टी लिंगुअल स्कूलों और वर्दी करिक्यूलम के अभाव के कारण सार्वजनिक रिटेंशन हासिल करने में समस्याएं आ रही हैं।
4. मॉनीटरण और पर्यवेक्षण लिंकेजिज कमजोर हैं, क्योंकि कर्मचारी अन्य राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे रहते हैं। कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निचले स्तर के कर्मचारियों को सौंप दी जाती है, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं होती और उन्हें पर्याप्त निधि बंदोबस्ती सहायता नहीं दी जाती है।
5. प्रभावी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्कूलों के मुख्याध्यापकों को दी गई है, क्योंकि सामुदायिक गतिशीलता/ स्वामित्व ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी और स्कूल के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता कुछ ही राज्यों में देखी गई। गांव शिक्षा समितियों (वीईसी (ज)/माता - पिता अध्यापक संघ (पीटीए) कहीं-कहीं हैं और स्कूल की गैर राशि से जुड़ी हुई गतिविधियों जैसे शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, अध्यापकों और छात्रों की अनुपस्थिति में सुधार में रूचि नहीं लेते हैं।
6. यद्यपि अवसंरचना त्रुटियों में काफी सुधार हुआ है, फिर भी कुछ राज्यों में अब भी इसके अभाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अधिकांश स्कूलों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कमरे नहीं हैं, लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं, ब्लैक बोर्ड, पेयजल और विद्युत का अभाव है। शहरों की गंदी बस्तियों के स्कूलों में स्कूलों के वातावरण पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

सिफारिशें

1. और अधिक अपर प्राथमिक स्कूल शुरू करने की आवश्यकता है तथा रिटेंशन और लड़कियों की पढ़ाई बीच में छोड़ने के मामले में सुधार के लिए गांवों में प्राथमिक – पूर्व स्कूलों के प्राथमिक स्कूलों के साथ सुदृढ़ संपर्क रहने चाहिएं। सीजनल माइग्रेशन से स्कूल से बाहर रहने/ बीच में स्कूल छोड़ने वालों को स्कूल पाठ्यक्रम तैयार कर समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि इसे अधिक बाल अनुकूल बनाया जास के, मल्टीलिंगुअल स्कूलों में मल्टीग्रेडिड पाठ्य पुस्तकें लगाई जा सकें और माइग्रेटरी सीजन के अनुरूप शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार किया जास के जिन में प्रवजन संभावित समितियों को ध्यान में रख कर अलग समूह बनाना शामिल है।

2. प्राथमिक स्तर पर सभी राज्यों द्वारा प्राथमिक स्तर पर कोई डिटेंशन नीति अपनाने की जरूरत नहीं है और परीक्षा के स्थान पर नियमित मूल्यांकन रखा जा सकता है।

3. दूरदराज की बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्र में वंचित रही बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा।

4. शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले और स्कूल जाने वालों को मुफ्त वर्दी और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिंए।

5. अध्यापकों की उपस्थिति के लिए बायोमैट्रिक प्रणालियां शुरू करना और क्लस्टर संसाधन कर्मचारियों द्वारा उसकी मॉनीटरिंग करना।

6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीवीएसएन) के लिए वैयक्तिक शिक्षा योजनाएं बनाना जिस में रिटेंशन संबंधी सुधार, उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन असहाय बच्चों तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

7. शहरी कलस्टर्स में गंदी बस्तियों के स्कूलों के लिए एनपीईजीईएल स्कीमों का एक्सटेंशन और अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ताकि शहरी क्षेत्रों में बीच में स्कूल छोड़ देने की समस्या का समाधान किया जा सके।

8. अध्यापकों की गैर शिक्षण गतिविधियों में कमी लाना, रिक्तियों को कम करने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती करना, अपक्षीय पी टी आर्स को कम करना, पाठ्यक्रमों के निर्माण और जिला योजनाएं तैयार करने में अध्यापकों की राय और विचार लेना।

9. अध्यापन की परिष्कृत प्रणालियों, मल्टीग्रेड शिक्षण, असहाय बच्चों के लिए संवेदनशीलता, बच्चों में अनुशासन लाने के लिए दण्ड का उपयोग अपवाद स्वरूप ही करना, न कि नियम के रूप में।

10. क्लस्टर रिसोर्स केंद्रों और अध्यापकों के बीच शैक्षणिक मार्गदर्शन, विकास और शिक्षण प्रकिया में टीएलएम के उपयोग के लिए संपर्कों में सुधार करना। सीआरसी (ज) के लिए कार्यात्मक मानदण्ड विर्निदिष्ट करना, आकस्मिक और यात्रा भत्तों में वृद्धि करना एवं बीआरसी (ज) और सीआरसी (ज) में टेलीफोन सुविधा मुहैया कराना।

11. सभी अपर प्राथमिक स्कूलों में विद्युत पहुचना, ताकि कंप्यूटर्स पर शीघ्रता से कुशलतापूर्ण कार्य शुरू किए जा सकें और एड्यूसैट सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके।

12. अवसंरचनात्मक त्रुटियां जैसे – ब्लैक बोर्ड, पेयजल की कमी को पूरा करना, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, कक्षा कमरों की कमी को पूरा करना, चार दीवारी/ फैंसिंग की समस्या का समाधान करना। किराए के भवनों में चल रहे सरकारी स्कूलों की मरम्मत और अनुरक्षण को स्कूल के वातावरण में सुधार हेतु वित्त पोषण।

13. सभी स्कूलों में कक्षा पुस्तकालय स्थापित करना होगा और विद्यार्थियों को पठन आदतों के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्कूलों में खेल उपस्कर उपलब्ध कराने होंगे।

14. माता - पिता और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन करना होगा। जागृति और सामुदायिक स्वामित्व पैदा करने के लिए एनजीओ (ज) को और अधिक मात्रा में शामिल करना होगा।

15. जिला स्तरीय मॉनीटरण समितियों में डीआईईटी, एनजीओ (ज) और विषय विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में लेना होगा। मॉनीटरण में गुणवत्ता को जरूरी बनाया जाए।

16. तिमाही आधार पर राशि जारी करते हुए उप ब्लॉक स्तरों पर निधि के वितरण में शीघ्रता बरतनी होगी। जिलों के गुणवत्ता हस्तक्षेप संबंधी व्यय को बढ़ाना होगा।

17. प्राप्त हुई निधि को स्कूल के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना जरूरी होगा और स्कूलों में अर्ध - अध्यापकों, क्लीनर्स, सफाई वालों और सुरक्षा स्टाफ की नियुक्ति के लिए वित्त पोषण करना होगा।

18. सभी राज्यों को कार्यान्वयन के समन्वय, नगर पालिकाओं की एसएसए की गतिविधियों के मॉनीटरण के लिए नोडल एजेंसी को अधिसूचित करना होगा। प्रत्येक गंदी बस्ती में गंदी बस्ती शिक्षा समितियां स्थापित करनी होंगी।

19. स्कूल के वातावरण, जिसमें शिक्षा, अतिरिक्त गतिविधियां और लर्निंग की गुणवत्ता शामिल है के आधार पर सभी स्कूलों को प्रमाणन प्रदान किया जाए।

20. सभी राज्यों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वयित करना चाहिए।

तालिका और चार्टों की सूची

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
2.1	जिलों के चयन के लिए मानदंड	10
2.2	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदर्श का आकार	11
2.3	चयनित राज्य एवं जिलों के नाम (ग्रामीण प्रतिदर्श)	12
3.1	सुलभता में सुधार के लिए हस्तक्षेप	16
3.2	वंचित रही बस्तियां	17
3.3	बस्तियों में स्कूलों की दूरी	18
3.4	पंबंधन के प्रकार की दृष्टि से स्कूल	20
3.5.	सकल पंजीकरण अनुपात	21
3.6	चयनित ब्लॉकों में बच्चों की संख्या में कमी	22
3.7	छात्र उपस्थिति दर एवं मध्याहन भोजन	23
3.8	स्कूल से बाहर रहे बच्चे	24
3.9	कक्षा I और II में बच्चें के पास होने की प्रतिशतता	27
3.10	लड़कियों, एससी/ एसटी (ज) और सीडब्ल्यूएसएन का पंजीकरण में इच्छा	29
3.11	शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों के स्कूलों में लड़कियों का पंजीकरण	30
3.12	स्कूलों में महिला अध्यापकों और एससी/ एसटी अध्यापकों का हिस्सा	32
4.1	स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं	35
4.2	प्रोत्साहनों पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं और शिक्षण उपस्करों का उपयोग	38
4.3	स्कूलों के सूचक	39
4.4	प्रशिक्षित किये गये अध्यापक	41
4.5	गैर शिक्षण गतिविधियों में अध्यापकों को शामिल करना एवं प्रेरणा स्तर	43
4.6	अध्यापकों की उपस्थिति और दंड के संबंध में छात्रों की प्रतिक्रियाएं	44

4.7	कक्षा II में पठन परीक्षणों में छात्रों का निष्पादन	45
4.8	कक्षा II में लिखित परीक्षणों में छात्रों का निष्पादन	46
4.8	कक्षा II में लिखित परीक्षा में छात्रों के निष्पादन का चार्ट	47
4.9	कक्षा IV के लिए मौखिक परीक्षण में छात्रों के निष्पादन का चार्ट	48
4.10	लिखित परीक्षण में अपर प्राथमिक छात्रों का निष्पादन (कक्षा VI)	49
4.10	लिखित परीक्षण में अपर प्राथमिक छात्रों के निष्पादन का चार्ट (कक्षा VI)	50
5.1	निधि का स्राव	54
5-1	निधि के स्राव का चार्ट	55
5.2	प्रमुख हस्तक्षेपों पर व्यय	58
5.3	चयनित जिलों में निधि के स्राव का चार्ट	58
5.4	प्रमुख हस्तक्षेपों पर हुए व्यय का चार्ट	60
5.5	प्रति छात्र औसत खर्च का सूचक	61
6.1	ग्राम शिक्षा समिति की गतिविधियां	64
6.2	वीईसी (ज) द्वारा आयोजित बैठकों की आवर्ती	65
6.3	वीईसी/ एसएमसी की बैठकों में चर्चा के मुख्य मुद्दे	66
6.4	समुदाय सदस्यों का प्रशिक्षण	68
6.5	पीटीए और एसएसए के संबंध में माता - पिताओं की प्रतिक्रियाएं	69
6.6	बीआरसी (ज)/ सीआरसी (ज) की प्रभावोत्पादकता	72
6.7	जिला स्तरीय मॉनीटरण दलों की प्रभोवोत्पादकता	74
6.8	ब्लाक स्तरीय मॉनीटरण दलों की बैठकों की आवर्ती	76
	शहरी निष्कर्ष	
7.1	चयनित राज्यों (यूटी) कस्बों और जिलों के नाम (शहरी प्रतिदर्श)	77
7.2	शहरी गंदी बस्तियों के क्षेत्रों में स्कूलों की सुलभता एवं	78

	पहुंच	
7.3	अपर प्राथमिक स्कूलों की पहुंच	79
7.4	पंजीकरण और छात्र उपस्थिति की दर	80
7.5	शहरी गंदी बस्तियों में स्कूल से बाहर रहे और बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे	81
7.6	लड़कियों, एससी/ एसटी और सीडब्ल्यूएसएन के पंजीकरण का हिस्सा	83
7.7	सीडब्ल्यूएसएन के लिए प्रोत्साहन	84
7.8	अवसंरचनात्मक सुविधाएं	85
7.9	स्कूल एवं अध्यापक सूचक	86
7.10	गैर शिक्षण गतिविधियों और प्रेरणात्मक स्तरों के संबंध में अध्यापकों की प्रतिक्रियाएं	88
7.11	प्रोत्साहनों और शिक्षण उपसकरों के उपयोग के संबंध में छात्रों की प्रतिक्रियाएं	89
7.12	अध्यापक उपस्थिति और दंड के संबंध में छात्रों की प्रतिक्रियाएं	90
7.13	कक्षा I और II के बच्चों का निष्पादन	91
7.14	मौखिक और पठन परीक्षणों में छात्रों का निष्पादन कक्षा II	92
7.15	लिखित परीक्षणों में छात्रों का निष्पादन	93
7.16	अनुच्छेद पठन में छात्रों का निष्पादन कक्षा VI	93
7.17	लिखित परीक्षणों में छात्रों का निष्पादन कक्षा VI	94
7.18	स्कूल अनुदानों का सदुपयोग	97
7.19	प्रति छात्र औसत व्यय सूचक	98
7.20	एसएसए और पीटीए के संबंध में माता - पिताओं की प्रतिक्रियाएं	99
7.21	सीआरसी (ज) की प्रभावोत्पादकता	100

संलग्नकों की सूची

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
3.1	वंचित रही बस्तियां	114
3.2	स्कूल से बारह रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए नवप्रर्त्तनकारी गतिविधियां	115
3.3	एनपीईजीईएल के अंतर्गत गतिविधियां	116
3.4	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहन गतिविधियां	117
4.1	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहन गतिविधियां	118-120
5.1	केन्द्र राज्य अनुपात (सीएसआर)	121-122
5.2	निधियों का आबंटन और सदुपयोग	123-126
5.3	अवसंरचना, गुणवत्ता और प्रशासन पर राज्यों का व्यय	127-128
6.1	एनजीओ (ज) की गतिविधियां	129
7.1	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के तुलनात्मक सूचक	130-131
7.2	एसईसी/ डब्ल्यूईसी/ स्लम शिक्षा समितियों की प्रभावोत्पादकता	132-133

अध्याय-1
परिचय

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम जनवरी, 2001 में बुनियादी शिक्षा के सर्वजनिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ताकि 2010 तक 6-14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को उपयोगी और संदर्भित शिक्षा प्रदान की जा सके। यह सभी बच्चों में मानवीय क्षमताओं के सुधार के लिए अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है, में सामाजिक, क्षेत्रीय और जैंडर अंतराल पाटने का एक प्रयास है, जिस में स्कूलों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता होती है।

1.1 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य थे:-

- सभी बच्चों को स्कूल में लाना, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, 2003 तक ''स्कूल में वापसी'' संबंधी शिविर को 2005 तक बढ़ाना।
- 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक बुनियादी स्तर पर सभी जैंडर और सामाजिक श्रेणी अंतरालों को पाटना।
- 2010 तक सार्वजनिक रिटेंशन।
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की बुनियादी शिक्षा पर ध्यानकेंद्रण।

1.2 उद्देश्य राष्ट्रीय सतर पर प्रस्तुत किए गए हैं, यद्यपि यह अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न राज्य और जिले अपने अपने संदर्भानुसार आदर्शीकरण को प्राप्त करेंगे और उनके लिए समय की अपनी रूप रेखा रहेगी। ऐसी उपलब्धियों के लिए अंतिम सीमा 2010 रखी गई है। मुख्य जोर विविध रणनीतियों के माध्यम से स्कूल से बाहर रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाने पर रहेगा और 6-14 आयु वर्ष समूहों के सभी बच्चों को आठ वर्ष तक स्कूली शिक्षा प्रदान करने पर रहेगा। इस रूप रेखा के तहत यह अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा प्रणाली को संदर्भानुकूल बनाया जाएगा, ताकि बच्चे और माता - पिता स्कूल प्रणाली को उपयोगी महसूस कर सकें और उसे अपने स्वाभाविक और सामाजिक वातावरण के अनुसार अपना सकें।

1.3 यह कार्यक्रम पूरे देश और सभी स्कूलों को कवर करता है, जिसमें गैर सहायता वाले निजी स्कूल शामिल नहीं हैं। इस स्कीम के तहत प्रत्येक बस्ती की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर नियमित स्कूल/ वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं मुहैया करानी होती है और अतिरिक्त कक्षा कमरे, शौचालय, पेयजल के अतिरिक्त प्रावधानों के माध्यम से मौजूदा स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है, अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती, अध्यापकों की क्षमता निर्माण के जरिए अध्यापकों की संख्या को बढ़ाना और उन्हें एक्स्टेंसिव प्रशिक्षण देते हुए अध्यापक लर्निंग सामग्री के विकास हेतु अनुदान का प्रावधान करना है और शैक्षणिक सहायता अवसंरचना का विकास करना है।

हस्तक्षेपों की विशेषताएं

1.4 सर्वशिक्षा अभियान को बुनियादी शिक्षा के लिए निर्धारित रूप रेखा में ढाला गया है और वित्तीय प्रावधानों के लिए विशिष्ट हस्तक्षेपों और कार्यों हेतु योजना एवं कार्यान्वयन से हट कर रखा गया है।

प्रमुख हस्तक्षेप

1. वंचित रही बस्तियों के लिए ईजीएस (शिक्षा गारंटी स्कीम) की स्थापना हेतु नए स्कूल खोलने का प्रावधान।
2. अपर प्राथमिक स्कूल खोलना।
3. सकूल से बाहर रहे और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए हस्तक्षेप।
4. समावेशी शिक्षा और अन्य गतिविधियां।
5. ब्लॉक रिसोर्स/ कलस्टर्स रिसोर्स केंद्र।
6. बालिकाओं के लिए नवप्रवर्तनकारी शिक्षा आरंभिक बाल देख रेखा और शिक्षा।
7. अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, शिक्षक अनुदान, अध्यापकों की भर्ती।
8. सिविल निर्माण कार्य, अतिरिक्त कक्षा-रूम, अनुरक्षण अनुदान, स्कूल अनुदान।

9. प्रबंधन लागत, अनुसंधान और मूल्यांकन, समुदाय प्रशिक्षण।

अध्ययन की सीमाएं

1.5 कुछ सीमाओं का भी सामना करना पड़ा है, जिन से इस अध्ययन के निष्कर्ष भी प्रभावचित हुए हैं:-

1. बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों और स्कूल से बाहर रहे बच्चों के पंजीकरण के संबंध में इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने हेतु रणनीतियों की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए सूचना की अपर्याप्त मात्रा।

2. विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिदर्श के आकार की भिन्नताएं

(क) स्कूलों की उच्चतर सघनता वाले गांवों में मूल्यांकन दलों ने अधिक स्कूलों की जांच की है, जो वंचित रह गए की अपेक्षा अधिक है।

(ख) आंध्र प्रदेश में एक अतिरिक्त कस्बे (सिकन्दराबाद) की जांच की गई, लेकिन इस कस्बे की स्लम्स की डबलिंग्स की जांच नहीं की गई।

(ग) पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में गंदी बस्तियों के स्कूलों में अपर प्राथमिक सकूलों के छात्रों को जांच में शामिल नहीं किया गया।

3. शहरी स्थानीय निकायों और नोडल एजेंसियों के बीच कमजोर संपर्क सूत्रों के कारण, जिससे शहरी गंदी बस्तियों के प्रतिदर्शों के ठोस आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके।

अध्याय-2
उद्देश्य एवं प्रणाली

उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली विकास सलाहकार मूल्यांकन समिति ने पीईओ को निदेश दिया था कि एसएसए स्कीम के निष्पादन पर मूल्यांकन अध्ययन किया जाए। अध्ययन एमएचआरडी से परामर्श करके डिजाइन किया गया था और फरवरी, 2008 से चार माह के लिए अध्ययन हेतु फील्ड सर्वेक्षण किया गया, कुछ राज्यों में सर्वेक्षण जून, 2008 में पूरा हो गया क्योंकि स्कूल गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हो गए थे।

2.1 अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य

1. यह आकलन करना कि एसएसए किस सीमा तक अपने उद्देश्यों और संबंधित लक्ष्यों और कारको, जो उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, को हासिल करने में सफल रहा।
2. एसएसए के अंतर्गत अपनाई गई रणनीतियों/दृष्टिकोणों का आकलन कि वे उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल हुए।
3. स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं का पता लगाना।

4. भावी मार्ग हेतु सुझाव देना। ''सर्वशिक्षा अभियान'' के प्रमुख उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए मूल्यांकन अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यचों को तीन समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया।

2.2 पहुंच

1. संदर्भित आयु समूह में बच्चों की उपस्थिति और पंजीकरण की सीमा का आकलन करना और उसके कारणों का विश्लेषण करना।

2. वंचित रहे गांव/ बस्तियों की सीमा का आकलन करना जहां तक उन्हें औपचारिक स्कूलों के माध्यम से यह सुविधा पहुंचाई गई।

3. बीच में स्कूल छोड़ने वालों और स्कूल से बाहर रहे स्कूली बच्चों को स्कूल में रोके रखने के लिए अपनाई गई रणनीतियों का अध्ययन करना।

2.3 **पात्रता**

I. सामाजिक समूहों, जैंडर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में इस कार्यक्रम के माध्यम से बरती जा रही समानता का आकलन।

2.4 गुणवत्ता

1. गुणवत्ता सूचकों जैसे पीटीआर, बच्चों की उपलब्धियों का स्तर, अध्यापकों की उपस्थिति आदि का आकलन।
2. स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता और पर्याप्तता की जांच।
3. केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच सहभागिता के स्तर और प्रकृति का आकलन एवं स्कूल प्रबंधन में उनकी भूमिका की जांच।
4. केंद्र – राज्य अंशदानों, निधि के अंतरण की समयावधि, सदुपयोग आदि और विकास सहभागियों की भूमिका की दृष्टि से वित्तीय पहलुओं का आकलन करना।
5. स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं का पता लगाना और सुधारात्मक उपायों हेतु सुझाव देना।

प्रणाली

3.5 **प्रतिदर्श लेने का तरीका**

राज्य और जिला स्तरों पर प्रतिदर्शों के चयन के लिए बहुचरण स्तरीय प्रतिदर्शन प्रणाली अपनाई गई।

प्रतिदर्शों के चयन के लिए मानदण्ड

3.6 **राज्यों का चयन**

अवस्थिति के आधार पर राज्यों को पांच प्रदेशों अर्थात् उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और पूर्वोत्तर में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक प्रदेश में राज्यों को 10वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए व्यय की प्रतिशतता के आधार पर स्वीकृत किया गया प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर दस राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण प्रतिदर्श आंकड़े एकत्रित किए गए और शहरी प्रतिदर्शों के लिए आंकड़े पांच राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र के बारह कस्बों से लिए गए। यद्यपि सभी

तालिका 2.1 जिलों के चयन के लिए मानदण्ड

जिलों की संख्या के साथ राज्य – चयनित राज्य	प्रत्येक राज्य में चयन किए गए जिलों की संख्या
<20 हरियाणा, हिमालच प्रदेश, पश्चिम बंगाल	2
20-50 असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु	3
>5 उत्तर प्रदेश	4

2.8 प्रत्येक जिले से दो ब्लॉक बेतरतीब रूप से चुने गए और यह सुनिश्चित किया गया कि वे एक साथ नहीं थे। चुने गए प्रत्येक ब्लाक के राजस्व गांवों की सूची और स्कूलों की संख्या और टाइप (मात्र प्राथमिक और अपर प्राथमिक तथा एसएसए के अंतर्गत वित्त पोषित) उन गांवों से प्राप्त की गई। उस सूची से दो दो गांवों को चुना गया जिसके निम्नलिखित मानदण्डों का उपयोग किया गया। एक गांव जहां दो स्कूल हैं और उनमें से कम से कम एक एसएसए के अंतर्गत अपर प्राथमिक स्कूल हो।

(ii) एक गांव जहां एसएसए के अंतर्गत एक प्राथमिक स्कूल हो।

2.9 **स्कूलों/ विद्यार्थियों का चयन**

प्रत्येक चयनित गांव में सभी स्कूल जो स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों से

संबंधित थे और एसएसए के तहत कवर किए हुए थे अर्थात् सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय/ ईजीएस/ ए एंड आईई केंद्र का चयन किया गया। प्रत्येक स्कूल से बिना कम से कम आठ विद्यार्थियों का चयन किया गया। (चार कक्षा II से और चार कक्षा IV से) और कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी, स्थानीय भाषा एवं गणित के संबंध में लिए गए ताकि उनके सीखने की उपलब्धि के स्तर का आकलन किया जा सके।

2.10 परिवारों का चयन

प्रत्येक गांव से दस परिवारों से जहां 6-14 वर्ष की आयु समूह के बच्चे हों का चयन स्नोवाल, सैम्पलिंग के माध्यम से किया गया।

2.11 प्रतिदर्श का आकार और शहरी प्रतिदर्शों का चयन

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदर्श का आधार तालका 2.10 में दर्शाया गया है। शहरी प्रतिदर्शों के चयन के लिए प्रत्येक प्रदेश से एक ऐसे राज्य का चयन किया गया जहां गंदी बस्ती के लोगों की जनसंख्या अधिकतम थी और उस राज्य से दो कस्बों को भी चुना गया। पुडुचेरी (यूटी) से भी दो कस्बे चुने गए। प्रत्येक चयनित कस्बे से दो बस्तियां भी चुनी गई चयन किये कस्बों के नाम तालिका 7.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.2 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिदर्श का आकार

क्र0सं0	प्रतिदर्श एकक	जांच किए गए प्रतिदर्श आकार (ग्रामीण + शहरी)
1	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	35
2	**जिले**	29 +(12 **जिले**) = 41
3	**ब्लॉक + कस्बों की संख्या**	58 +(13@) = 71
4	गांव + गंदी बस्तियां	115 + (22*) = 137
5	**स्कूल**	222 +(28) = 250
6	छात्रों की संख्या	1790^ + 255 = 2045
7	घरों + आवासों की संख्या	1150 + 240# = 1390
8	स्कूलों के लिए चैक लिस्ट के आधार पर टिप्पणयों की	**221+28 = 249

	संख्या	

^आंध्र प्रदेश में जांच किए अतिरिक्त छात्र

* आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दो अनुसूचियों की जांच नहीं की गई.

** हरियाणा में जांच नहीं की गई.

@ आंध्र प्रदेश में 3 कस्बों की जांच की गई

#आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त कस्बों में जांच नहीं की गई.

2.12 ध्यान केंद्रण समूहों का चयन

प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से एक ध्यानकेंद्रण समूह परिचर्चा आयोजित की गई, जिस में माता - पिता (5-10 व्यक्ति) शामिल किए गए जो (क) एसी और एसटी (उनकी उपलब्धता और सघनता के आधार पर) (ख) गैर एससी/ एसटी (ग) बीच में स्कूल छोड़ने वाले/ स्कूल से बाहर रहे बच्चों के माता - पिता और गांव के अन्य बुद्धिजीवी व्यक्ति।

2.13 **उपस्कर**

प्राथमिक और माध्यमिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संरचित प्रश्नावलियां तैयार की गईं। मात्रा और गुणवत्तापूर्ण सूचनाओं को एकत्र करने के लिए निम्नलिखित उपस्करों का इस्तेमाल किया गया:

1. राज्य स्तरीय अनुसूची (एसएलएस)
2. जिला स्तरीय अनुसूची (डीएलएस)
3. ब्लॉक स्तरीय अनुसूची (बीएलएस) कस्बा स्तरीय अनुसूची (टीएलएस)
4. ग्राम स्तरीय अनुसूची (वीएलएस) स्लम स्तरीय अनुसूची (एसएमएलएस)
5. स्कूल स्तरीय अनुसूची (एससीएलएस)
6. छात्र स्तरीय अनुसूची (सीएलएस)
7. स्कूल स्तर पर आब्जर्वेशन (ओबीसीएल) आधारित चैक लिस्ट
8. घरों की आवास स्तरीय अनुसूची (एचएलएस)/ डीडब्ल्यूएलएस)
9. ग्राम स्तर पर फोकस समूह विचार – विमर्श

2.14 **अध्ययन की संदर्भ अवधि 2003-2007 थी**

तालिका 2.3 चयनित राज्यों/ जिलों के नाम (ग्रामीण प्रतिदर्श)		
जोन	चयनित राज्य	चयनित जिले

उत्तर	उत्तर प्रदेश	सरस्वती, बलंदशहर, बरेली, कानपुर देहात
	हरियाणा	कैथल, महेन्द्रगढ़
	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर और चम्बा
पश्चिम	राजस्थान	जालौर, बरान, कोटा
	मध्य प्रदेश	झबुआ, भिण्ड, उज्जैन
पूर्व	बिहार	पटना, मुफफ्फरनगर, मणिपुर
	पश्चिम बंगाल	सिलीगुडी, नदिया
दक्षिण	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर, चित्रूर और पूर्व गोदावरी
	तमिलनाडु	धर्मपुरी, रामनाथ पुरम और कन्याकुमारी
उत्तर पूर्व	असम	ढुबरी, मोरीगांव और गोलपाड़ा
संघ शासित क्षेत्र	चंडीगढ़	चंडीगढ़

अध्याय-3
आदर्श पहुंच एवं समानता

3.1 वंचित रही या अल्प सुविधाओं वाली बस्तियों में आवास से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर एक प्राथमिक स्कूल और तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर एक अपर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराते हुए वहां आदर्श पहुंच के लिए उन्हें व्याप्ति में लेना है और एसएसए के अंतर्गत पड़ौस में प्रत्येक बच्चे को स्कूल की सुविधा मुहैया कराना एक प्रमुख हस्तक्षेप है, ताकि स्कूली शिक्षा पर प्रत्येक बच्चे का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

अल्पसेवित बस्तियां

3.2 सातवां अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (2002) ने 147928 बस्तियों (उस समय की कुल बस्तियों की 13%) की पहचान की है, जहां 2007 के दौरान बस्ती में एक किलोमीटर की सीमा में कोई प्राथमिक स्कूल या वैकल्पिक स्कूल (संलग्नक 3.1) उपलब्ध नहीं थे, सभी राज्यों में वंचित रही बस्तियों की संख्या में ठोस कमी देखी गई, यद्यपि आंध्र प्रदेश (2234), बिहार (2903), छत्तीसगढ़ (3741), राजस्थान (3121) और उत्तर प्रदेश (9897) में काफी संख्या में ऐसी बस्तियां थीं, जहां पर प्राथमिक स्कूल या शिक्षा गारंटी स्कीम (ईजीएस) केंद्र नहीं थे।

3.3 अधिकांश राज्यों ने वंचित रही बस्तियों में नए प्राथमिक स्कूल और ईजीएस केंद्र स्थापित कर के द्विसूत्री कार्यनीति का उपयोग किया। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल खोले गए। असम, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोई स्कूल नहीं खोला गया, क्योंकि इन राज्यों ने सूचित किया था कि बसतियों में पहुंच की दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में स्कूल उपलब्ध हैं या स्कूल शिक्षा के लिए राज्य के मानदण्ड अलग हैं (हिमाचल प्रदेश 1.5 किलोमीटर)।

3.4 स्कूल से बाहर रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए और नियमित स्कूल की पात्रता पूरी नहीं कर पाले वाली बस्तियों के लिए सभी राज्यों में केंद्रीय/ वैकल्पिक और नवप्रवर्त्तनकारी शिक्षा केंद्र (एआईआई) खोले गए। यहां तक कि इन मामलों में दूरी, जनसंख्या मानदण्ड (जनजातीय और गैर जनजातीय मामलों

के लिए अलग – अलग) और या पर्यावरण मानदण्डों (न्यूनतम 15/10 बच्चे) का अनुपालन किया गया। असम, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में जहां ईजीएस केंद्र दो वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे थे, उन्हें नियमित स्कूलों के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में कुछ ईजीएस केंद्रों को बंद कर दिया गया, क्योंकि वे केंद्र कार्य नहीं कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में कुछ इस लिए बंद कर दिए गए कि वहां पर्याप्त पंजीकरण नहीं थे। असम, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में काफी संख्या में ईजीएस/ एआईई केंद्र जारी रहे।

3.5 स्कूलों की पहुंच के प्रावधानों के संबंध में स्कूलों की सुलभता के प्रावधानों में जिले के भीतर भिन्नता थी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपाली ब्लॉक के सभी गांवों में स्कूल की सुविधा थी, जबकि पाकल ब्लॉक में 161 बस्तियों में स्कूल की सुविधा नहीं थी। इस प्रकार खारी बाडी ब्लाक के बिन्ना बाडी ग्राम पंचायत, सिलीगुडी जिला, पश्चिम बंगाल में 90 बस्तियों (वन क्षेत्र के चाय बागानों में) कोई स्कूल सुविधा नहीं थी। समय के साथ नई बस्तियां बन जाने के कारण और निर्माण के लिए जमीन की अनुपलब्धता से गरीब समुदायिक विकास, प्रक्रियात्मक दूरी (नए प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए मंजूरी नहीं मिली) सिविल कार्य शुरू करने, ग्राम स्तर पर दक्षता के अभाव, अपर्याप्त निधि (लागत मानदण्ड) को देखते हुए आदर्श पहुंच संभव नहीं हो सकी है।

3.6 ग्राम स्तर पर अधिकांश नए प्राथमिक स्कूलों (पिछले पांच वर्षों के दौरान) का हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण किया गया। असम और पश्चिम बंगाल में सभी प्रतिदर्श स्कूल 20 वर्ष से भी अधिक पुराने थे। राजस्थान में 47% स्कूल 10 वर्ष से भी कम पुराने थे परनतु 5 वर्ष से अधिक। यद्यपि असम में काफी संख्या में ईजीएस केंद्र खोले गए हैं, लेकिन चनित गांवों में कोई भी ईजीएस केंद्र नहीं था। चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एआईई केंद्र कार्यरत थे। अवसंरचना में नए निवेश की दृष्टि से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश, असम हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से काफी अच्छा निष्पादन दिखाया है। तालिका 3.1 में पहुंच में सुधार कुछ हस्तक्षेप दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.1 पहुंच में सुधार संबंधी हस्तक्षेप (संख्या)											
पहुंच संबंधी हस्तक्षेप	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	चंडीगढ़	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
नए प्राथमिक स्कूल खोलना	0	0	151	6	18	0	1597	29	37	85	0
प्राथमिक को अपर प्राथमिक स्कूल में क्रमोन्नत करना	0	0	87	0	0	0	160	0	68	16	0
स्कूल भवन का निर्माण	14	16	30	6	14	0	421	59	131	62	4
अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण	84	687	413	26	145	283	504	603	122	607	368
ईजीएस / एआईई सैंटर्स को नियमित स्कूल में क्रमोन्नत करना	333	0	63	0	1168	126	336	961	1	10	0
ब्लॉक में कार्य कर रहे ईजीएस सैंटर्स	18	819	29	176	48	28	118	43	12	118	87

आंकड़े चयनित ब्लॉकों में

अल्पसेवित बस्तियां

3.7 एसएसए मानदंड निर्धारित करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर प्रत्येक 2 प्राथमिक स्कूलों अनुभागों के लिए एक अपर प्राथमिक स्कूल खोलने/सैक्शन की सीमा रखी जानी चाहिए। यह देखा गया है कि प्राथमिक स्कूलों का वर्गीकरण एक समान नहीं है, क्योंकि कुछ राज्य कक्षा I-IV को प्राथमिक स्कूल के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जबकि अन्य राज्य कक्षा V को प्राथमिक स्कूल का एक भाग मानते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों जैसे असम और मध्य प्रदेश में पर्याप्त एकल प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूल थे, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु में शामासिक स्कूल भी थे (प्राथमिक स्कूल को

अपर प्राथमिक स्कूल के साथ मिलाया गया था)। कुछ माध्यमिक स्कूलों में अपर प्राथमिक सैक्शन भी थे। अत: चयनित किए गए प्रतिदर्शों में अपर प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। फिर भी, अपर प्राथमिक स्कूल और प्राथमिक स्कूलों का अनुपात अधिकांश राज्यों में अनुकूल नहीं था (राज्य रिपोर्ट कार्डर्स के आधार पर) (तालिका 3.2)

तालिका 3.2: अल्प सेवित बस्तियां			
राज्य/ यूटी	प्रतिदर्शित गांवों की संख्या	बिना अपर प्राथमिक स्कूल वाले गांवों की संख्या	प्राथमिक के साथ अपर प्राथमिक स्कूलों का अनुपात (राज्य रिपोर्ट कार्डस)
आंध्र प्रदेश	12	0	1:2.4
असम	12	41.6	1:3.6
बिहार	12	50	1:2.9
चंडीगढ़	2	0	1:1.1
हरियाणा	8	50	1:2.5
हिमाचल प्रदेश	8	50	1:1.9
मध्य प्रदेश	12	50	1:2.7
राजस्थान	12	50	1:2.3
तमिलनाडु	12	25	1:2.4
उत्तर प्रदेश	17	41.1	1:2.8
पश्चिम बंगाल	8	37.5	1:5.4
सभी राज्य/ यूटी	**115**	**38.2**	

सूचना राज्य रिपोर्ट काड्र्स 2006-07 के अनुसार

3.8 बस्तियों के पड़ोस में अपर प्राथमिक स्कूलों की पहुंच की दृष्टि से यह देखा गया है कि बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 50% गांवों में मात्र एकल प्राथमिक स्कूल थे और अपर प्राथमिक स्कूल थे ही नहीं। यद्यपि, बिहार और मध्य प्रदेश के चयनित ब्लाकों में अनेक प्राथमिक स्कूलों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें अपर प्राथमिक स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया गया है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि पर्याप्त संख्या में अल्प सेवित गांव दर्शाते हैं कि

अनुपस्थिति और बीच में पढ़ाई को छोड़ने में कमी लाने की दृष्टि से बस्तियों के ठीक पड़ोस में अपर प्राथमिक स्कूल/सैक्शन उपलब्ध कराने होंगे।

स्कूलों से दूरी

3.9 बस्ती से स्कूल की दूरी की स्वीकार्यता का पता लगाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाए कि उनका स्कूल बस्ती से कितनी दूर है का विश्लेषण किया गया। तालिका 3.3 बसती से स्कूल की दूरी के संबंध में विद्यार्थियों की प्रतिक्रयाओं का ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 3.3 : बस्तियों में स्कूल दूरी – विद्यार्थी प्रतिक्रिया		
राज्य/ यूटी	**1 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूल**	**1-3 किलोमीटर की दूरी के स्कूल**
आंध्र प्रदेश सं0=273	220 (81)	49(18)
असम सं0=186	177 (95)	6 (3)
बिहार सं0=200	182 (91)	18 (9)
चंडीगढ़ सं0=24	24 (100)	0
हरियाणा सं0=103	93 (90)	9(9)
हिमाचल प्रदेश सं0=93	78 (84)	15(16)
मध्य प्रदेश सं0=144	133 (92)	10(7)
राजस्थान सं0=151	143 (95)	8(5)
तमिलनाडु सं0=211	178 (84)	31(15)

उत्तर प्रदेश **सं**0=246	226 (92)	20(8)
पश्चिम बंगाल **सं**0=159	113 (71)	37(23)
सभी राज्य/ यूटी **सं**0=1790	1567 (87.5)	203 (11.3)

छात्रों की संख्या, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

3.10 98% से अधिक बस्तियों में 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर बुनियादी स्कूलों की पहुंच है और 88% विद्यार्थी अपने घरों से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर बुनियादी स्कूलों में शिक्षा पा रहे थे। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमालच प्रेदश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चयनित गांवों में कुछ बच्चों को तीन किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इस को देखने में पता चला है कि गांवों में कुछ ही अपन प्राथमिक स्कूल मौजूद हैं। हरियाणा में हाल ही में प्राथमिक बच्चों के लिए एक एआईई केंद्र की स्थापना की गई है, जो गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूरदराज की बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में किया गया है। हरियाणा और मध्य प्रदेश में गांव से बाहर स्थित अपर प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को साईकिल प्रदान की जाती है।

पीआइआई सहभागिता

3.11 स्कूल किस प्रकार के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, वह दर्शाता है कि गांवों में अधिकांश सरकारी स्कूल हैं, जिस में सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानी निकाय के स्कूल भी शामिल हैं। चयनित गांवों में 90% से अधिक सरकारी स्कूल हैं। ब्लॉक स्तर पर 75% स्कूल सरकारी थे। स्थानीय शासी निकायों की सहभागिता (पंचायती राज संस्थान) स्कूल प्रबंधन में देखी गई। जो समुदाय के साथ मिलकर बेहतरीन सुविधा प्रदान करती हुई प्रतीत हुई, जिससे विकेन्द्रीकृत आयोजना में सुधार हुआ है तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में कार्यान्वयन काफी प्रचूर मात्रा में था और काफी हद तक

राजस्थान में भी ऐसा देखा गया। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चयनित जिलों में सरकारी निकाय के कुछ ही स्कूल थे, जिसका तात्पर्य है कि वे अधिक व्यापक स्तर पर नहीं हैं और उन्हें कुछ ही क्षेत्रों/गांवों में ही देखा जा सकता है। राजस्थान में पंचायती राज सहभागिता बिना चुने हुए गांवों में रूची के साथ ब्लॉक स्तर पर उनकी सहभागिता देखी गई है। हरियाणा और राजस्थान में निजी स्कूल काफी मात्रा में हैं तालिका 3.4 दर्शाती है कि चयनित गांवों और ब्लॉकों में किस प्रकार के प्रबंधन द्वारा स्कूल चलाये जा रहे हैं।

तालिका 3.4 : स्कूल प्रबंधन का प्रकार

	चयनित गांवों से स्कूलों का %				चयनित ब्लॉकों में स्कूलों का %				
राज्य/ यूटी	स्थानीय निकाय स्कूल	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	प्राइवेट स्कूल	सरकारी स्कूल	स्थानीय निकाय स्कूल	सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	प्राइवेट स्कूल	सरकारी स्कूल	ईजीएस केंद्र
आंध्र प्रदेश	81	0	0	19	69.34	2.33	24.84	1.16	2.33
असम	0	39	4	57	3.23	15.75	15.17	38.29	27.56
बिहार	0	5	0	95	4.46	3.34	0.11	92.08	0.00
चंडीगढ़	0	0	75	25	0.00	29.26	18.75	1.99	50.0
हरियाणा	0	0	24	76	0.00	0.38	42.70	52.40	4.52
हिमाचल प्रदेश	0	0	12	88	0.00	0.00	15.93	79.82	4.25
मध्य प्रदेश	0	0	0	100	0.00	2.76	1.23	90.98	5.02
राजस्थान	0	0	13	87	20.80	0.05	30.57	46.41	2.18
तमिलनाडु	38	18	0	44	59.14	12.74	9.08	17.53	1.51
उत्तर प्रदेश	15	0	0	85	7.14	2.75	11.65	76.08	2.38
पश्चिम बंगाल	0	96	4	0	0.60	57.29	24.75	0.00	17.37
सभी राज्य/ यूटी	17.9	14.4	6.1	61.5	12.27	7.48	16.31	55.04	8.90

पंजीकरण और उपस्थिति

3.12 अधिक संख्या में प्राथमिक स्कूल, अपर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए जाने के प्रयासें के परिणामस्वयप पंजीकरण में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। वंचित रही बस्तियों में ईजीएस केंद्र और स्कूल से बाहर रहे बच्चों के लिए एआईई केंद्र काफी मात्रा में खुले हैं। अन्य हस्तक्षेपों जैसे पंजीकरण अभियान स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुधार, प्रोत्साहन जैसे मुफ्त किताबे, मुफ्त वर्दियां, मध्याह्न भोजन भी हुए हैं। जिससे चयनित प्रतिदर्श में पंजीकरण अनुपात में सुधार हुआ

है और यह दर 2003 में 89.5% थी जो बढ़कर 2007 में 92.9% हो गई। तालिका 3.5 2003 और 2007 के दौरान सकल पंजीकरण अनुपात को दर्शाती है।

तालिका 3.5 सकल पंजीकरण अनुपात*

राज्य/ यूटी	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	चंडीगढ़	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	सभी राज्य/
जीईआर- (%) 2003	98.3	99.2	87.8	60.8	98.2	98.1	99.3	83.7	99.1	68.6	97.8	89.5
जीईआर- (%) 2007	99.6	103.4	94.5	107.6	97.9	94.1	101.5	102.7	99.6	77.1	79.1	92.9

*चयनित ब्लॉकों में

3.13 राज्यों के बीच पंजीकरण की दर असम, बिहार, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ी है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह स्थिर रही है एवं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह कम हो गई है।

3.14 6-14 वर्ष की आयु समूह में बच्चों की जनसंख्या में कमी आई है परिणामस्वरूप चयन किए गए 5 ब्लाकों में पंजीकरण घटा है और/ या यह बाही प्रवर्जन के कारण ऐसा हुआ है गुहाला और महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) ने सूचित किया है कि 2007 में बच्चों की जनसंख्या में 2003 की तुलना में क्रमश: कमी आई है, जो 35.8% से घटकर 10.7% हो गई है (तालिकार 3.6)। भारमोर, मिझाडी और नादोल (हिमाचल प्रदेश) ने 2007 के दौरान बाल जनसंख्या में क्रमश: 6.2%, 7.81% और 1.3% की कमी सूचित की है। 9 ब्लॉकों में बाल जनसंख्या में कमी आने की सूचना दी गई है लेकिन वहां पंजीकरण बढ़ा है और 3 ब्लाकों में यद्यपि बाल जनसंख्या घटी है फिर भी इसका पंजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

तालिका 3.6 चयनित ब्लाकों में (6-14 वर्ष) बाल जनसंख्या में कमी					
राज्य/ यूटी	जिला	ब्लॉक	बाल जनसंख्या में कमी (%)	जीईआर (%)	
				2003	2007
आंध्र प्रदेश	चित्तूर	मदान पल्ली	17.0	99.2	99.2
	चित्तूर	पकाला	8.1	97.9	107.6
	महबूब नगर	अमनताल	30.9	97.2	98.6
	महबूब नगर	मनोपाड़	11.4	92.4	93.5
चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़	26.8	60.9	112.9
हरियाणा	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	10.7	98.3	95.9
	कैथल	गुहला	35.8	99.3	97.2
हिमाचल प्रदेश	चम्बा	भरमौर	6.2	99.4	95.9
	हमीरपुर	बिझारी	7.8	98.3	91.7
	हमीरपुर	नादौन	1.3	98.4	90.9
मध्य प्रदेश	उज्जैन	उज्जैन	33.5	100.3	102.0
राजस्थान	जालौर	जालौर	20.0	65.8	124.5
	बारन	शाहबाद	1.4	97.1	111.6
उत्तर प्रदेश	बरेली	फतेहगंज	10.4	42.9	53.3
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	तबोलई	0.4	100	100
	कन्याकुमारी	किलीयुर	2.3	100	100
	धर्मपुर	नलमपल्ली	4.9	97.2	98.4

3.15 6 अन्य ब्लाकों में पंजीकरण में गिरावट आई, लेकिन इसका कारण बाल जनसंख्या में कमी आना नहीं था। खैराबाद (राजस्थान), पालकोड (तमिलनाडु), बेहेरी और मलासा (उत्तर प्रदेश), मलीगारा और हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल) में यद्यपि बाल जनंसख्या में वृद्धि दर्ज हुई है] लेकिन वहां पंजीकरण अनुपात में गिरावट आई है जिसका कारण या निजी स्कूलों में शिफ्ट करना रहा है या ओवर एज बच्चों के पंजीकरण में कमी आई है, या अपर प्राथमिक स्कूलों की कमी के कारण बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में खोरी बाडी ब्लॉक में पंजीकरण की कमी प्रशासनिक कारणों से हुई है यानि ब्लाक को 2 सर्कल्स में बांट दिया गया था।

3.16 स्कूलों में पहुंच में सुधार के कारण स्कूलों में उपस्थिति पर सकारात्मक

प्रभाव प्रड़ा है क्योंकि 62% सकूलों ने छात्रों की उपसथिति 75% से अधिक रिपोर्ट की है। फिर भी, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में छात्रों की अनुपस्थिति काफी उच्च रही है। चंडीगढ़ में एआईई केंद्रों से कमजोर उपस्थित रहने की सूचना मिली है। तालिका 3.7 छात्रों की देखी गई उपस्थिति दर को दर्शाती है।

तालिका 3.7 छात्र उपस्थिति दर और मध्याह्न भोजन					
राज्य/ यूटी	% छात्र उपस्थिति दर और मध्याह्न भोजन				मध्याह्न भोजन कराने वाले स्कूलों का %
	90-100%	**75-90%**	**45-75%**	**<45%**	
आंध्र प्रदेश	66.68	29.16	4.16	0	100
असम	20.87	25.00	45.80	8.33	62.5
बिहार	0	0	72.00	28.00	60.0
चंडीगढ़	33.30	33.30	0	33.30	100
हरियाणा	30.72	53.80	15.30	0	69.2
हिमाचल प्रदेश	46.10	46.21	7.69	0	69.2
मध्य प्रदेश	5.50	50.00	44.40	0	83.3
राजस्थान	10.56	73.65	15.77	0	100
उत्तर प्रदेश	3.12	15.60	50.60	31.20	93.7
तमिलनाडु	96.66	3.33	0	0	100
पश्चिम बंगाल	42.86	38.09	9.52	9.52	100
सभी राज्य/ यूटी	33.30	28.80	27.90	9.90	85.6

3.17 छात्रों ने स्कूल से दूरी अधिक बताई, गृह कार्य (भाई बहनों की देखभाल) माता - पिता की सहायता, खराब स्वास्थ्य, त्यौहार एवं मौसमी प्रवजन आदि अन्य कारण भी बताए हैं जिससे उपस्थिति में नियमितता नहीं आ पाती। यद्यपि 85%छात्रों ने उल्लेख किया है कि यदि मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाता है, तो भी वे सतत रूप से स्कूल आते रहेंगे एवं 86% माता - पिताओं ने सूचित किया है कि यदि मध्याह्न भोजन समाप्त कर दिया जाता है तो भी वे अपने बच्चों को स्कूल नियमित रूप से भेजते रहेंगे। असम और बिहार के 40%स्कूलों

ने मध्याहन भोजन देना शुरू ही नहीं किया है(तालिका 3.7)। नारनौल (हरियाणा) और पश्चिम बंगाल के कुछ केंद्रो ने सीडीएम शुरू ही नहीं किया। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किये गये अनुसंधान के अनुसार असम के स्कूल में मनोरंजन के पर्याप्त अभाव के कारण और माता - पिता की कमजोर प्रेरणा होने से अनुपस्थिति में ये आकस्मिक कारण बने है। असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बेहतरीन उपस्थिति दरों में सुधरी हुई पंजीकरण दरें नहीं दर्शायी है।

स्कूल से बाहर रहे बच्चे

3.18 पंजीकरण अनुपात में सुधार के बावजूद भी बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में काफी बच्चे स्कूल से बाहर थे, तालिका 3.8 में दर्शाया गया है:-

तालिका 3.8 स्कूल से बाहर रहे बच्चे

राज्य/ यूटी	ओओएससी घरों की संख्या	ओओएससी कुल संख्या (स्कूल छोड़ने वाले)	श्रेणी से ओओएससी			जिन में बालिकाओं की संख्या	प्री – प्राइमरी घटक के साथ स्कूल
			एससी/ एसटी	ओबीसी	सामान्य		
आंध्र प्रदेश संo=(120,24)	4 (3.3)	4 (50)	2 (50)	2 (50)	0	3 (75)	0
असम संo=(120,24)	0	0	0	0	0	0	18 (75)
बिहार संo=(120,25)	20 (16.6)	20 (85)	4 (20)	13 (65)	3 (15)	11 (55)	0
चंडीगढ़ संo=(20,3)	0	0	0	0	0	0	3 (100)
हरियाणा संo= (80,14)	5 (6.25)	5 (60)	5 (100)	0	0	2 (40)	7 (50)
हिमाचल प्रदेश संo=(70,13)	3 (4.2)	4 (75)	4 (100)	0	0	3 (75)	0
मध्य प्रदेश संo=(130,18)	4 (3.0)	6 (66.6)	6 (100)	0	0	3 (50)	0
राजस्थान संo=(120 ,19)	11 (9.1)	11 (81.8)	7 (63.6)	4 (36.4)	0	10 (90.9)	0
तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	1

सं0=(120,30)							
उत्तर प्रदेश सं0=(170,32)	29 (17.0)	45 (75.5)	25 (55.5)	16 (35.5)	4 (8.9)	20 (44.4)	0
पश्चिम बंगाल सं0=(80,20)	7 (8.7)	8 (87.5)	2 (28.5)	1	5 (71.4)	5 (62.5)	1
सभी राज्य/ यूटी **सं0=(1150,222)**	**83 (7.2)**	**103 (76.6)**	**56 (54.3)**	**34 (33.0)**	**13 (12.6)**	**57 (55.3)**	**30 (13.5)**

एन1, एन2 (घरों की संख्या, स्कूलों की संख्या)
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

3.19 प्रतिदर्श के लिए 7.2%घरों में स्कूल से बाहर रहे ओआएससी बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे थे ओर उनमें से आधे से भी अधिक बच्चे सामाजिक रूप से वंचित समूहों (एससी/ एसटी) से थे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्कूल से बाहर रहे सभी बच्चे एससी/ एसटी घरों से थे। स्कूल से बाहर रहे बच्चों में 76.6%बच्चे पहले ही बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले थे।

3.20 जैंडर संबंधी असमानता भी देखी गई, क्योंकि ड्रॉप आउट्स/ ओओएससी में 55%लड़कियां थीं। राजस्थान में बीच में स्कूल छोड़ने वालों में लड़कियों की अधिकता थी। बिहार, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्कूल से बाहर रहने वालों के कारण शामिल हैं – ''घर का कार्य''। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्कूल छोड़ने वालों में ज्यादातर लड़के थे, जिसका कारण था ''बाहर का कार्य करना'। तमिलनाडु सरकार द्वारा 2005 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रवजन, अर्जन की मजबूरी, घर के कार्य और फेल हो जाना आदि भी बच्चों के स्कूल से बाहर रहने के कुछ कारण हैं।

3.21 स्कूल से बाहर रहे 70% बच्चे स्कूल में रहना चाहते थे और स्कूल, अध्यापकों और माता - पिताओं से उनकी उम्मीद मुफ्त में वर्दी लेने की थी तथा स्कूल से अच्छी अवसंरचना, छात्रवृत्ति और पढ़ाई में अच्छी गुणवत्ता की अपेक्षा थी(उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल) कोई दण्ड न हो(बिहार, राजस्थान) अध्यापक अनुशासन प्रिय हों (हिमालच प्रदेश, उत्तर प्रदेश) और माता - पिताओं को घर का कार्य देने से बचना चाहिए(बिहार और पश्चिम बंगाल)।

3.22 जागृति पैदा करने के साथ- साथ पंजीकरण अभियान नियमित एवं

विधिवत रूप में शुरू करने की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र 38%माता - पिता को ही पंजीकरण अभियान याद था, जिसे हाल के वर्षों में शुरू किया गया था। 45%घरों में एसएसए स्कीमों की जानकारी का अभाव था। (तालिका 6.5) तमिलनाडु के घरों में एसएसए की स्कीमों के बारे में अधिकतम जानकारी थी (96%) असम (90.8%) और बिहार (80%) सबसे कम जानकारी उत्तर प्रदेश 18%) राजस्थान (33%) हरियाणा (36%) हिमाचल प्रदेश (41%) मध्य प्रदेश (44%) थी।

3.23 स्कूलों में प्री प्राथमिक घटक की उपस्थिति से स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के प्रकरण बढ़े हैं, क्योंकि सिबलिंग्स (भाई – बहनों) की देखभाल की जिम्मेदारी से लड़कियों को मुक्त रखा जाता है, यह देखा गया कि बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चयनित गांवों में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या काफी थी, वहां प्राथमिक स्कूलों के साथ प्री प्राथमिक सैक्शन नहीं चलाए जाते थे। दूसरी तरफ असम में 75% स्कूल और चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों के साथ प्री प्राथमिक सैक्शन थे और इन राज्यों के चयनित गांवों से बीच में स्कूल छोड़ने या स्कूल से बाहर रहने के कोई मामले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

3.24 मात्र चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल में प्राथमिक सैक्शन्स में ''कोई डिटेंशन नहीं'' की नीति अपनाई गई थी। 2007 में प्राथमिक सैक्शन्स में (कक्षा I और II) असफलता की दर असम और मध्य प्रदेश में अधिक थी और हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में परीक्षा में नही बैठने वालों की संख्या उच्च थी। (तालिका 3.9) असफलता दर के अधिक रहने का कारण था कि एकल अध्यापक वाले स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता कम थी (असम) मल्टी ग्रेड स्कूल (मध्य प्रदेश) जबकि हरियाणा और राजस्थान में मौसमी प्रवजन काफी संख्या में बच्चों को टर्म ओर परीक्षा में बैठने से बचाता है। एक बात अनुकूल पाठ्यक्रम एवं लचीली मूल्यांकन प्रणाली (अनेक यूनिट टैस्ट एवं परीक्षा के स्थान पर) से सीखने की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है। मौसमी प्रवजन की स्थिति को प्रवजन संभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान में रखकर शैक्षणिक कलेण्डर तैयार करना

चाहिए। माइग्रेट्री कार्डस और सीजनल छात्रावासों की स्थापना करने रिटेंशन की दरों में सुधार लाया जा सकता है।

तालिका 3.9 कक्षा I और II बच्चों के पास होने की प्रतिशतता			
राज्य/ यूटी	**पास प्रतिशतता (%)**	**फेल हुए बच्चे (%)**	**जो बच्चे परीक्षा में नहीं बैठे (%)**
आंध्र प्रदेश	91.68	6.55	1.77
असम	90.95	13.46	0.00
बिहार	93.85	3.15	2.99
चंडीगढ़	100	0.00	0.00
हरियाणा	71.28	7.91	20.80
हिमाचल प्रदेश	88.67	2.52	8.81
मध्य प्रदेश	68.34	17.21	14.32
राजस्थान	83.01	0.00	16.19
तमिलनाडु	93.56	3.89	0.57
उत्तर प्रदेश	90.40	5.67	2.47
पश्चिम बंगाल	100	0.00	0.00
सभी राज्य/ यूटी	**88.34**	**5.49**	**6.17**

3.25 स्कूल से बाहर रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप रेखा में उल्लिखित गतविधियां ही अपनाई जा रही है जैसे ईजीएस/ एआईई केंद्र स्थापित करना। आवासीय या गैर आवासीय ब्रिज पाठ्यक्रम लड़कियों के लिए व्यावसायिक शिविर, गतिशील स्कूल आदि। अनेक राज्यों में माइग्रेंट श्रमिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जैसे साक्षर स्कूल महाराष्ट्र के गन्ना कार्यकर्ताओं के लिए, यो बोट स्कूल, सैंड स्कूल आदि आंध्र प्रदेश में खोले गए हैं। बिहार में विद्यालय चलो केंद्र अधिकांश स्कूलों में कार्यरत हैं, जो मानते हैं कि उन्होंने काफी हद तक बच्चों की बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद वापस बुलाया है और उन्हें स्कूल से बाहर रहने से के लिए रोका है। संलग्नक 3.2 बीच में स्कूल

छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा शुरू की गई नवप्रवर्तनकारी गतिविधियों को दर्शाता है।

सर्वोत्तम प्रणालियां

1. बीच में स्कूल छोड़ने वाले और स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चें के लिए उड़ीसा में आरोहरण नामक एक परियोजना है। प्रत्येक गांव एवं जिला स्तर पर विभिन्न आयु समूहों में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के आंकड़े, जिनमें अनेक और अभिभावकों के नाम भी शामिल हैं, का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता है और प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र की जिम्मेदारी दी गई है कि वे माता - पिताओं को सक्रिय बनाते हुए उनके बच्चों का पंजीकरण करे। आरोहरण परियोजना का नयापन है कि यह पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद बच्चों को मुख्य धारा में लाता है और उन्हें औपचारिक स्कूल में बनाए रखने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करता है। वह ऐसा संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति के जरिए करता है और प्रत्येक बच्चे का साप्ताहिक मूल्यांकन करता है तथा बच्चों की अन्य गतिविधियों की मैपिंग भी करता है और प्रत्येक बच्चे की नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाती है, जो ब्रज कोर्स में पंजीकृत किये जाते हैं वे एक उपचारात्मक अध्याप के रूप में कार्य करते हैं तथा स्कूल में बच्चों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करते हैं।

2. गुजरात में बच्चों को प्रवर्जन कार्ड में उल्लिखित प्रगति के आधार पर विद्यार्थियों को माइग्रेट्री कार्ड भी जारी किए जाते हैं और उसे बच्चे को जहां वह माइग्रेट करके जिस गांव में जाता है उसके स्कूल में उसे अनुकूल कक्षा में पंजीकृत कर दिया जाता है। माइग्रेशन अवधि के बाद जब वह अपने माता - पिता के साथ वापस आ जाता है, तो वह उसी कक्षा में शिक्षा को जारी रख्ता है और उसके लिए वार्षिक परीक्षा में भी बैठता है।

अंतरालों को भरना

3.26 जेंडर समानता अनुपात और सामाजिक समानता अनुपात में सुधार करने के

लिए समावेशी अवधारण हेतु एसएसए ने सभी हस्तक्षेप उपलब्ध कराते हुए समानता पर सुदृढ़ रूप से ध्यान केंद्रीत किया है।

3.27 लक्षित हस्तेक्षरों के माध्यम से लड़कियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रणाली को प्रतिक्रयावादी बनाया गया है जो स्कूलों में लड़कियों की पहुंच और रिटेंशन को बढ़ाने के लिए आकर्षीकारण है और दूसरी तरफ लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रशिक्षण और गतिशीलता के माध्यम से समुदाय की मांग को सृजित करता है। इसे महिला अध्यापकों की भर्ती के माध्यम से हासिल किया जाना था, ताकि महिला अध्यापकों को 50%अनुपात हासिल किया जा सके, क्योंकि वे लड़कियों के लिए रोल मॉडल का काम करती है। स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने की आवश्यकता है और उनके प्रोत्साहन के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, वर्दियां एवं छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए।

3.28 उपर्युक्त के अलावा बुनियादी स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) जो एसएसए का एक घटक है, को 2600 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में 2003 में शुरू किया गया और ध्यान केंद्रित हस्तक्षेपों में शामिल थे, जैंडर ग्राह्यता, मॉडल स्कूल शुरू करना, एस्कोर्ट सेवाओं का प्रावधान, स्टेशनरी और सघन सामुदायिक गतिशीलता संबंधी प्रयास।

3.29 इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप जैंडर समानतानुपात में सुधार हुआ और यह 2003 के मुकाबले 2007 में क्रमश: 0.87%से 0.89%हो गया। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़कर लड़कियों का पंजीकरण अनुपात सभी राज्यों में बढ़ा है। असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जैंडर समानता अनुपात 0.90 से अधिक था तालिका 3.10 लड़कियों, एससी/ एसटी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हिस्से को दर्शाती है।

तालिका 3.10 : कुल पंजीरण में लड़कियों, एससी/ एसटी (ज) और सीडब्ल्यूएसएन के हिस्से का प्रतिशत

राज्य/ यूटी	लड़कियों का पंजीकरण **(2003)**	लड़कियों का पंजीकरण **(2007)**	एससी/ एसटी पंजीकरण **(2003)**	एससी/ एसटी पंजीकरण **(2007)**	सीएसडब्ल्यूएन पंजीकरण **(2003)**	सीएसडब्ल्यूएन पंजीकरण **(2007)**
आंध्र प्रदेश	47.07	45.35	35.1	36.6	0.55	0.49

असम	47.84	49.76	24.0	17.8	0.26	1.69
बिहार	44.77	45.79	18.4	22.4	0.29	0.96
चंडीगढ़	44.97	44.69	37.2	31.8	0.35	3.57
हरियाणा	47.29	49.08	40.3	40.4	0.62	1.37
हिमाचल प्रदेश	48.02	45.65	55.8	54.2	1.81	1.20
मध्य प्रदेश	48.34	46.51	68.6	69.5	0.26	0.34
राजस्थान	40.06	44.31	53.8	56.4	0.67	1.74
तमिलनाडु	47.8	47.12	15.4	14.4	0.56	0.85
उत्तर प्रदेश	45.77	48.23	38.0	34.1	0.33	0.66
पश्चिम बंगाल	49.5	50.10	50.1	41.8	0.34	0.67
राज्य/ यूटी	**46.4**	**47.10**	**32.9**	**31.8**	**0.43**	**1.17**

3.30 शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में लड़कियों के पंजीकरण अनुपात में ठोस वृद्धि हुई। जालौर (राजस्थान) में लड़कियों का अनुपात 25%बढ़ा तथा बिहार के कस्बानगर मेंयह 14%बढ़ा। तालिका 3.11 चयनित शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में हुई वृद्धि को दर्शाती है। आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी चयनित ईबीबी (एस) में एनपीईजीईएल स्कीमें प्रचालन में भी बिहार (35 में से 32) पश्चिम बंगाल (5 ब्लॉकों में से 2)। हरियाणा में जरूरतमंद लाभार्थियों को साईकिल और स्कूल बैग वितरित किए गए। शौक/व्यावसायिक और उपचारात्मक कक्षाएं भी आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में क्लस्टर केंद्रों पर आयोजित की गई। संलग्नक 3.3 एनपीईजीईएल के अंतर्गत की गई गतिविधियों को दर्शाता है।

तालिका 3.11 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के स्कूलों में लड़कियों का पंजीकरण

राज्य	ईबीबी ब्लॉक	कुल पंजीकरण की प्रतिशतता		पंजीकरण का अंतर
		2003	**2007**	
आंध्र प्रदेश	अमंगल	41.16%	46.21%	5.05%
आंध्र प्रदेश	मानपाड	43.09%	44.87%	1.78%
आंध्र प्रदेश	अमलापू	47.93%	47.07%	-0.86%
बिहार	कुराहनी	44.25%	44.85%	0.61%
बिहार	बोचाहन	46.55%	48.25%	1.70%
बिहार	कस्बा नगर	28.33%	42.22%	13.89%
बिहार	बरियारपुर	37.23%*	40.49%	3.26%
हरियाणा	कलायत	47.11%	45.79%	-1.32%

हिमाचल प्रदेश	भरमौर	49.12%	46.73%	-2.39%
मध्य प्रदेश	थंडला	45.68%	47.54%	1.86%
मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	39.52%	43.63%	4.11%
राजस्थान	रणवाड़ा	33.42%	41.02%	7.60%
राजस्थान	अंता	45.93%	47.57%	1.64%
राजस्थान	शाहबाद	40.85%	49.16%	8.32%
राजस्थान	जालौर	25.72%	51.37%	25.65%
तमिलनाडु	पालाकोड	45.95%	45.05%	-0.90%
उत्तर प्रदेश	फतेह गढ़ (डब्ल्यू)	20.22%	27.58%	7.36%
उत्तर प्रदेश	बहेड़ी	25.05%	25.51%	0.46%
उत्तर प्रदेश	जमुन्हा	39.60%	42.73%	3.13%
उत्तर प्रदेश	इलकूना	25.35%	32.73%	7.38%
चुने हुए प्रतिदर्श में ईबीबीएस, 2005 के आंकड़े				

3.31 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एसएसए मानदंडों से महिला अध्यापकों (क) अनुपात कम था (तालिका 3.12)। सभी पुरूष अध्यापक स्कूल असम में (62%) बिहार32%) मध्य प्रदेश (44%) राजस्थान (47%) उत्तर प्रदेश (21.9%) (तालिका 4.3)। असम, बिहार और मध्य प्रदेश के सभी महिला स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश में कमी आई है। यह दर्शाता है कि यद्यपि क्षेत्रीय भिन्न्ताएं हैं, लेकिन स्कूलों में और अधिक महिला अध्यापकों के लेने से लड़कियों के पंजीकरण में सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं है।

3.32 मुफ्त पुस्तकों के अलावा, प्रोत्साहन जैसे मुफ्त वर्दी एवं अल्प राशि की छात्रवृत्ति यानि 15 रूपये प्रति माह, मध्य प्रदेश के स्कूलों में एससी/ एसटी लड़कियों को प्रदान की जाती है, हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूलों में भी प्रदान की जाती है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर सभी लड़कियों को प्रदान की जाती है और महाराष्ट्र में छात्राओं को उपस्थिति प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

3.33 मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता शिक्षा के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए नवप्रवर्त्तनकारी राज्य स्कीमें भी प्रचालन में हैं। कक्षा VIमें पंजीकृत एससी/ एसटी को 500 रूपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई थी। कुछ राज्यों में फिक्सड डिपोजिट स्कीमें भी हैं और छात्राओं को शिक्षा की समाप्ति पर यह राशि प्रदान की जाती है।

3.34 सामाजिक रूप से वंचित रहे बच्चों (एससी/ एसटी) का हिस्सा कोई प्रगति नहीं दर्शाता है (तालितका 3.10)। फिर भी यह जनसंख्या में उनके हिस्से से काफी अधिक है क्योंकि स्कूलों में अधिक आयु के काफी बच्चे पंजीकृत हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पंजीकरण का हिस्सा दर्शाता है कि अधिकांश एससी/ एसटी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पंजीकृत थे।

3.35 स्कूलों में एससी/ एसटी अध्यापकों की संख्या 21% थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां इन श्रेणियों के बच्चों का ठोस अनुपात था वहां एससी/ एसटी अध्यापकों का अनुपात क्रमश: 39 और 13% था (तालिका 3.12)। हरियाणा के स्कूलों में एससी/ एसटी अध्यापकों की संख्या काफी अधिक यानि 63%, पश्चिम बंगाल (30%) असम (17%) बिहार (17%) थी उत्तर प्रदेश (13%) से अधिक थी।

तालिका 3.12 स्कूलों में महिला अध्यापकों और एससी/ एसटी अध्यापकों की संख्या

राज्य\यूटी	महिला अध्यापकों का %	एससी/ एसटी अध्यापकों का %
आंध्र प्रदेश	43.9	21.3
असम	25.0	17.5
बिहार	33.3	17.4
चंडीगढ़	70.4	24.1
हरियाणा	34.1	63.6
हिमाचल प्रदेश	22.4	23.7
मध्य प्रदेश	36.0	38.7

राजस्थान	30.1	13.2
तमिलनाडु	66.1	6.5
उत्तर प्रदेश	53.3	12.7
पश्चिम बंगाल	38.5	30.0
राज्य/ यूटी	**42.7**	**21.0**

3.36 सीडब्यूएसएन का पंजीकरण कुल जनंसख्या के बच्चों के पंजीकरण में 2003 में 0.43% था जो 2007 में बढ़कर 1.71% हो गया, असम, चंडीगढ़ और राजस्थान में अनुपात में सुधार हुआ है (तालिका 3.10)। स्कीम के अंतर्गत, असाहय बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा (आईईडी), शिक्षण तकनीकों के संबंध में अध्यापकों को प्रदान की गई तथा वैयक्तिक शिक्षा के लिए योजनाएं तैयार करना भी उसमें शामिल किया गया, बच्चें को सहायक प्रणालियां जैसे – श्रवण सहायता, उपस्कर, चश्मा और व्हील चेयर, ब्रेलकिट्स आदि प्रदान करना शामिल है। कुछ राज्यों में गंभीर रूप से असहाय बच्चों के शल्य चिकित्सा ऑपरेशन भी कराए गए। चंडीगढ़ में कुछ एनजीओ (ज) द्वारा गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी स्कूलों में जहां सीएसडब्ल्यूएन थे, के लिए कोई वैयक्तिक योजनाएं नहीं बनाई गई। ऐसे बच्चों के लिए रिटेंशन दर सहायक शैक्षणिक और स्कूल पर्यावरण के अभाव में बहुत कमजोर रही है। आईईडी के अंतर्गत सीडब्ल्यूएसएन पर निधियों के सदुपयोग की दृष्टि से असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 2007 में आबंटित राशि के 90%का सदुपयोग किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश (44%) बिहार (41.3%) और चंडीगढ़ (27.1%) ईआईडी के लिए आबंटित निधि का सदुपयोग नहीं कर पाए। संलग्नक 3.4 असहाय बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा स्कीम के अंतर्गत राज्यों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों को दर्शाता है।

सर्वोत्तम प्रणालियां

गोवा में असहाय बच्चों के लिए एक वाउचर स्कीम है, जिसमें वर्दी के लिए 500 रूपए, पाठ्य पुस्तकों के लिए 2000 रूपए, परिवहन भत्ते के लिए 2000 रूपए और एस्कोर्ट भत्ते के लिए 2000 रूपए शामिल हैं। आईईडी कार्यान्वित करने वाले स्कूलों के लिए स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अध्याय-4
शिक्षा की गुणवत्ता

4.1 एसएसए के आरंभिक वर्षों के दौरान, मुख्य जोर अवसंरचनात्मक अंतरालों को पाटने पर दिया गया क्योंकि यह मान लिया गया था कि एक अनुकूल वातावरण से शिक्षा में सहायता मिलती है और सरकारी स्कूलों द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सकेगा।

4.2 राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था और इसके लिए रणनीतियां तैयार करनी थीं, जिसके लिए अध्यापकों की भर्ती की जानी थी और प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक की नियुक्ति का मानदण्ड सुनिश्चित करना था, स्कूल में सुविधाएं बढ़ाई जानी थी, पाठ्य पुस्तकों का मुफ्त प्रबंध करना था, अध्यापकों का सेवाकालीन नियमित प्रशिक्षण देना था, मरम्मत और अनुरक्षण तथा शिक्षण व लर्निंग की सामग्री हेतु स्कूल को अनुदान दिया जाना था।

अवसंरचनात्मक सुविधाएं

4.3 अधिकांश स्कूलों (88%) में सभी मौसम के लिए पक्की इमारत थी। असम में स्कूल भवनों की दशा बहुत खराब रिपोर्ट की गई क्योंकि सभी स्कूल 20 वर्ष से भी अधिक पुराने थे और कुछ स्कूल तो मेकशिफ्ट और कच्चे भवनों में चलाये जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भी पक्के स्कूल भवनों की प्रतिशतता कम थी तालिका 4.1 स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा दर्शाती है।

4.4 चयनित प्रतिदर्शों में 55% स्कूलों में 3 से भी कम कक्ष थे और 25% में 4 से 6 कक्षा कक्ष थे। कुछ में 6 से भी अधिक कक्षा कक्षा थे। चंडीगढ़ और हरियाणा के स्कूलों में बेहतरीन सुविधाएं और पक्के भवन थे साथ में चार दीवारी और 3 से अधिक कमरे भी थे। आंध्र प्रदेश में कुछ स्कूलों में चार दीवारी नहीं थी और अध्यापकों ने कहा कि वहां कंप्यूटर चोरी हो गए हैं और पशु भी घास चरते हैं।

तालिका 4.1 स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं (स्कूलों का %)										
राज्य\यूटी	पक्के भवन के साथ	चारदीवारी के साथ	पेयजल के साथ	सामान्य शौचालय के साथ	लड़कियों के शौचालय के साथ	ब्लैक बोर्ड के साथ	विद्युत के साथ	कंप्यूटर सेंटर के साथ	टीएलएम के साथ	1-3 तक कक्षा कक्ष के साथ
आंध्र प्रदेश	91.6	58.3	87.5	79.1	41.6	100.0	41.6	12.5	100.0	54
असम	62.5	33.3	95.8	83.3	41.6	100.0	8.3	4.1	91.6	79
बिहार	100.0	52.0	84.0	64.0	40.0	92.0	4.0	8.0	8.0	36
चंडीगढ़	100.0	100.0	100.0	100.0	66.6	100.0	100.0	66.6	66.6	0
हरियाणा	92.3	92.3	84.6	84.6	61.5	92.3	76.9	7.6	38.4	15
हिमाचल प्रदेश	69.2	46.1	84.6	76.9	46.1	84.6	69.2	15.3	38.4	46
मध्य प्रदेश	100.0	11.1	94.4	77.7	33.3	100.0	16.6	5.5	100.0	83
राजस्थान	100.0	47.37	73.6	84.2	57.8	100.0	5.2	0.0	84.2	68
तमिलनाडु	73.3	70.0	96.6	83.3	40.0	96.6	62.5	33.3	93.3	50
उत्तर प्रदेश	96.8	59.3	100.0	93.7	87.5	100.0	15.6	3.1	90.6	53
पश्चिम बंगाल	95.0	40.0	95.0	90.0	45.0	90.0	35.0	10.0	70.0	65
राज्य/ यूटी	**88.2**	**52.0**	**90.9**	**82.3**	**50.6**	**96.3**	**40.0**	**11.3**	**74.6**	**55**

4.5 स्कूलों में बच्चों की पेय जल की सुविधाओं के संबंध में ठोस सुधार हुआ है। 91% स्कूल नलों, हैंडपम्पों और जल कंटेनरों के माध्यम से पेय जल सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। राजस्थान में 26% स्कूल पेय जल की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और बच्चे स्कूल समय में अपने घर पानी पीने जाते हैं।

4.6 स्कूलों में कॉमन शौचालय की उपलब्धता के संबंध में 82% स्कूलों के पास शौचालय की सुविधा है और 51% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध है। उत्तरी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जहां 60% से अधिक स्कूलों में अलग से शौचालय उपलब्ध थे की तुलना में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में लड़कियों के लिए बहुत कम स्कूलों में (40%) अलग शौचालय थे, अपर प्राथमिक स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय होने से बीच में स्कूल छोड़ने वालों की अनुपस्थिति में कमी आती है और किशोरियों में स्वास्थ्य की सुनिश्चितता बनी रहती है।

4.7 असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूलों में विद्युत कनैक्शन दिया हुआ है। यद्यपि हरियाणा में 77% स्कूलों में और हिमाचल प्रदेश में 70% स्कूलों में विद्युत कनैक्शन थे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में क्रमश: 8% और 16% कंप्यूटर केंद्र थे। बिहार में कंप्यूटर तो दिए गए थे लेकिन वहां बिजली कनैक्शन नहीं था। स्कूलों में कंपूयटर का उपयोग कम करने का एक कारण यह भी था कि प्रशिक्षित कंप्यूटर अध्यापक उपलब्ध नहीं थे।

शिक्षण सामग्री एवं प्रोत्साहन

4.8 हिमालच प्रदेश में कुछ अपवादों को छोड़कर 95% स्कूलों में एक ब्लैक बोर्ड था। (तालिका 4.1) बिहार में ब्लैक बोर्डों की दशा बहुत ही खराब थी, जिससे अध्यापक उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। 96% छात्रों ने सूचित किया है कि शिक्षण के दौरान ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाता रहा है(तालिका 4.2)।

4.9 शिक्षण के दौरान अध्यापकों द्वारा शिक्षण लर्निंग सामग्री (टीएलएम) के उपयोग करने से सीखने में रूचि बढ़ जाती है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में टीएलएम (एस) थी जबकि बिहार में मात्र 8% स्कूलों में और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 38% विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की शिक्षण लर्निंग सामग्री अर्थात चार्ट, नक्शे, पोस्टर आदि कक्षा कक्षों में प्रदर्शित किए गए थे (तालिका 4.1) टीएलएम (एस) में चार्ट/नक्शे सबसे अधिक रूप में उपलब्ध थे जो 73% स्कूलों में उपलब्ध थे, जबकि 18% में पठन सामग्री उपलब्ध थी।

असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ स्कूलों में शैक्षिक खिलौने, पजल्स और गेम्स प्रदान करते हैं। बिहार और चंडीगढ़ जहां मात्र चाट और पोस्टर को छोड़कर सभी स्कूलों में चार्टों का संयोजन, पठन सामग्री, पजल्स और शैक्षिक खिलौने देखे गए।

4.10 आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में छात्रों ने उल्लेख किया है कि अधिकांशत: टीएलएम (एस) का उपयोग किया जाता रहा है(तालिका 4.2)। फिर भी, चंडीगढ़ और हरियाणा के 60% छात्रों और हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी उतने ही छात्रों ने एवं बिहार में 50% छात्रों ने सूचित किया है कि टीएलएम (एस) का उपयोग या तो किया ही नहीं जाता था या कभी कभार। असम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने टीएलएम (एस) के उपयोग के बारे में कहा है कि उनका 90% उपयोग किया गया है।

4.11 सभी अध्यापकों को टीएलएम (एस) तैयार करने के लिए 500 रूपए प्रति वर्ष अनुदान भी दिया गया है, इन अनुदानों का उपयोग स्टेशनरी जैसे पाठ्य पुस्तकें और पैंसिल खरीदने के लिए ही किया गया है। अध्यापकों (चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश) ने सूचित किया है कि शिक्षण सहायता सामग्री तैयार करने के लिए क्लस्टर संसाधन केंद्रों से पर्याप्त मार्गदर्शन का अभाव रहा है।

4.12 स्कूल में पुस्तकालय की उपलब्धता के बारे में छात्रों की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि अधिकांश स्कूलों में पुस्तकालय और बच्चों में पढ़ने की आदत हैं ही नहीं (तालिका 4.2)। वे राज्य जहां अधिकांश छात्रों को पुस्तकालय के अस्तित्व की जानकारी थी, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु (87%), चंडीगढ़ (67%), और मध्य प्रदेश में इसकी जानकारी बहुत कम (0.7%) थी।

4.13 लड़कियों और एससी/ एसटी (ज) को एसएसए के तहत मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई हैं। सभी राज्यों में अपात्र बच्चों को भी राज्य अनुदान/ पुस्तक बैंक से मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। 84.4% ने सूचित किया है कि उन्हें सत्र के शुरू में ही पाठय पुस्तकें मिल गई थीं (तालिका 4.2)।

बिहार और हिमाचल प्रदेश में अपर प्राथमिक छात्रों ने सूचित किया है कि उन्हें सत्र के मध्य और अंत में ही पुस्तकें मिली हैं और हरियाणा के अपर प्राथमिक के कुछ छात्रों को सैट की पूरी पुस्तकें मिली ही नहीं। जांच किए गए स्कूलों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान की लड़कियों और एससी/ एसटी छात्रों को प्रोत्साहन मिला है। बिहार में एससी/ एसटी छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी गई हैं।

तालिका 4.2 प्रोत्साहनों और शिक्षण यंत्रों के उपयोग के संबंध में प्रतिक्रियाएं

राज्य\यूटी	सत्र के आरंभ में पुस्तकें प्राप्त करने वालों का (%)	ब्लैक बोर्ड के उपयोग की सूचना देने वाले छात्रों का (%)	स्कूलों में पुस्तकालय की सुविधा होने की सूचना देने वाले छात्रों का %	टीएलएम (एस) का उपयोग करने की सूचना देने वाले छात्रों का %	छात्रवृत्ति प्राप्त करने की सूचना देने वाले छात्रों का %
आंध्र प्रदेश	100	100	93.7	100	58.3
असम	100	100	1.1	98	54.2
बिहार	25	85	2.0	51	100.0
चंडीगढ़	71	92	66.6	42	33.3
हरियाणा	63	90	10.6	41	21.4
हिमाचल प्रदेश	54	94	53.7	41	7.7
मध्य प्रदेश	97	91	0.7	40	50.0
राजस्थान	100	100	8.6	98	10.5
तमिलनाडु	96	97	87.2	99	66.7
उत्तर प्रदेश	98	96	1.6	71	40.6
पश्चिम बंगाल	97	99	10.1	92	25.0
राज्य/ यूटी	**84.4**	**96**	**31.1**	**77**	**47.7**

स्कूल के सूचक

4.14 कक्षा कक्ष के पठन पाठन का महत्वपूर्ण सूचक है, अध्यापक शिष्य का अनुपात आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अधिकांश स्कूलों

में पीटीआर 40 से कम था, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पीटीआर्स उच्च है। स्कूलों में सुधरे पंजीकरण से 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक का मानदण्ड का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि अध्यापकों की भर्ती कम की गई थी। तालिका 4.3 कुछ स्कूल स्तरीय अनुपातों को दर्शाती है।

4.15 मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में काफी मात्रा में मल्टीग्रेड स्कूल हैं। इन राज्यों में काफी संख्या में प्राथमिक स्कूलों को अपर प्राथमिक स्कूलों में क्रमोन्नत किया या काफी संख्या में ईजीएस केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया था, फिर भी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्ष नहीं थे, मध्य प्रदेश, में 83%, राजस्थान में 68%, तमिलनाडु में 50% स्कूलों में तीन से भी कम कक्षा कक्ष थे। यह स्पष्ट है कि विभिन्न ग्रेड के छात्रों को उसी कक्षा कक्ष में पढ़ाया जा रहा था। जल्दी से अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए, मल्टीग्रेड शिक्षण प्रणालियों में प्रशिक्षित कराया जाए और मल्टीग्रेडिक पुस्तकें शुरू की जाएं। अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण के बाद दीर्घअवधि में मल्टीग्रेडिड स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी।

4.16 एसएसए के प्रति स्कूल दो अध्यापकों के मानदण्ड के बावजूद 7.2% स्कूल एकल अध्यापक वाले थे और लगभग 30% स्कूलों में दो अध्यापक भी नहीं थे, राजस्थान (21%), हिमाचल प्रदेश (15%), असम और उत्तर प्रदेश (12.5%) स्कूल एकल अध्यापक वाले थे।

तालिका 4.3 स्कूलों के सूचक

राज्य\यूटी	केवल पुरुष अध्यापकों वाले स्कूलों का %	**< 40** कम पी टटीआर अनुपात वाले स्कूलों का %	स्कूल अध्यापक वाले स्कूलों का %	स्नातक अध्यापक वाले स्कूलों का %	प्रति स्कूल औसत अध्यापक %	स्कूल में रिक्त पदों की संख्या पदों का प्रतिशत	स्कूलों में अध्यापकों की रिक्तियां (पदों का प्रतिशत)	एसएसएस के अंतर्गत भर्ती किए अध्यापक (कुल अध्यापकों का प्रतिशत)
आंध्र प्रदेश	20.83	83.3	45.8	4.1	78.0	4.0	2.1	128.8
असम	62.50	41.6	16.6	12.5	25.8	4.0	15.4	10.2

बिहार	32.00	24.0	44.0	0.0	35.8	4.5	31.6	78.0
चंडीगढ़	0.00	100.0	33.3	0.0	63.6	17.6	18.9	18.8
हरियाणा	15.38	78.5	53.8	14.2	77.2	3.0	36.2	29.7
हिमाचल प्रदेश	21.43	92.3	61.5	15.3	50.0	3.6	21.3	31.9
मध्य प्रदेश	44.44	61.1	100.0	0.0	68.0	3.2	38.0	43.1
राजस्थान	47.37	68.4	78.9	21.0	73.6	3.5	0	7.5
तमिलनाडु	10.00	93.3	90.0	0.0	44.0	5.9	6.8	5.6
उत्तर प्रदेश	21.88	31.2	62.5	12.5	70.7	3.0	46.0	69.3
पश्चिम बंगाल	20.00	40.0	55.0	0.0	61.2	6.2	13.0	29.8
राज्य/ यूटी	**28.83**	**59.4**	**59.7**	**7.21**	**56.0**	**4.4**	**18.8**	**41.6**

4.17 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की पर्याप्त उपलब्धता न होने को ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी के प्रमुख कारणों में से एक माना गया है। जांच के समय स्कूलों में नियमित अध्यापकों के 19 पद रिक्त थे। हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के सर्वाधिक पद रिक्त थे, यद्यपि एसएसए के अंतर्गत अर्ध अध्यापक भी लिए गए थे, क्योंकि ऐसे अध्यापकों/ ठेके पर लिए अध्यापकों/ शिक्षा स्वयं सेवी भर्ती प्रक्रिया अधिक लचीली थी और ऐसे अध्यापकों के लिए शैक्षिक योग्यता कम कर दी गई थी। यद्यपि अध्यापकों की रिक्तयां 3% से कम थी वीईसी (ज) ने का काफी मात्रा में अर्ध अध्यापकों की भर्ती की थी।

अध्यापकों के सूचक

4.18 यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि योग्य अध्यापकों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा का उसकी गुणवत्ता पर ठोस प्रभाव पड़ता है, लगभग 56% अध्यापक स्नातक थे और उनमें से कुछ के पास स्नातकोत्तर योग्यता थी। (तालिका 4.3) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में असम, बिहार और तमिलनाडु की तुलना में स्नातक अध्यापक अधिक संख्या में थे।

4.19 अध्यापकों की क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में नए अध्यापकों को एक वर्ष में 20 दिन का शुरूआती प्रशिक्षण एवं उन्हं सेवाकालीन प्रशिक्षण भी

प्रदान किया जाना चाहिए (तालिका 4.4)। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने अन्य राज्यों के मुकाबले कम अध्यापकों को ही प्रशिक्षण दिया था। यह सूचित किया गया था कि हिमाचल प्रदेश में अध्यापक प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लेते हैं और हरियाणा में मास्टर प्रशिक्षक विधिवत तैयार नहीं थे। कक्षा कक्षों में अभ्यास के संबंध में प्रशिक्षण की उपयोगिता के बारे में अध्यापकों की प्रतिक्रिया को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है और प्रशिक्षण पुनश्चर्याकृत किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षण के और अधिक नवप्रर्वत्तनकारी तरीके जैस मल्टी ग्रेडिड शिक्षण प्रणालियां, वैक्तिक शिक्षा योजनाएं, अन्य राज्यों की सर्वौत्तम प्रणालियों को अपनाना ना कि गुणवत्ता मॉनीटरण पर जोर देना, नए पाठ्क्रम को सामान्य बनाना आदि।

<table>
<tr><th colspan="3">तालिका 4.4 प्रशिक्षित अध्यापकों का %</th></tr>
<tr><th>राज्य\यूटी</th><th>प्रशिक्षित अध्यापक</th><td rowspan="13">विकास अध्ययन कोलकाता द्वारा 2005 में कराए गए मूल्यांकन अध्ययन जो सेवाकालीन अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में था, उसके विकास मूल्यांकन से पता चला है कि यद्यपि शिक्षा के आधुनिक उपस्करों की ग्राह्यता में अध्यापकों के लिए लर्निंग में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सपुल रहे हैं, ये इन्टर ग्रुप मान्यताओं के संबंध में अध्यापकों को अभिमुखी बनाने में सफल रहे हैं। अधिकांश अध्यापक कहते हैं कि जैंडर संबंधी मुद्दे और असाहय बच्चों से संबंधित मुद्दों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नहीं लिया गया है।</td></tr>
<tr><td>आंध्र प्रदेश</td><td>94.7</td></tr>
<tr><td>असम</td><td>98.1</td></tr>
<tr><td>बिहार</td><td>70.5</td></tr>
<tr><td>चंडीगढ़</td><td>100</td></tr>
<tr><td>हरियाणा</td><td>99.3</td></tr>
<tr><td>हिमाचल प्रदेश</td><td>99.6</td></tr>
<tr><td>मध्य प्रदेश</td><td>95.6</td></tr>
<tr><td>राजस्थान</td><td>83.3</td></tr>
<tr><td>तमिलनाडु</td><td>99.2</td></tr>
<tr><td>उत्तर प्रदेश</td><td>69.5</td></tr>
<tr><td>पश्चिम बंगाल</td><td>41.2</td></tr>
<tr><td>राज्य/ यूटी</td><td>63.8</td></tr>
<tr><td colspan="3">चयनित जिलों में</td></tr>
</table>

4.20 अध्यापकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में लगाना काफी प्रबल रहा है और निर्वाचन ड्यूटी, जनगणना सर्वेक्षण में लगाए गए 74% अध्यापकों में से 54% अध्यापकों ने गैर शिक्षण गतिविधियों के लिए अनिच्छा व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में ऐसे कार्यों के लिए बहुत कम अध्यापकों को लगाया गया था और वे अपने वेतन से सबसे अधिक संतुष्ट थे। वेतन से संतुष्ट रहने के स्तर को प्रेरणा के लिए एक रफ सूचक माना जाता है (तालिका 4.5)। यह देखा गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 90% से भी अधिक अध्यापकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में तथा उत्तर प्रदेश में उन्हें स्कूल के सिविल निर्माण कार्यों एवं पशु सर्वेक्षण के पर्यवेक्षण में भी शामिल किया गया था। इन राज्यों में स्नातक अध्यापकों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक थी और वे अपने वेतन से बहुत कम संतुष्ट थे। पश्चिम बंगाल इससे बाहर प्रतीत होता है, अध्यापकों को गैर शिक्षण गतविधियों में नहीं लगाया जाना चाहिए और प्रेरणा स्तर में सुधार के लिए उन से पाठ्यक्रम तैयार करने संबंधी परामर्श किया जाना चाहिए।

तालिका 4.5 अध्यापकों को गैर शिक्षण गतिविधियों और प्रेरणा स्तरों में शामिल करना				
राज्य\यूटी	उन स्कूलों की % जिन्हें अध्यापकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में लगाया जाता है	उन स्कूलों का प्रतिशत जहां अध्यापक गैर शिक्षण गतिविधियों के प्रति अनिच्छा रखते हैं	उन स्कूलों का % जहां अध्यापकों से पाठ्यक्रम तैयार करने में परामर्श लिया जाता है	उन स्कूलों का % जहां अध्यापक अपने वेतन से संतुष्ट हैं
आंध्र प्रदेश	62.5	62.50	12.5	83.3
असम	75.0	75.00	33.3	75.0
बिहार	88.0	68.00	44.0	80.0
चंडीगढ़	33.3	33.33	0.0	66.6
हरियाणा	92.8	85.71	78.5	14.3
हिमाचल प्रदेश	61.5	38.46	15.3	76.9
मध्य प्रदेश	55.5	50.00	33.3	72.2
राजस्थान	42.1	21.05	10.5	73.6
तमिलनाडु	66.7	46.67	53.3	80.0
उत्तर प्रदेश	93.7	53.13	25.0	65.6
पश्चिम बंगाल	100.0	35.00	10.0	90.0
राज्य/ यूटी	**74.3**	**53.60**	**31.1**	**72.9**
स्कूल मुख्य अध्यापकों/ वरिष्ठ अध्यापकों की प्रतिक्रियाएं।				

4.21 छात्रों ने रिपोर्ट किया है कि असम, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु में अध्यापक नियमित थे (तालिका 4.6)। फिर भी उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में मात्र 88% छात्रों ने उल्लेख किया है कि अध्यापपक नियमित थे।

4.22 शारीरिक या मौखिक अपशब्द, दंड किसी भी रूप में किसी भी रूप में दंड बच्चों में डर पैदा कर देता है, जिससे उनकी उपस्थिति कम होने लगती है और वे सीखने में कम रूचि लेने लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में 26% छात्रों ने उल्लेख किया है कि अध्यापक प्राय: शारीरिक दण्ड देते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में भी अध्यापक शारीरिक दण्ड देते हैं।

तालिका 4.6 अध्यापकों की उपस्थिति और दण्ड के बारे में छात्रों की प्रतिक्रियाएं		
राज्य\यूटी	उन छात्रों का % जिन्होंने सूचित किया है कि अध्यापक नियमित हैं	उन छात्रा का % जिन्होंने सूचित किया है कि अध्यापक दंड देते हैं
आंध्र प्रदेश	97.4	16.1
असम	99.4	0
बिहार	99.5	14.0
चंडीगढ़	87.5	12.5
हरियाणा	97.0	9.6
हिमाचल प्रदेश	91.4	26.2
मध्य प्रदेश	92.3	0.01
राजस्थान	100.0	0
तमिलनाडु	100.0	0
उत्तर प्रदेश	88.0	16.2
पश्चिम बंगाल	96.3	11.3
राज्य/ यूटी	**96.5**	**9.49**

4.23 सामान्यत: स्कूल जाने वाले बच्चों के 84% माता - पिता अध्यापकों से संतुष्ट थे। असंतुष्टि के कारणों में शामिल थे – शिक्षा की घटिया गुण्ववत्ता (6.52%) बिहार के मगेर मुजैफ्फरपुर, पूर्णिया, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) झबुआ (मध्य प्रदेश) में अनुपस्थित रहने वाले अध्यापक (6.52%) थे, महबूबनगर (आंध्र प्रदेश झबुआ (मध्य प्रदेश) मुज्जैफ्फरपुर (बिहार) में (3.82%)। कुछ ने (2%) अध्यापकों द्वारा शारीरिक दण्ड दिए जाने को नापसंद किया है (आंध्र प्रदेश)।

लर्निंग (सीखने की) उपलब्धियां

4.24 कक्षा II (प्राथमिक स्तर) के विद्यार्थियों को एनसीईआरटी के समुचित ग्रेड पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य परीक्षण, पठन, लेखन, अंग्रेजी की दक्षता, स्थानीय भाषा और गणित में लिए गए थे। इसी प्रकार कक्षा VI (अपर प्राथमिक छात्र) के

लिए भी उसी प्रकार पठन, लेखन, अंग्रेजी की दक्षता, स्थानीय भाषा एवं गणित में भी परीक्षण लिए गए थे। प्रश्नों के सैट सभी राज्यों, ग्रामीण और शहरी स्कूलों के लिए एक जैसे थे।

4.25 अंग्रेजी और स्थानीय भाषा उपलब्धियों के परीक्षणों को चार श्रेणियों में रखा गया था जैसे – बिल्कुल नहीं (पढ़ने/ लिखने/ बताने में असमर्थ), कमजोर (40% तक बतानेया 12 शब्द सही लिखने में योग्य) ''आंशिक (40% से 80% तक बताने या 13-25 शब्दों को सही लिखने में योग्य) और पूर्ण (बिना किसी सहायता के 80% बताने और बिना सहायता के 25 शब्द सही लिखने में योग्य) गणित में प्रश्नों के सही उत्तर देने की संख्या के अनुसार अंक दिए गए।

4.26 यह देखा गया है कि राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता आयुवार/राज्यवार अलग – अलग है। कक्षा II में बच्चों का निष्पादन मौखिक परीक्षा में बेहतरीन था, क्योंकि 86% अंकों का सही उच्चारण कर रहे थे, 61% स्थानीय भाषा के वर्णों की सही पहचान कर रहे थे, 60% अंग्रेजी के वर्ण भी ठीक पहचान कर थे (तालिका 4.7)। पढ़ने संबंधी परीक्षण में 42% बच्चे स्थानी भाषा के वर्णों को सही तरह पढ़ रहे थे। 80% अंकों को सही पहचान कर रहे थे, लेकिन मात्र 6% ही अंग्रेजी की पहचान कर सके थे।

तालिका 4.7 पठन परीक्षण में छात्रों की उपलब्ध कक्षा II

राज्य/ यूटी	मौखिक (वर्णन) परीक्षण पूर्ण सही उत्तर देने वाले छात्रा का %			पठन परीक्षण पूण सही उत्तर देने वाले छात्रा का प्रतिशत		
	अंग्रेजी	स्थानीय भाषा	अंक	अंग्रेजी	स्थानीय भाषा	अंक
आंध्र प्रदेश	43.2	90.4	93.8	4.1	61.0	88.7
असम	70.8	33.3	90.6	0	34.1	84.1
बिहार	54.3	24.4	62.5	1.4	9.0	61.0
चंडीगढ़	65.0	30.0	95.0	0	52.6	95.0
हरियाणा	83.1	78.9	97.2	1.8	47.2	94.4

हिमाचल प्रदेश	75.0	35.0	91.7	6.4	62.3	91.5
मध्य प्रदेश	55.8	71.8	88.5	0	2.9	71.8
राजस्थान	47.2	55.1	81.9	0.8	15.0	61.4
तमिलनाडु	80.8	92.9	92.3	14.7	87.2	98.1
उत्तर प्रदेश	38.3	57.4	81.0	18.0	26.8	65.8
पश्चिम बंगाल	78.0	61.9	93.2	10.1	70.9	94.9
राज्य/ यूटी	**59.6**	**60.5**	**86.1**	**6.0**	**41.7**	**79.8**

4.27 गणित, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी के लिखित परीक्षणों के परिणाम इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि शिक्षा प्रणाली में मात्र सीखना, इसकी विशेषता है और यह लेखन दक्षता पर कमजोर देती है (तालिका 4.8)। स्थानीय भाषा और गणित में लिखित परीक्षण में औसत अंक 54 और अंग्रेजी में 30 थे।

तालिका 4.8 लिखित परीक्षा से छात्रों का निष्पादन कक्षा II

राज्य\यूटी	गणित		अंग्रेजी		स्थानीय भाषा	
	औसत अंक	भिन्नता कोएएफ	औसत अंक	भिन्नता कोएएफ	औसत अंक	भिन्नता कोएएफ
आंध्र प्रदेश	82	36	5	387	71	44
असम	48	47	29	63	50	60
बिहार	22	146	14	147	17	160
चंडीगढ़	72	37	61	57	87	23
हरियाणा	54	63	35	95	57	66
हिमाचल प्रदेश	70	46	46	62	69	51
मध्य प्रदेश	49	57	11	119	20	97
राजस्थान	21	163	4	417	29	139
तमिलनाडु	84	30	49	70	93	16
उत्तर प्रदेश	38	91	44	100	40	105
पश्चिम बंगाल	69	40	58	47	81	34
राज्य/ यूटी	**54**	**69**	**30**	**102**	**54**	**75**

4.28 आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में तुलनात्मक दृष्टि से स्थानीय भाषा के मौखिक, पठन और लिखित परीक्षण में कक्षा II के छात्रों का निष्पादन बेहतरीन था। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का गणित में भी। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में छात्रों का निष्पादन अन्य राज्यों के अंग्रेजी छात्रों से

बेहतरीन पाया गया। चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल में छात्रों का अंग्रेजी के लिखित परीक्षण में निष्पादन बेहतरीन रहा। असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कक्षा II के छात्रों का निष्पादन समग्र औसत से कम रहा है।

चार्ट 4.8 कक्षा II के लिए छात्रों का लिखित परीक्षा का निष्पादन

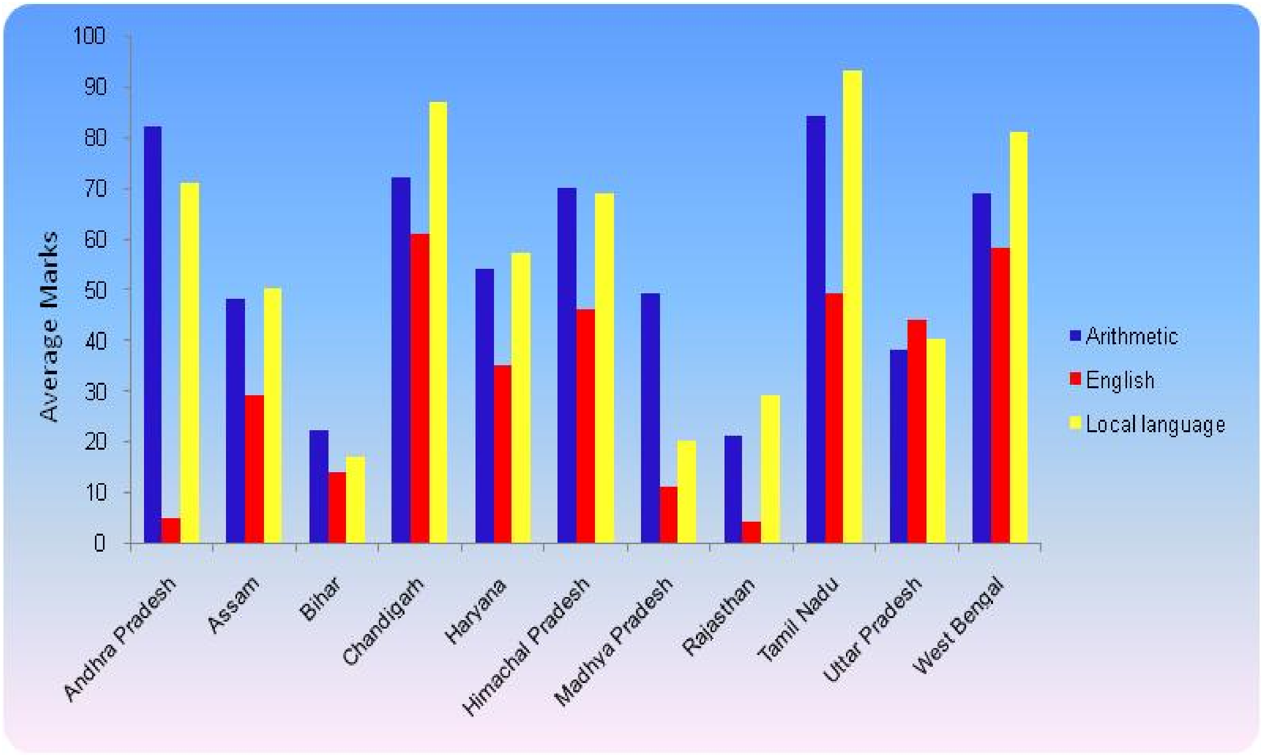

4.29 अपर प्राथमिक स्तर (कक्षा VI) छात्रों को स्थानीय भाषाएं अंग्रेजी में पैरा पठन लेखन हेतु परीक्षण किया गया। लिखित परीक्षण में अनुच्छेद और निबंध था। स्थानीय भाषा में पठन परीक्षण लिया गया। 80% एक अनुच्छेद को सही रूप में पढ़ सकते थे। फिर भी, अंग्रेजी में 26% ही सही ढंग से पढ़ सके (चार्ट 4.9)।

चार्ट 4.9 कक्षा VI के लिए छात्रों का पठन परीक्षण का निष्पादन

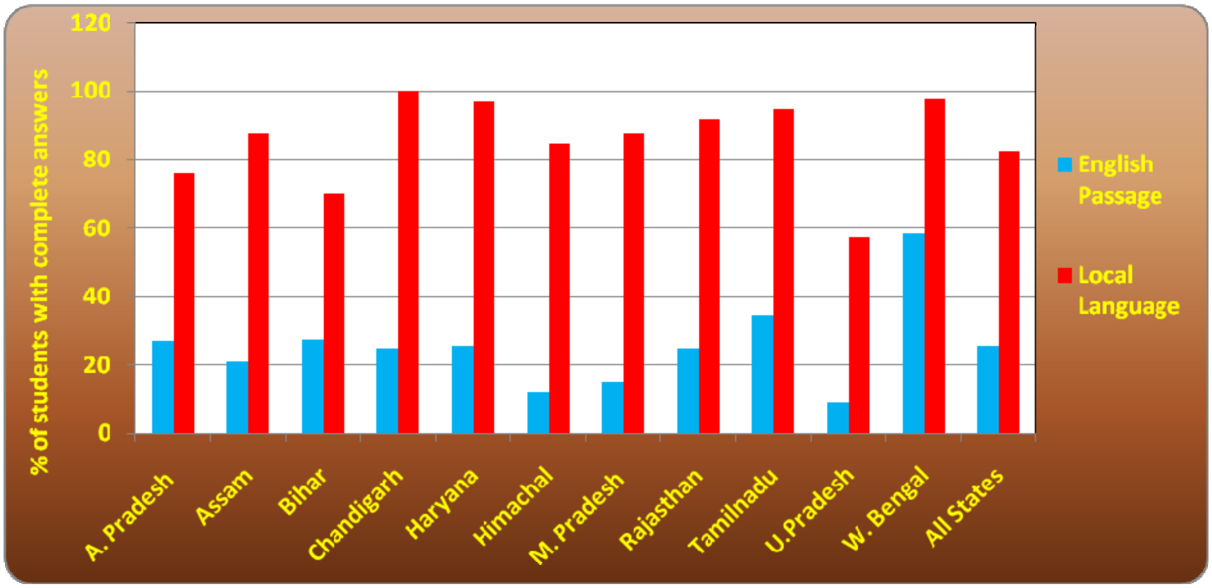

4.30 अंग्रेजी निबंध और स्थानीय भाषा की लिखित परीक्षा ओर गणित में सवाल हल करने में छात्रों का स्थानीय भाषा संबंधी निष्पादन अंग्रेजी या गणित से बेहतरीन था (तालिका 4.10)। अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के निष्पादन का अंतराल काफी अधिक रहा। गणित में छात्रों का निष्पादन बहुत कमजोर रहा। शायद यह राज्यों में और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की भिन्नता के कारण रहा है।

तालिका 4.10 अपर प्राथमिक के छात्रों का लिखित परीक्षणों का निष्पादन (कक्षा VI)								
विषय राज्य\यूटी	गणित		स्थानीय भाषा				अंग्रेजी निबंध	
			निबंध		अनुच्छेद			
	औसत अंक	भिन्नता कोएएफ	औसत अंक	भिन्नता कोएएफ	औसत अंक	भिन्नता कोएएफ	औसत अंक	भिन्नता कोएएफ
आंध्र प्रदेश	55	63	79	38	68	49	39	78
असम	31	53	94	15	88	21	43	57
बिहार	38	63	66	48	29	103	42	79
चंडीगढ़	19	173	91	18	69	45	72	23
हरियाणा	46	62	87	21	61	37	50	52
हिमाचल प्रदेश	36	78	81	30	71	39	30	72
मध्य प्रदेश	53	60	75	36	66	53	33	64
राजस्थान	51	75	76	38	78	43	28	104
तमिलनाडु	60	60	93	16	85	23	69	39
उत्तर प्रदेश	8	196	57	70	26	148	21	147
पश्चिम बंगाल	51	42	95	14	87	29	55	32
राज्य/ यूटी	**43**	**76**	**80**	**36**	**66**	**56**	**42**	**73**

4.31 दोनों प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी और गणित की तुलना में स्थानीय भाषा संबंधी निष्पादन बेहतरीन था।

4.32 कक्षा VI में छात्रों का गणित का निष्पादन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बेहतरीन था, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में औसतन अंक अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतरीन थे। बिहार और उत्तर प्रदेश में कक्षा VI का निष्पादन समग्र औसत से कम रहा है।

चार्ट 4.10 अपर प्राथमिक छात्रों का लिखित परीक्षणों का निष्पादन (कक्षा VI)

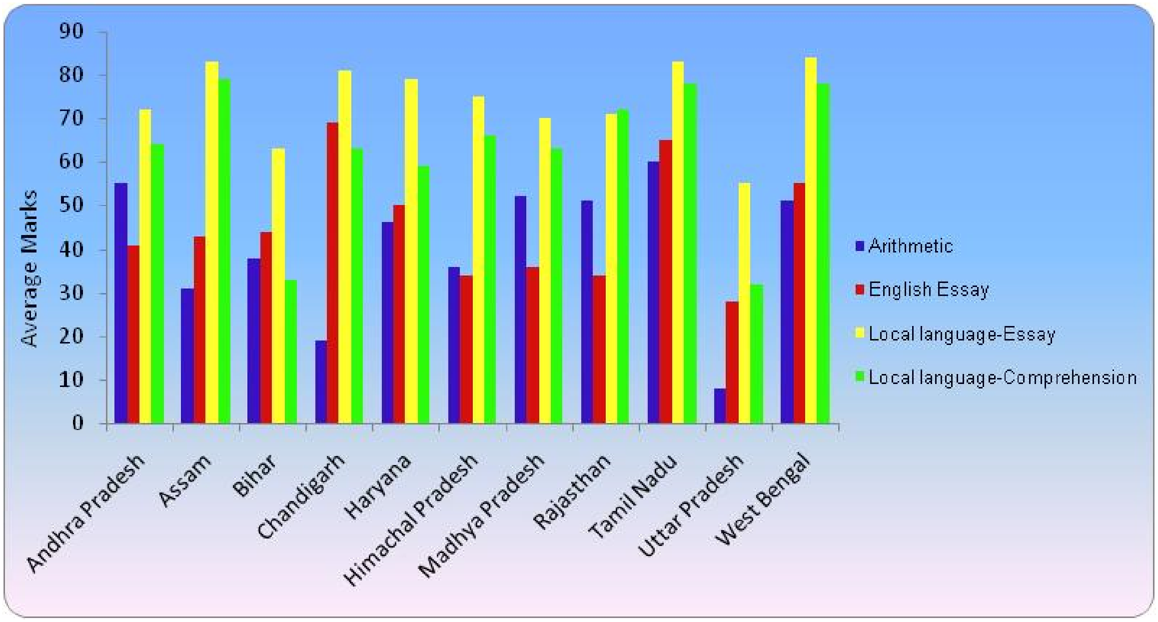

4.33 सामान्य तौर पर आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल छात्रों का निष्पादन अच्छा रहा, जो दर्शाता है कि अनेक कारकों जैसे – अध्यापकों कल उपलब्धता (प्रति स्कूल अध्यापकों की औसत संख्या(, शिक्षा की बेहतरनी प्रणालियां जैसे – शिक्षण और टीएलएम (एस) का उपयोग, पुस्तकालयों की सुलभता और उपयोग, शिक्षा का अधिक समय (गैर परीक्षण गतिविधियों की कमी) और उच्च प्रेरणा स्तरों का शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि छात्रों के लर्निंग परिणामों से स्पष्ट होता है।

4.34 अनेक राज्यों ने नव प्रवर्तन्कारी तकनीकों और कार्यक्रमों को अपनाया है, ताकि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। आंध्र प्रदेश के स्कूलों को

उनके निश्पादन के आधार पर क, ख, ग, घ वर्गों में रखा गया है, जो अध्यापकों की जवाबदेही को बढ़ाता है। अरूणाचल प्रदेश में ''दीवार में छेद'' नामक स्कूल खोले गए हैं। आसान पहुंच के लिए स्कूल दीवारों पर कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। तमिलनाडु गतिविधियों पर आधारित कार्डस प्राथमिक आयु समूह के बच्चों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं तथरा अपर प्राथमिक के बच्चों के लिए गतिविधि आधारित प्रणाली। हरियाणा और पुडचेरी में एडूसैट सुविधाएं कुछ प्राथमिक स्कूलों और ब्लॉक संसाधन केंद्रों में उपलब्ध कराई गई है। संलग्नक 4.1 कुछ नवप्रवर्त्तनकारी गतिविधियों के ब्यौरे उपलब्ध कराता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कुछ चयनित जिलों द्वारा शुरू की गई है।

अध्याय-5
वित्तीय संसाधन

5.1 एसएसए नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में (2001-02) शुरू किया गया था, इस स्कीम का परिव्यय और व्यय कुल आबंटन में सामान्य ही था, जो कार्यक्रम के लिए मात्र 500 करोड़ रूपए रखा गया था। इसके लिए 2001-02 के दौरान कुल व्यय 499.9 करोड़ रूपए हुआ।

5.2 दसवीं पंचवर्षी योजना (2002-2007) के दौरान आरंभिक कुल परिव्यय 1700 करोड़ रुपए, जिस में केंद्र और राज्य के बीच हिस्से का संसाधन पैमाना 75:25 था। यद्यपि दसवीं पंचवर्षी योजना के दौरान पहले आरंभिक कुछ वर्षों के दौरान अल्प संसाधनों में रही और 2004-05 के दौरान 2% का प्रभार लगा देने पर इस कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए अधिक संसाधन सुलभ हो गए थे। 2003-04 से 2006-07 के दौरान राज्यों द्वारा सूचित किया गया व्यय 36367 करोड़ रुपए रहा। इसमें कुछ कार्यान्यन एजेंसियों को दी गई अग्रिम राशि भी शामिल है।

5.3 11वीं पंचवर्षी योजना (2007-12) के दौरान 7100 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सेदारी का पैमाना योजना के दौरान भिन्न भिन्न रहा है, 65:35 पहले चरण के दौरान (2007-09) 60:40, 2009-10 के दौरान और 2010-11 के दौरान 55:45 और 2011-12 के दौरान 50:50, पूर्वोत्तर राज्यों के पास विशेष वितरण रहा है कि केंद्र और राज्य अनुपात 90:10 रहेगा। 11वीं योजना के प्रथम 2 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर किया गया व्यय 24,136 करोड़ रुपए रहा है।

केंद्र - राज्य हिस्सेदारी

5.4 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम इस आधारवाक्य पर टिका है कि बुनियादी शिक्षा हस्तक्षेपों के वित्त पोषण को धारणीय बनाना होगा। 2007 में पच्चीस राज्यों में से बाईस राज्य (और संघ शासित क्षेत्र) वित्त पोषण की पद्धति को अपना पाए हैं जैसा कि दसवीं पंचवर्षी योजना में विचार किया गया था।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश और पंजाब के अपवाद के साथ अन्य सभी राज्य 2003 की बजाय 2007 में सामान्य शर्तों से अधिक संसाधन जुटाने में सफल रहे है। (संलग्नक 5.1) 2003-04 और 2006-07 के दौरान केंद्र और राज्य के शेयर को दर्शाता है। अरूणाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 11वीं पंचवर्षी योजना के दौरान केंद्र और राज्य की अंशदान नीति पर असंतोष व्यक्त किया है।

5.5 कार्यक्रम का कुल आबंटन जो 2003-04 के दौरान 8,371 करोड़ रुपए था, उत्तरोत्तर रूप से बढ़कर 2006-07 में बढ़कर 20,691 करोड़ रुपए हो गया। आबंटन में हुई वृद्धि के साथ केंद्र और राज्य के हिस्से से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाने वाली सहायात जारी की जाने वाली राशि में भी ठोस वृद्धि हुई है। 2003-04 के दौरान सहायता राशि आबंटन की 43.17% थी, जो 2006-07 के आबंटन में कुल राशि की 73.06% तक पहुंच गई। (तालिका 5.1) सापेक्ष दृष्टि से गुजरात और केरल के मामले में आबंटन के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय सहायता में गिरावट देखी गई (संलग्नक 5.1 और 5.2), जबकि आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक और तमिलनाडु के मामले में आबंटन की प्रतिशतता के रूप में राजसहायता में गिरावट आई है। जिन राज्यों/ यूटी (ज) ने 2006-07 के दौरान 98% से अधिक सहायता राशि वितरित की थी वे हैं – आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ, दमण व दीव, दादरा व नागर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। निधियों का एक छोटा हिस्सा पाठ्यपुस्तकों और कंप्यूटरों की खरीद के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटीज द्वारा सदुपयोग में लाया गया और कई बार जिलों से देरी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण रोके रखना पड़ा

निधि जारी करना

5.6 यद्यपि राज्यों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को अधिक राशि जारी की गई थी, फिर भी यह देखा गया कि राज्य कार्यान्वयन सोसाइटीज द्वारा जिलों को किए गए

वितरण जो 2002-03 में 109% थे, 2006-07 में गिर कर 96% तक नीचे आ गए।

निधियों का सदुपयोग

5.7 राज्य स्तर पर सदुपयोग अनुपात (सहायता सबंधी व्यय) 2001-03 में 98% था, जो 2006-07 में बंद कर 110% हो गया, जो बेहतरीन अवशोषण क्षमता को दर्शाता है। व्यय और अधिक होने की सूचना है, क्योंकि पिछले वर्ष की शेष रही राशि का सदुपयोग भी किया गया था। 2002-03 में 13 राज्यों में जहां 100% निधि का सदुपयोग किया गया (पिछले वर्ष की शेष रही राशि के सदुपयोग को मिला कर), 2006-07 में संघ शासित क्षेत्रों सहित 19 राज्यों ने 100% से भी अधिक निधि का सदुपयोग किया। उपलब्ध निधियों के संबंध में हुए व्यय की दृष्टि से2006-07 में सुधार देखा गया।

तालिका 5.1 निधि का स्राव – अखिल भारतीय				
निधि	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
आबंटन (लाख रूपए)	837107.84	996586	1359872	2069168.8
कुल सहायता (लाख रूपए में)	361390	671530	799181	1511834
व्यय (लाख रूपए में)*	353415	650361	969377	1663610
आबंटन में कुल सहायता का%	43.17	67	59	73.06
कुल सहायता में विस्तार का %	98	97	121	110

जिलों को किया गया संवितरण (लाख रूप में)	394103	633331	956718	1457514
सहायता के लिए किए गए संवितरण का %	109	94	120	96.4

चार्ट 5.1 निधि का स्राव – अखिल भारतीय आंकड़े

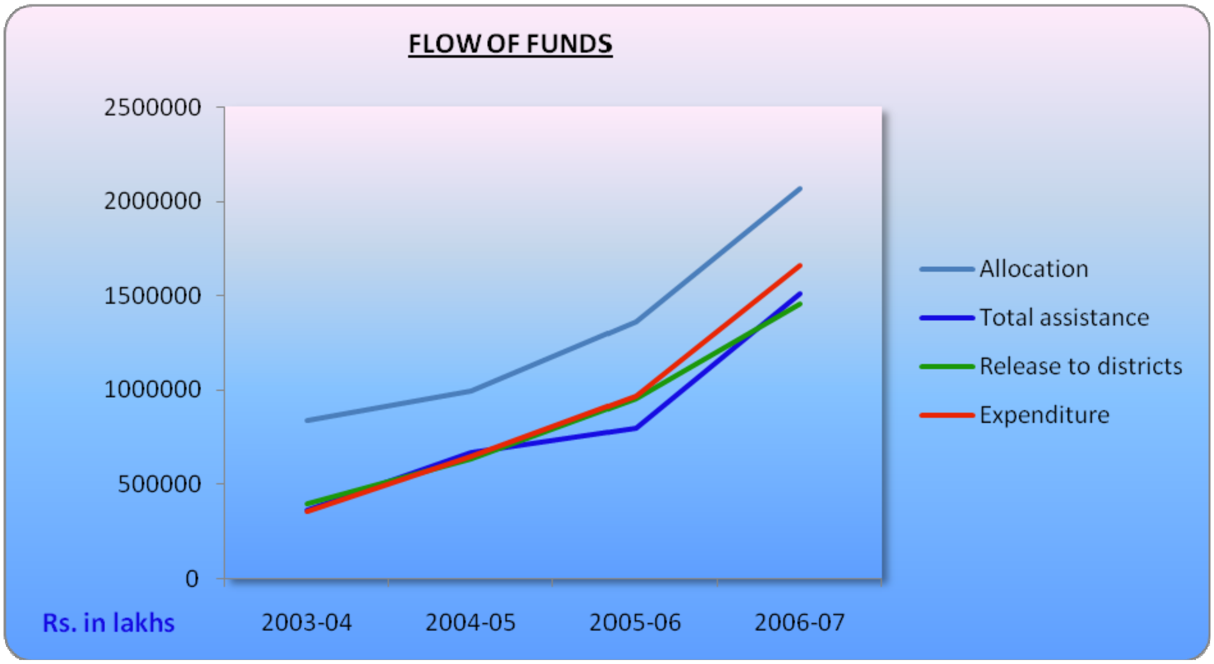

5.8 जिन राज्यों ने 2006-07 में 90% से भी अधिक आबंटन का सदुपयोग किया है वे हैं – अरूणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा। असम, बंगाल और पुडुचेरी ने सूचित किया है कि वहां निधि का कम सदुपयोग हुआ है क्योंकि निधि देरी से प्राइज़ हुई थी, संभवत: उसका कारण उपयोगित प्रमाण पत्र देरी से भेजना रहा था।

5.9 यह देखा गया है कि दमण व दीव, गोवा, गुजरात, केरल और मणिपुर ने गुणवत्ता हस्तक्षेपों जैसे – अध्यापक प्रशिक्षण, नव प्रवर्त्तनकारी गतिविधियां, अध्यापक अनुदान आदि पर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक राशि व्यय की है। अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने कुल व्यय का 80% सिविल कार्यों और रखरखाव पर खर्च किया। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी ने सापेक्ष रूप से प्रशासन जैसे एमआईएस और प्रबंधन, सामुदायिक प्रशिक्षण आदि पर अधिक व्यय किया। सभी राज्यों में सिविल कार्यों, गुणवत्ता हस्तक्षेपों और प्रशासन पर किया व्यय संलग्नक 5.3 पर दर्शाया गया है।

राज्यों को वितरित की गई निधियां

5.10 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और नादिया, पश्चिम बंगाल के जिलो कों छोड़कर निधि के स्राव में सुधार देखा गया और सूचना मिली कि उन्होंने अपनी पहली किस्त अप्रैल से मई के बीच मिल गई थी, जो एसएसए के पिछले वर्षों के दौरान सितम्बर – दिसम्बर में मिलती थी। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से विलंब की सूचना मिली थी अर्थात पहली किस्त (जून – जुलाई, अगस्त) के दौरान प्राप्त हुई और नादिया जिला (पश्चिम बंगाल) ने सूचित किया है कि उन्हें पहली किस्त मात्र अगस्त/सितम्बर में ही प्राप्त हुई। यद्यपि, जिलों से ब्लाकों में उसे अंतरित करने में एक माह का समय लगा और वही समय ब्लाकों से वीईसी (ज) (ग्राम शिक्षा समितियों) और कई राज्यों में मासिक आधार पर वितरण किया गया और कई राज्यों में दूसरी किस्त विलंब से मार्च में ही जारी की।

5.11 जिलों को किया गया संवितरण किसी मापदण्ड जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन/महिलाओं की न्यून साक्षरता सामाजिक रूप से वंचित रहे समूहों की अधिक प्रतिशतता (जनजातीय क्षेत्र) किसी पर आधारित नहीं था, बल्कि स्कूलों की संख्या व व्यय न हुई शेष राशि, सदुपयोग आदि पर आधारित आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जहां शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लकों की संख्या अधिक थी। उन जिलों में अन्य जिलों की अपेखा कम राशि वितरित की गई जहां पिछड़े ब्लाकों की संख्या कम थी। 2003-04 में पूर्व गोदावरी जिला (आंध्र

प्रदेश), जो एक मात्र पिछड़ा जिला था को 29.5 करोड़ रुपए की राशि मिली जबकि चित्तूर जिले को जहां 20 पिछड़े ब्लाक हैं को मात्र 15.09 करोड़ रुपए मिले, नादिया, पश्चिम बंगाल जहां कोई पिछड़ा ब्लाक नहीं है उसे 42.04 करोड़ रुपए मिले। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को 2007 में कम प्राथमिकता मिली, तथापि जिलों के आबंटन का अंतराल और अधिक संकीर्ण होता चला गया, इसके अलावा नादिया के जिला प्राधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी कि राज्यों से निधि का स्राव अनियमित था। जिला प्राधिकारियों के लचीलेपन की छूट नहीं दी गई थी, जिससे वे विभिन्न शीर्षों के बीच संसाधनों का पुनः आबंटन कर सकें, तत्संबंधी रिपोर्ट हरियाणा और नादिया (पश्चिम बंगाल) से प्राप्त हुई थी।

जिला स्तर पर निधियों का सदुपयोग

5.12 2003-04 की तुलना में चयनित प्रतिदर्शों में 2006-07 के दौरान जिला स्तर पर निधि के सदुपयोग में सुधार हुआ है। क्योंकि 2003-04 के दौरान 14 से भी अधिक जिलों ने 100% से भी अधिक (व्यय न हुई शेष राशि के उपयोग सहित) से भी अधिक के सदुपयोग की सूचना दी है। इसके अलावा, उन सात जिलों की तुलना में जिन्होंने 2003-04 के दौरान 80% से कम व्यय किया, 2006-07 के दौरान 2 जिलों ने ही 80% से कम व्यय किया था।

5.13 चयनित जिलों में यह देखा गया था कि व्यय, जारी की गई राशि से मेल खाता था, कुछ मामलों में व्यय नहीं हुई निधि जमा राशि पर लगे ब्याज का भी सदुपयोग किया गया। आंध्र प्रदेश में कर्नूल और चित्तूर, असम में जोरहट, कामरूप और मोरीगांव, महाराष्ट्र में पुणे, कराईकल (पुडुचेरी), कन्याकुमारी (तमिलनाडु), नादिया, बुर्दवान (पश्चिम बंगाल) के अलावा अधिकांशतः अन्य जिला प्राधिकारियों ने निधि की अपर्याप्तता के बारे में रिपोर्ट नहीं की। चार्ट 5.2 चयनित प्रतिदर्शों में जिला स्तर पर निधि के स्राव को दर्शाता है।

चार्ट 5.2 चयनित जिलों में निधि का स्राव

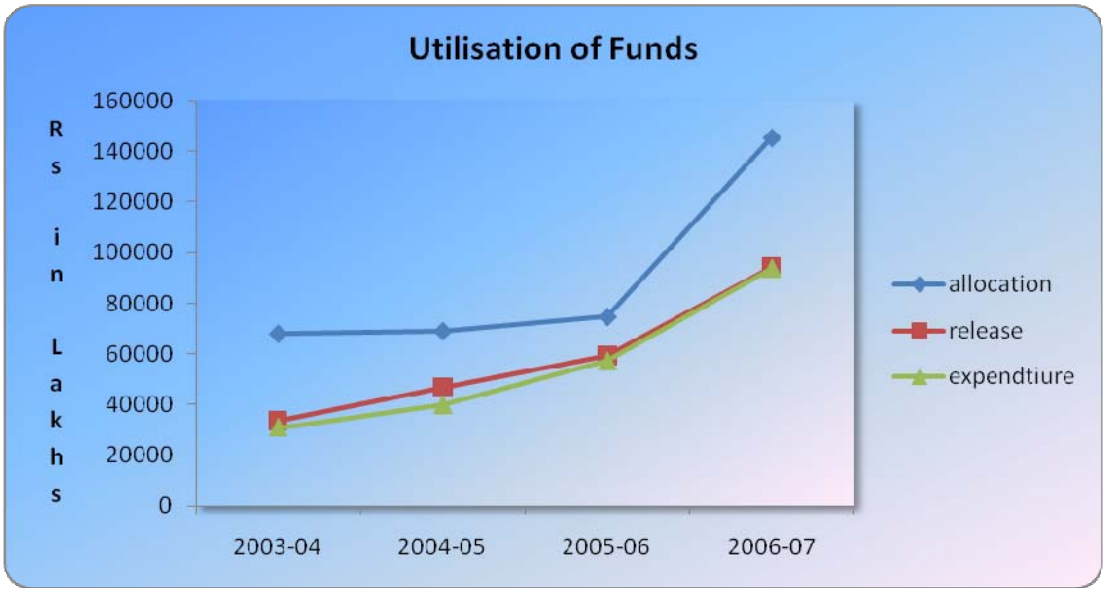

हस्तक्षेपों पर किया गया व्यय

5.14 बजट परिव्ययों (आबंटन) के मुकाबले निधियों के सदुपयोग की दृष्टि से निधि का अधिकांश हिस्सा (सिविल निर्माण कार्यों और ''मरम्मत और रखरखाव'' पर व्यय किया गया। इन दो घटकों पर औसतन सदुपयोग आबंटन के सापेक्ष में 92% रहा। (तालिका 5.3) कंप्यूटर शिक्षा पर 50%, गुणवत्ता में सुधार के लिए नव प्रवर्त्तनकारी गतिविधियों पर (54%), अध्यापक प्रशिक्षण पर (67%), कम व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि जिले आयोजित हस्तक्षेपों पर निधि के सदुपयोग में असमर्थ रहे हैं।

तालिका 5.3 प्रमुख हस्तक्षेपों पर किया गया व्यय

हस्तक्षेप	आबंटन की दृष्टि से व्यय का % (2006-07)	जारी निधिय की दृष्टि से व्यय का % (2006-07)
सिविल कार्य	90.3	224.13
मरम्मत और रखरखाव	96.6	11.91
अध्यापक अनुदान	85.1	7.11
मुफ्त पाठ्य पुस्तकें	70.5	14.54
अध्यापक प्रशिक्षण	89.7	5.22

उपस्कर		
स्कूल अनुदान	88.4	5.07
शिक्षण, लर्निंग सामग्री	80.8	3.79
अध्यापक प्रशिक्षण	66.5	2.87
अनुसंधान, मूल्यांकन और मॉनीटरण	176.6	4.21
कंप्यूटर शिक्षा	49.7	0.31
नवप्रवर्त्तनकारी गतिविधियां	53.7	2.17
ईसीसीई	75.3	2.55
आईईडी	71.1	5.87
ब्लॉक संसाधन केंद्र	69.5	2.14
क्लस्टर संसाधन केंद्र	75.9	1.63
सामुदायिक प्रशिक्षण	63.4	0.31
प्रबंधन लागत/ विविध	55.9	5.60
कुल	**86.2**	**304.80**

5.15 2006-07 में सिविल कार्य, मरम्मत और रखरखाव संबंधी व्यय कुल व्ययय का *77%* रहा, जबकि गुणवत्ता हस्तक्षेपों पर (6.21%), जिसमें अध्यापक अनुदान, अध्यापक प्रशिक्षण सामग्री, अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण लर्निंग उपसकर भी शामिल है। चार्ट 5.4 जिला स्तर पर घटकवार हुए व्यय को दर्शाता है।

चार्ट 5.4 प्रमुख हस्तक्षेपों पर किया गया व्यय (कुल व्यय का %)

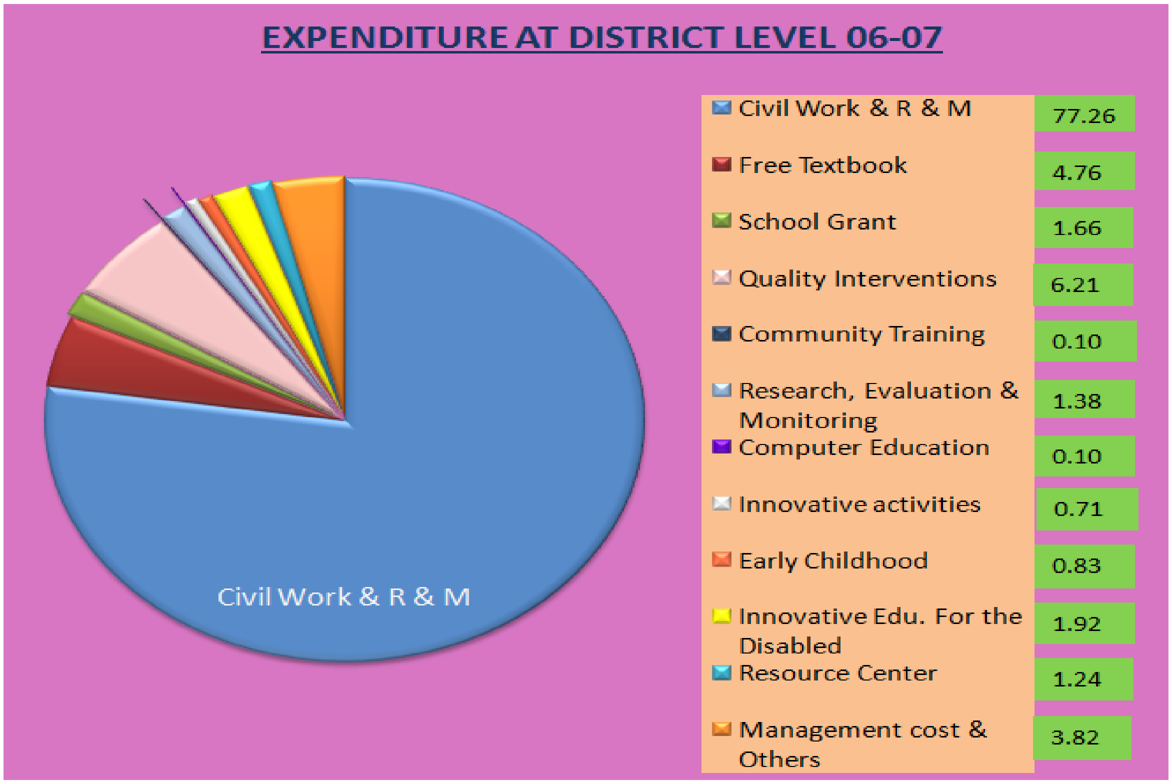

स्कूल स्तरीय अनुदान एवं व्यय

5.16 अनुदान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्कूलों में निधि के असमान वितरण में कमी आई और 2006-07 में और स्कूलों को अनुदान राशि दी गई। 2003-04 में जिन स्कूलों को अनुदान नहीं मिला। उनकी संख्या 17% थी, जो घट कर 2006-07 में 07% तक आ गई और आबंटित निधि में भी छह गुणा वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश को संदर्भ अवधि में प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों को 2000 रुपये और 3000 रूपए प्रति वर्ष मिलना जारी रहा। असम को 2007 में प्रति स्कूल 7000 रूपए प्रति वर्ष दिया गया। आंध्र प्रदेश और असम में अपर प्राथमिक स्कूलों को अधिकांशत: उतनी ही राशि मिली, जितनी की प्राथमिक स्कूलों को मिली थी।

5.17 सभी सरकारी स्कूलों को स्कूल अनुदान, अध्यापक अनुदान और सिविल कार्य अनुदान दिया जाता है। 95% से भी अधिक स्कूलों ने उन्हें दिए गए अनुदान का पूरा सदुपयोग किया सिवाय बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूल,

जो अनुदान देरी से मिलने के कारण उसका सदुपयोग नहीं कर सके या कार्य के लिए मंजूरी नहीं मिलने के कारण। किराए के भवनों में चल रहे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मरम्मत और रखरखाव हेतु निधि नहीं मिलती है। स्कूल स्तर पर, अध्यापकों के वेतन के अलावा प्रति छात्र प्रति वर्ष किया गया औसतन व्यय 2003-04 में 94 रूपए था, जो 2006-07 में बढ़ कर 497 रूपए हो गया (तालिका 5.5)। प्रति छात्र 500 रूपए प्रति वर्ष की दर से व्यय असम (678 रूपए), बिहार (910 रूपए), हरियाणा (738 रूपए), मध्य प्रदेश (663 रुपये) और उत्तर प्रदेश 538 रूपए) में किया गया। आंध्र प्रदेश द्वारा सब से कम व्यय किया गया। बिहार में औसतन व्यय से अधिक व्यय किया गया, क्योंकि सिविल कार्यों पर बड़ा व्यय किया गया।

तालिका 5.5 प्रति छात्र किया गए औसतन व्यय

राज्य\यूटी	प्रति स्कूल किया गया औसत व्यय (रूपए में)	
	2003	**2007**
आंध्र प्रदेश	11	12
असम	85	678
बिहार	63	910
चंडीगढ़	44	372
हरियाणा	428	738
हिमाचल प्रदेश	94	363
मध्य प्रदेश	26	663
राजस्थान	111	346
तमिलनाडु	141	245
उत्तर प्रदेश	81	538
पश्चिम बंगाल	19	282
राज्य/ यूटी	**94**	**497**

स्रोत: स्कूल स्तर अनुसूची

5.18 क्योंकि प्रतिदर्श में लिए गए स्कूलों का व्यय सरकार द्वारा प्रदान किए अनुदान से किया जाता है (केंद्र और राज्य)। उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को बुनियादी शिक्षा पर परिष्कृत व्यय करने की आवश्यकता है।

अध्याय-6
सामुदायिक स्वामित्व और विकास भागीदारों की भूमिका

समुदाय की सहभागिता

एसएसए की विशेषताओं में एक विशेषता है कि यह विकेंद्रित कार्यान्वयन पर जोर देता है। इस कार्यक्रम में समुदाय स्वामित्व आधारित स्कूली हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिसके लिए महिला समूहों, ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों, माता अध्यापक संघ, माता - पिता एसोसिएशन तथा पंचायत राज सदस्यों को शामिल किया जाता है।

ग्राम शिक्षा समितियों की गतिविधियां

6.1 स्कूलों के मॉनीटरण पर्यवेक्षण अर्ध अध्यापकों की नियुक्ति, अभियानों के माध्यम से बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चें को मुख्य धारा में लाने, जागृति के माध्यम से पंजीकरण में सुधार लाने के अलावा स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव में ग्राम शिक्षा समितियों (वीईसी) की भूमिका आवश्यक होती है। इन विकेंद्रित निकायों को अधिकृत करने के लिए क्रमोन्यन रखरखाव और स्कूलों की मरम्मत एवं शिक्षण लर्निंग उपस्करों की खरीद के लिए निधियों का अंतरण वीईसी (ज)/संमरूप निकायों जैसे स्कूल प्रबंधन समितियों/ ग्राम पंचायत या विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन के लिए अन्य कोई स्कूल व्यवस्था को अंतरित किया जाता है।

6.2 चयनित ग्रामों में 80% वीईसी (ज) को सिविल कार्यों जिनमें स्कूल के मरम्मत रखरखाव और संबंधित गतिविधियां भी हैं में शामिल किया जाता है। (तालिका 6.1) असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में वीईसी (ज) को मुख्य रूप से अवसंरचना सुधारों और निधियों के प्रबंधन में शामिल किया जाता है। चंडीगढ़ में स्कूल सुधार हेतु अनुदान संबंधी मुद्दों में उनकी कार्य सहायता सीमित ही रखी गई है।

6.3 वीईसी (ज) पंजीकरण में सुधार लाने और पंजीकरण अभियानों के माध्यम से स्कूल के बच्चों में बीच में पढ़ाई छोड़ने के प्रकरण को कम करने में जागृति शिविर आयोजित करने में प्रभावी रही है। मघ्य प्रदेश में निचले स्तर पर स्कूल प्रबंधन समितियों को एसएसए हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन में शामिल किया जाता है।

तालिका 6.1 वीईसी की गतिविधियां (वीईसी का %)

तालिका 6.1 वीईसी की गतिविधियां (वीईसी (ज) का प्रतिशत)

राज्य\यूटी	मॉनीटरण एवं पर्यवेक्षण	अध्यापकों की नियुक्ति	अवंसरचना सुधार	स्कूल में पंजीकृत बच्चों के रिकार्ड का अनुरक्षण	पंजीकरण में सुधार	बीच में स्कूल छोड़ने वालों में कमी
आंध्र प्रदेश	91.67	100.00	83.33	16.67	100.00	100.00
असम	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
बिहार	100.00	8.33	100.00	0.00	100.00	100.00
चंडीगढ़	100.00	0.00	100.00	50.00	100.00	100.00
हरियाणा	87.50	25.00	100.00	50.00	100.00	62.50
हिमाचल प्रदेश	87.50	25.00	87.50	12.50	100.00	37.50
मध्य प्रदेश	16.67	8.33	25.00	8.33	83.33	58.33
राजस्थान	0.00	8.33	100.00	100.00	100.00	100.00
तमिलनाडु	91.67	58.33	75.00	100.00	75.00	66.67
उत्तर प्रदेश	47.06	52.94	64.71	0.00	94.12	64.71
पश्चिम बंगाल	100.00	37.50	75.00	37.50	87.50	75.00
राज्य/ यूटी	**69.57**	**33.04**	**80.00**	**41.74**	**93.91**	**78.26**

6.4 स्कूलों के मॉनीटरण एवं पर्यवेक्षण यानि अध्यापकों और छात्रों की अनुपस्थिति पर निगरानी, पुस्तकों की उपलब्धता, मध्य प्रदेश में एसईसी (ज) और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वीईसी (ज) असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की तुलना में कम सक्रिय थी।

6.5 अध्यापकों की कमी से निपटने के लिए वीईसी (ज) को अर्ध अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया। आंध्र प्रदेश में वीईसी (ज) को सर्वाधिक रूप से शामिल किया गया जैसे कि स्कूलों में अर्ध अध्यापकों की नियुक्ति में देखा गया है। बिहार में मात्र 8% वीईसी (ज), हिमाचल और हरियाणा में 25% ने अध्यापकों की नियुक्ति करने की बात कही है।

6.6 यद्यपि बिहार के सभी स्कूलों में वहां पंजीकृत रिकार्ड का रखरखाव किया जाता है, बहुत कम वीईसी (ज) निधि सदुपयोग की रसीदों के रिकार्ड का रखरखाव करती हैं। वीईसी (ज) द्वारा संचालित बैठकों के रिकार्ड से पता चलता है कि बैठकों की अवधि निर्धारित नहीं थी (तालिका 6.2)। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मासिक आधार पर बैठक रखने की सूचना मिली है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में वीईसी (ज) निष्प्रभावी रही क्योंकि उनकी नियमित बैठकें नहीं हुई।

तालिका 6.2 (वीईसी (ज) द्वारा आयोजित बैठकों की आवर्ती

राज्य\यूटी	बैठकों की आवर्ती **(%)**			
	मासिक	तिमाही/ अर्ध वार्षिक	वार्षिक	निर्धारित नहीं/ कोई प्रतिक्रिया नहीं
आंध्र प्रदेश	33.3	58.3	0	8.3
असम	0.0	91.7	0	8.3
बिहार	100	0	0	0
चंडीगढ़	0.0	100.0	0	0
हरियाणा	0	50	0	50
हिमाचल प्रदेश	0	25.0	12.5	62.5
मध्य प्रदेश	50	16.7	0	33.3
राजस्थान	58.3	41.7	0	0
तमिलनाडु	0	8.30	0	91.7*
उत्तर प्रदेश	47.10	0	5.9	47.1
पश्चिम बंगाल	37.5	12.5	0	50
राज्य/ यूटी	**34.8**	**30.4**	**1.7**	**33.0**

तमिलनाडु ने सूचित किया है कि बैठकों की अवधि निर्धारित नहीं की गई है फिर भी आवश्यकता के अनुसार उनकी बैठकें होती हैं।

6.7 तमिलनाडु ने सूचित किया है कि बैठकों की अवधि निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी आवश्यकता अनुसार उनकी बैठकें होती हैं। बैठकों में चर्चित प्रमुख मुद्दे निधियों की रसीद के खराब निर्माण के संबंध में अवसंरचना संबंधी मुद्दे, शौचालयों की कमी, स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था, अध्यापकों की कमी/अनुपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराना। तालिका 6.3 बैठकों में चर्चित कुछ मुद्दों को दर्शाती है।

तालिका 6.3 वीईसी (ज) एसएमसी (ज) में विमर्श किए प्रमुख मुद्दे (वीईसी (ज)/एमएमसी (ज) का प्रतिशत)

राज्य\यूटी	वित्तीय मुद्दे	अवसंरचना के मामले	अध्यापकों की कमी/ अनुपस्थिति	छात्रों की उपस्थिति	छात्रों की उपलब्धियां	पुस्तकों की उपलब्धता	समुदाय की सहभागिता
आंध्र प्रदेश	8.33	75.00	0.00	8.33	0.00	8.33	33.33
असम	58.33	91.67	41.67	66.67	50.00	50.00	25.00
बिहार	66.67	75.00	16.67	75.00	66.67	58.33	58.33
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	25.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50
हिमाचल प्रदेश	87.50	62.50	37.50	62.50	50.00	37.50	75.00
मध्य प्रदेश	83.33	83.33	41.67	66.67	16.67	75.00	83.33
राजस्थान	58.33	83.33	16.67	41.67	16.67	66.67	83.33
तमिलनाडु	83.33	100.00	16.67	25.00	50.00	25.00	75.00
उत्तर प्रदेश	70.59	76.47	11.76	47.06	52.94	23.53	41.18
पश्चिम बंगाल	37.50	62.50	0.00	12.50	25.00	0.00	37.50
राज्य/ यूटी	58.26	73.04	18.26	41.74	34.78	35.65	52.17

6.8 तमिलनाडु की सभी ग्राम समितियां अवसंरचनात्मक मुद्दों जैसे कक्षा कक्षों की कमी, पेयजल, स्कूलों में शौचालयों की सुविधा के बारे में अधिक चिंतित रही है। निधि की अपर्याप्तता और/देरी से निधि की प्राप्ति, आदि ग्राम समिति की बैठकों के प्रमुख मुद्दे रहे हैं, जो हिमालच प्रेदश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की ग्राम बैठकों में चर्चित होते रहे हैं, छात्रों की अनुपस्थिति असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुख्य मुद्दा रहा है, जब कि असम और मध्य प्रदेश में अध्यापकों की कमी। अनुपस्थिति मुख्य मुद्दे रहे हैं। क्योंकि वीईसी (ज) की बैठकों में निधि का मामला प्रमुख मुद्दा रहा है, वीईसी (ज) को तिमाही आधार पर ब्लाकों द्वारा निधि के वितरण करने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। स्कूलों में अर्ध अध्यापकों/ सफाई कर्मचारियों/ सुरक्षा स्टाफ की नियुक्ति के लिए वीईसी (ज) को भी निधि प्रदान की जानी चाहिए।

6.9 ब्लॉक संसाधन केंद्रों द्वारा वीईसी सदस्यों की क्षमता निर्माण की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि स्कूलों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच वे ही प्रमुख हस्तक्षेप हैं। वीईसी सदस्यों को एसएसए के अंतर्गत हस्तक्षेपों, विकास भागीदारों के रूप में उनकी भूमिका गतिशीलता अभियानों के आयोजन, स्कूल प्रबंधन और सिविल कार्यों आदि के बारे में अवगत कराया जाता है ताकि स्कूल स्वामीत्व प्रणाली में उनकी सहभागिता में सुधार लाया जा सके। वर्ष में एक बार समुदाय के 8 से 10 व्यक्तियों एवं महिला सदस्यों को 2-3 दिन की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है (तालिका 6.4) अधिकांशतः असम, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु के सदस्यों ने ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

6.10 2006-07 के दौरान असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु आबंटन का 95% से भी अधिक खर्च किया है। चंडीगढ़ ने 16% से भी कम व्यय किया है, यद्यपि चयनित गांव में सभी सदस्य के लिए प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया है। बिहार में मात्र 56% का सदुपयोग किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में आबंटन का 89% का सदुपयोग किया गया है। तथ्य यह है कि चयनित गांव के कुछ स्कूलों ने (असम और मध्य प्रदेश को छोड़कर) निधि की प्राप्ति और अध्यापकों की उपस्थिति को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया है और रिकार्डों का रखरखाव न करना यह सुझाव

देता है कि वीईसी सदस्यों के प्रशिक्षण की कमी रही कि उनहें जिम्मेदारी और स्वामित्व के बारे में शामिल नहीं किया गया जिसे माता - पिताओं को शामिल करने के माध्यम और एनजीओ (ज) के माध्यम से जागृति पैदा करके सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

6.11 बदले में वीईसी (ज) माता - पिताओं/ माताओं समुदाय के नेताओं को प्रत्येक वर्ष 7-10 सदस्यों को 2 या 3 दिन की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है (तालिका 6.4) चंडीगढ़ और राजस्थान में किसी भी वीईसी द्वारा अपने सदस्यों को ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

तालिका 6.4 समुदाय के सदस्यों का प्रशिक्षण

राज्य\यूटी	उन वीईसी (ज) का % जहां सदस्यों ने प्रशिक्षण लिया है	उन वीईसी (ज) का % जहां समुदाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया	समुदाय प्रशिक्षण पर आबंटन का % व्यय (2007)
आंध्र प्रदेश	75.0	83	59.0
असम	91.6	40	285.4*
बिहार	83.3	83	55.9
चंडीगढ़	0.0	0	15.6
हरियाणा	75.0	37	67.2
हिमाचल प्रदेश	50.0	50	96.9
मध्य प्रदेश	33.3	42	100
राजस्थान	83.3	0	109.4
तमिलनाडु	83.3	92	92.3
उत्तर प्रदेश	41.8	42	89.0
पश्चिम बंगाल	37.5	37	87.4
राज्य/ यूटी	**64.3**	**49.5**	**100.84**

*अतिरिक्त कार्यक्रमों जैसे एससी/ एससी के लिए मीणा मंच और चाय बागान के बच्चों के कार्यक्रम पर व्यय की गई निधि।

माता - पिता एवं अध्यापक एसोसिएशन

6.12 स्कूल शिक्षा के समग्र सुशासन में माता - पिता अध्यापक एसोसिएशन और प्राथमिक पणधारी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। फिर भी, मात्र 50% माता - पिता ही स्कूलों के पीटीए/ एमटीए से अवगत थे (तालिका 6.5)। यद्यपि माता - पिता स्कूल में नियमित रूप से जाते थे, फिर भी, लेकिन कोई भी स्कूल पीटीए के सदस्यों की सूची प्रदर्शित नहीं करता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में इन एसोसिएशनों के बारे में जानकारी बहुत कम थी। इन राज्यों में माता - पिता भोजन और शिक्षण में प्रदान की गई सहायता के पर्यवेक्षण में शामिल होने को कहा गया था।

तालिका 6.5 पीटीए और एसएसए के संबंध में माता - पिता की प्रतिक्रियाएं

राज्य	पीटीए की जानकारी (%)	पीटीए के सदस्य (%)	पीटीए के सदस्य बनने के इच्छुक (%)	एसएसए की जानकारी (%)	उन माता - पिताओं का % जिन्हें हाल ही में गांव में किए पंजीकरण अभियान की याद हो
आंध्र प्रदेश	62.5	20.0	60.8	60.8	82.5
असम	55.8	9.17	90.8	90.8	91.6
बिहार	85.0	26.7	80.8	80.8	16.7
चंडीगढ़	25.0	10.0	45.0	45.0	55.0
हरियाणा	22.5	5.0	41.4	41.4	40.0
हिमाचल प्रदेश	40.0	17.1	36.2	36.2	41.3
मध्य प्रदेश	60.0	33.8	44.6	44.6	18.5
राजस्थान	43.3	9.2	33.3	33.3	1.6
तमिलनाडु	77.5	25.0	96.7	96.7	50.0
उत्तर प्रदेश	7.6	2.4	18.2	18.2	24.7
पश्चिम बंगाल	60.0	15.0	58.7	58.7	15.0
सभी राज्य	**50.3**	**16.2**	**55.4**	**55.4**	**38.4**

6.13 उत्तर प्रदेश में कम माता - पिताओं को ही पीटीए (ज) और एसएसए (ज) और एसएसए की जानकारी थी और वे पीटीए (ज) के सदस्य बनने के लिए इच्छुक नहीं थे। चंडीगढ़ और हरियाणा में भी पीटीए और एसएस की जानकारी और अन्य राज्यों की तुलना में कम ही थी। जिन राज्यों में माता - पिताओं ने पीटीए (ज) की कम जानकारी की रिपोर्ट की है, उन्हें एसएसए हस्तक्षेपों के बारे में भी कम जानकारी थी।

6.14 असम और तमिलनाडु में पीटीए और एसएसए के बारे में बेहतरीन जानकारी थी। जिससे वहां बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम रही है। यद्यपि बिहार में पीटीए/ एसएसए की जानकारी काफी अधिक थी, लेकिन फिर भी वहां हाल ही के वर्षों में पंजीकरण अभियान नहीं चलाए गए थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी कुछ ही माता - पिताओं को ही याद था कि पंजीकरण अभियान नहीं चलाए गए थे। पीटीए और एसएसए के बारे में औसतन जानकारी ही क्रमश: 50% और 55% थी और सदस्यता मात्र 16% थी। पीटीए (ज) को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इन राज्यों में वीईसी (ज) को जागृति अभियानों और पंजीकरण अभियान चलाने में स्कूल के बाहर रहने वाले बच्चें के लिए प्रयास करने चाहिएं।

6.15 समुदाय की सहभागिता की दृष्टि से राज्यों में वीईसी (ज) की सहभागिता माता - पिता संघों के एसोसिएशन को शामिल करने से स्पष्ट रूप से बेहतरीन बन जाती है। असम और बिहार में माता - पिता और वीईसी (ज) स्कूल के मामलों से काफी जुड़े हुए थे, जबकि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्कूलों की गतिविधियों में सहभागिता हेतु माता - पिताओं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

सर्वोत्तम प्रणालियां

कर्नाटक में सूचित किया गया है कि वहां स्कूल प्रबंधन समितियां गठित की जा चुकी हैं और समितियों में छात्रों का प्रतिनिधित्व भी रखा गया है। एसएमसी (ज) को भी निकटतम क्लस्टर संसाधन पदों से प्रशिक्षण दिया गया है। स्कूल प्रत्येक को 80 घरों की जिम्मेदारी स्कूल के ग्राह्य क्षेत्र में दी गई है, जिससे उन्हें

जवाबदेह बनाया गया है ताकि वे अपनाए गए घरों में स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रगति पर निगरानी रख सकें।

हरियाणा में ग्राम शिक्षा समिति सुनिश्चित करती है कि गांव में स्कूल से बाहर कोई बच्चे नहीं हैं और उन्हें ट्राफी/ प्रतीक चिह्न प्रदान करके प्रेरित किया जाता है।

एनजीओ (ज) की सहभागिता

6.16 निचले स्तर पर एनजीओ (ज) की सहभागिता हस्तक्षेपों की पहुंच के विस्तार के लिए विशेष रूप से असहाय बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के लिए उनकी पहचान कर स्वास्थ्य चिकित्सा जांच शिविरों, गृह शिक्षा अध्यापकों की संग्राह्यता और शिक्षण में स्कूलों को सहायता पहुंचा कर भी गुणवत्ता सुधार, तकनीकों के उपयोग सामग्री, आपूर्ति शिक्षण सहायता और छात्रों के निष्पादन के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एनजीओ (ज) के कारण, गोलपाड़ा, जालौर, कानुपर देहता, मुजैफ्फररपुर और मोरी गांव के अलावा सभी चयनित जिलों में एसएसए के कार्यान्वयन में शामिल किया गया। एनजीओ (ज) द्वारा हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एआईई केंद्र भी प्रचालित किए गए थे1 आंध्र प्रदेश ने कुछ औद्योगिक घरानों और कुछ प्रख्यात एनजीओ (ज) को स्कूलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि ईजीएस/ एआईई केंद्रों के माध्यम से बीच में पढ़ाई छोडने वालों को मुख्य धारा में लाया जा सके एवं उन्हें कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा सके। संलग्नक 6.1 इन जिलों में एनजीओ (ज) द्वारा शुरू की गई गतिविधियों को दर्शाता है।

ब्लॉक एवं क्लस्टर संसाधन केंद्र

6.17 प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में ब्लॉक संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि अध्यापक सहायता, सेमिनारों के आयोजन, अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्य क्रम तेयार करने, पाठ्य पुस्तकों के वितरण, स्कूल के निष्पादन के मॉनीटरण, जिला प्राधिकारियों से निधि लेने और उसे वितरित करने में सहायता ली जा सके। मेयोंग और कपिली (असम), खोरबाडी (पश्चिम बंगाल) को छोड़कर सभी ब्लॉकों

में ब्लॉक संसाधन केंद्र कार्यरत थे, बीआरसी (सीएलआरसी) वीईसी (ज) के साथ कार्य नहीं कर रहे थे जो जिला प्राधिकारियों से सीधे ही निधि प्राप्त कर रहे थे।

6.18 उप ब्लॉक स्तरों पर क्लस्टर संसाधन केंद्र स्थापित कर लिए गए हैं, फिर भी 77% ब्लाक संसाधन केंद्र 45% क्लस्टर संसाधन केंद्र कूल से 3 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित थे। आंध्र प्रदेश बिहार और राजस्थान में अधिकांश सीआरसी (ज) स्कूलों से काफी दूरी पर स्थित थे (तालिका 6.6)।

तालिका 6.6 बीआरसी (ज) और सीआरसी (ज) की प्रभावोत्पादकता

राज्य\यूटी	बीआरसी (ज) ओर सीआरसी (ज) की जानकारी (प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत)		स्कूल से दूरी			शैक्षणिक मार्गदर्शन (%)		वित्तीय सहायता (%)		प्रत्येक सीआरसी के लिए स्कूलों का औसय संख्या*
			बीआरसी (ज)	सीआरसी (ज)		बीआरसी (ज)	सीआरसी (ज)	बीआरसी (ज)	सीआरसी (ज)	
	बीआरसी (ज)	सीआरसी (ज)	3 कि0मी0 से >	0 3 कि0मी0 के भीतर	3 कि0 मी0 से >					
आंध्र प्रदेश	100	100	100	12	88	88	88	88	42	13
असम	96	88	75	42	58	67	63	79	42	44
बिहार	100	92	92	40	60	80	76	32	24	18
चंडीगढ़	100	67	100	33	67	100	67	0	0	14
हरियाणा	100	100	79	43	57	100	100	100	100	20
हिमाचल प्रदेश	92	69	54	54	46	85	69	46	15	4
मध्य प्रदेश	100	100	67	56	44	89	94	83	61	18
राजस्थान	100	89	79	42	58	100	79	58	5	26
तमिलनाडु	90	97	73	67	33	73	73	57	33	13
उत्तर प्रदेश	100	100	72	91	9	84	78	47	22	21
पश्चिम बंगाल	100	100	60	95	5	100	100	0	0	22
राज्य/ यूटी	**98**	**94**	**77**	**55**	**45**	**85**	**81**	**57**	**32**	**18**

6.19 आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सभी बीआरसी (ज) और सीआरसी (ज) से अवगत थे। स्कूल मुख्याध्यापकों और सीआरसी (ज) के बीच समन्वयन असम, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कमजोर

था। असम में भी काफी स्कूल जो सीआरसी (ज) के ग्राह्य क्षेत्र में थे, ने शैक्षणिक मार्गदर्शन को काफी प्रभावी किया। चंडीगढ़ में अधिकांश सीआरसी (ज) स्कूलों से काफी दूरी पर स्थित थे। हिमाचल प्रदेश में यद्यपि सीआरसी (ज) संख्या में काफी अधिक थे, स्कूल मुख्याध्यापकों ने रिपोर्ट की थी कि कई सालों के दौर बीआरसी (ज)/ सीआरसी (ज) के सदस्यों द्वारा कोई दौरा नहीं किया गया, क्योंकि ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की दोहरी जिम्मेदारी है, एसएसए की तथा राज्य स्कीमों की थी। जबकि ब्लॉक संसाधन केंद्र के कर्मचारियों ने उल्लेख किया था कि वे मासिक बैठकें करते थे, परन्तु उनके पास बीआरसी (ज)/ सीआरसी (ज) द्वारा स्कूलों के दौरों के कोई रिकार्ड रखने की कोई प्रणाली नहीं है। अधिकांश ब्लॉकों में बीआरसी (ज) की कार्य शैली, सीआरसी (ज) की कार्य शैली से बेहतरीन पाई गई।

6.20 स्टाफ संबंधी बाधाएं (हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) कमजोर अवसरंचना (चंडीगढ़ और सिलिगुड़ी) आकस्मिक निधियों के लिए बजट और स्कूलों से अधिक दूरी के कारण मॉनीटरण एवं पर्यवेक्षण के संपर्क कमजोर रहे। क्लस्टर संसाधन केंद्रों के लिए कर्त्तव्य एवं निष्पादन में कार्मिकों का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि सांविधिक जिम्मेदारी ठहराई जा सके। सीआरसी (ज) को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, ताकि टीएलएम्स तैयार करने, गुणवत्ता के मॉनीटरण, अध्यापक और छात्रों की उपस्थिति मार्गदर्शन किया जा सके और शैक्षणिक सहायता पहुंचाई जा सके।

मॉनीटरण प्रणालियां

6.21 एसएसए के अंतर्गत मॉनीटरण प्रणाली के तहत राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय मॉनीटरण समितियों के गठन का विचार है। गोवा, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश राज्यों और चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे संघ शासित क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी में राज्य स्तरीय मॉनीटरण समितियां गठित कर ली गई हैं। राज्य की टीमों की नियमित रूप से बैठकें होने की सूचना मिली है और वे

एसएसए के सभी हस्तक्षेपों में कार्यान्वयन के मॉनीटरण और सिविल कार्यों में में शामिल हुई है। राजस्थान की मॉनीटरण टीम ने स्कूलों का दौरा भी किया था।

6.22 जिला स्तरीय मॉनीटरण दलों को गठन सभी जिलों में कर लिया था, परन्तु दलों की संरचना संबंधी मानदण्डों, उनके कार्यों, दौरों की आवर्ती का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अधिकांश जिला दलों की मुख्य गतिविधि स्कूलों का मॉनीटरण करना था (तालिका 6.7)। मात्र असम के एक जिले द्वारा स्कूलों की मैपिंग भी की गई, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के एक जिले में भी ऐसे ही किया गया तथा तमिलनाडु के सभी जिलों में स्कूलों की मैपिंग की गई। क्योंकि अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारियों के पास कई प्रभार होते हैं (एसएसए और राज्य स्कीमें)। अतः समय के अभाव के कारण एसएस के हस्तक्षेपों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तमिलनाडु में सभी जिला टीमें काफी प्रभावी रही हैं।

तालिका 6.7 जिला स्तरीय मॉनीटरण टीमों की प्रभावोत्पादकता

राज्य\यूटी	जिलों की संख्या जहां डीईओ के पास अतिरिक्त प्रभार है	मॉनीटरण स्कूल	कक्ष-कक्ष की टिप्पणी	स्कूल मैपिंग	बच्चों के सीखने की उपलब्धि	निधि – संबंधित मुद्दे	प्रबंधन के मुद्दे	सिविल कार्य	भोजन के मुद्दे
आंध्र प्रदेश सं0=3	1	3	1		2		3		
असम सं0=3	2	3		1					
बिहार सं0=3	3	2	1				1		
चंडीगढ़ सं0=1	1	1							
हरियाणा सं0=2	2	2	2		1		1		
हिमाचल प्रदेश	2	2			1	1	1	1	2

सं0=2									
मध्य प्रदेश सं0=3	2	3	2				1		3
राजस्थान सं0=3	3	3	1			1	2	1	
तमिलनाडु सं0=3	0	3	3	3	3				
उत्तर प्रदेश सं0=4	1	4	1	1	1			2	
पश्चिम बंगाल सं0=2	1	2						1	
औसत (सभी राज्य) **सं0=29**	**18**	**28**	**11**	**5**	**8**	**2**	**9**	**5**	**5**

सं0=**जिलों की संख्या, जिला मॉनीटरण दलों की बहुआयामी प्रतिक्रियाएं**

6.23 तेरह जिलों में (44%) बैठकें मासिक आधार पर की गई हैं1 6 जिलों में पाक्षिक बैठकें की गई हैं तथा अन्य जिलों में साप्ताहिक बैठकें की गई है बारन जिले में तिमाही बैठकें तथा उज्जैन और महेन्द्रगढ़ में 6 माही आधार पर बैठकें की गई है।

6.24 महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) चम्बा और बैझाड़ी (हिमाचल प्रदेश), अटर काण्डला और अलीराजपुर (मध्य प्रदेश) और हरिनघाटा में (2 ब्लाकों में 1) मारी गाड़ा और खोरी बाड़ी (पश्चिम बंगाल) के अलावा अन्य सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय टीमें गठित कर ली गई हैं। बैठकों की आवर्ती/ गति विधियों की मॉनीटरिंग तथापि नियमित रही हैं और 55% मानीटरिंग दलों की बैठकें मासिक आधार पर हुई हैं (तालिका 6.8)। यद्यपि आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और तमिलनाडु इन मॉनीटरण दलों की सहायता के लिए कोई एनजीओ (ज) नहीं थे। वे चयनित जिलों में मॉनीटरण में शामिल रहे।

तालिका 6.8 ब्लॉक स्तरीय मॉनीटरण दलों की बैठकों की आवर्ती								
राज्य\यूटी	ब्लॉकों की संख्या	ब्लॉक मॉनीटरण दलों की संख्या	स्कूलों में ब्लॉक मॉनीटरण दलों के दौरों की आवर्ती					मॉनीटरण में एनजीओ (ज) की सहभागिता*
			साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	अर्ध वार्षिक	वार्षिक	
आंध्र प्रदेश	6	6		2	4			0
असम	6	6	2		4			1
बिहार	6	6		1	3	1	1	4
चंडीगढ़	1	1			1			1
हरियाणा	4	3		1	2			3
हिमाचल प्रदेश	4	2			1	1		3
मध्य प्रदेश	6	3			3			1
राजस्थान	6	6	1	1	4			3
तमिलनाडु	6	6		6				6
उत्तर प्रदेश	8	8	4		4			4
पश्चिम बंगाल	5	2			1	1		4
राज्य/ यूटी	**58**	**49**	**7 (14.3%)**	**11**	**27 (55%)**	**3**	**1**	**30**

*ब्लॉकों की संख्या

6.25 सहायता केंद्रों के साथ बेहतरीन संपर्क बनाने के लिए समुदाय की सहभागिता और माता - पिताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। जिला सतरीय मॉनीटरण दलों की मॉनीटरण गतिविधियों (स्कूल मैपिंग और उपलब्धि) को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

अध्याय-7

शहरी निष्कर्ष

7.1 कस्बों में एसएसए के आकलन के उद्देश्य के लिए शहरी प्रतिदर्श का चयन भी किया गया है।

चयन का मानदण्ड

7.2 प्रत्येक प्रदेश से सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला एक राज्य और वहां उस राज्य के 2 कस्बों का चयन किया गया। पुडुचेरी यूटी से भी दो कस्बों का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित दो कस्बों से दो गंदी बस्तियों को चुना गया। यद्यपि, पांच राज्यों से 12 कस्बे और 24 गंदी बस्तियों और एक संघ शासित क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुना गया था। फिर भी 13 कस्बों और 22 गंदी बस्तियों में वास्तव में जांच की गई। चयन किए गए राज्यों/कस्बों के नाम तालिका 7.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 7.1 चयनित राज्यों/ यूटी/ कस्बों/ जिलों के नाम (शहरी प्रतिदर्श)

जोन	राज्य	चयनित कस्बे (जिले)
उत्तर	उत्तर प्रदेश	आगरा एवं कानपुर शहर (कानपुर नगर, आगरा)
पश्चिम	महाराष्ट्र	नवी मुम्बई और पुणे (ठाणा और पुणे)
पूर्व	पश्चिम बंगाल	कोलकाता एवं रानीगंज (कोलकाता एवं बुर्दवान)
दक्षिण	आंध्र प्रदेश	यमीगानूर, हैदराबाद और सिकन्दराबाद (कर्नूल एवं हैदराबाद)
उत्तर पूर्व	असम	जोरहट एवं गुवाहाटी शहर (जोहरहट एवं कामरूप)
यूटी	पुडुचेरी	कराइकल और ओजूकराल (कराइकराल व पुडुचेरी)

पहुंच यद्यपि गंदी बस्तियों के 93% बच्चे पड़ोस में ही बुनियादी शिक्षा प्राप्त करते हैं जो पैदल तय हो सकती है (1 किलोमीटर), गंदी बस्तियों में आधे से भी अधिक की गंदी बस्तियों में स्कूलों पर पहुंच नहीं है। हैदशबाद और नवी मुम्बई में कुछ

बच्चे गंदी बस्तियों से 1 किलोमीटर से भी अधिक चल कर स्कूल जाते हैं। तालिका 7.2 दूरी और प्रबंधन की दृष्टि से स्कूलों की पहुंच को दर्शाती है।

तालिका 7.2 शहरी गंदी बस्तियों के क्षेत्र में स्कूलों की पहुंच और उपलब्धता							
राज्य\यूटी	दूरी की दृष्टि से स्कूलों की पहुंच (छात्रों की प्रतिक्रियाएं) **(%)**			स्कूलों की उपलब्धता **(स्कूलों का % प्रबंधन की दृष्टि से)**			
	गंदी बस्तियों के भीतर	**1** कि**0**मी**0** से <	**1-3** कि**0**मी**0**	सरकारी	सरकारी सहायता प्राप्त	स्थानीय निकाय	निजी
आंध्र प्रदेश	37.5	50	12.5	66	0	22	12
असम	50	50	0	25	0	50	25
महाराष्ट्र	0	75	25	0	23	42	35
पुडुचेरी	50	50	0	100	0	0	0
उत्तर प्रदेश	100	0	0	100	0	0	0
पश्चिम बंगाल	25	75	0	25	75	0	0
राज्य/ यूटी	**46.4**	**46.4**	**7.1**	**31**	**16**	**31**	**22**

7.4 सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और कस्बे की स्थानीय निकायों के प्रबंधन (नगर निगम) के स्कूलों का शहर की गंदी बस्तियों में शिक्षा सुविधा में 78% योगदान रहता है। पुडुचेरी में कराइकराल और आजइकराई, उत्तर प्रदेश में आगरा और कानुपर नगर, सरकारी स्कूल प्रचूरता में थे, जब कि आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और यमीगानूर, असम में जोरहट, महाराष्ट्र में पुणे और नवी मुम्बई, नगर निगम के प्रबंधन अधीन काफी स्कूल हैं। कोलकाता और बुर्दवान में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल काफी अधिक थे।

अल्पसुविधा वाली गंदी बस्तियां

7.5 अपर प्राथमिक स्कूलों में पहुंच की दृष्टि से आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और यमीगानूर में गंदी बस्तियों में छात्र अपने पड़ोस में ही अपर प्राथमिक स्कूलों में जाते हैं। पुणे और नवी मुम्बई में भी उन्हें यह सुविधा उपलब्ध है। असम और पुडुचेरी में अपर प्राथमिक स्कूल चार गंदी बस्तियों में से मात्र एक में ही थे (तालिका 7.3)। पश्चिम बंगाल में सूचित किया गया कि किसी भी बस्ती में जांच नहीं की और उनकी बस्ती में अपर प्राथमिक स्कूलों के बारे में पाया है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़ कर पिछले दस वर्षों के दौरान गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए कोई नया स्कूल शुरू नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा शहरी गंदी बस्तियों को उनके पड़ोस में अपर प्राथमिक स्कूलों की उपलब्धता की दृष्टि से अल्पसयेवित ही रही हैं।

तालिका 7.3 अपर प्राथमिक स्कूलों की पहुंच

राज्य\यूटी	**20** साल से अधिक पुराने स्कूलों की संख्या	अंतिम **10** वर्षों के दौरान खोले स्कूलों की संख्या	ऐसी गंदी बस्तियों की संख्या जहां अपर प्राथमिक स्कूल नहीं हैं
आंध्र प्रदेश	4 (50%)	3 (37.5%)	0
असम	4 (100%)	-	1
महाराष्ट्र	1 (25%)	1 (25%)	0
पुडुचेरी	4 (100%)	-	3
उत्तर प्रदेश	3 (75%)	-	1
पश्चिम बंगाल	4 (100%)	-	4
राज्य/ यूटी	**20 (71.4%)**	**4 (14.2%)**	**9 (40.9%)**

कुल स्कूल (14.2%) 10-20 वर्ष पुराने हैं।

पंजीकरण और उपस्थिति

7.5 निजी स्कूलों की मौजूदगी के बावजूद भी सरकारी स्कूलों और नगर निगमों (स्थानीय शासी निकायों) द्वारा प्रचालित स्कूलों में पंजीकरण की सतत 18% वृद्धि हुई है (तालिका 7.4), विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल

के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी पंजीकरण बढ़ा है। मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन और महाराष्ट्र के कस्बों में मल्टीलिंगुअल स्कूलों की उपलब्धता से पंजीकरण अनुपात में सुधार हुआ है।

तालिका 7.4 पंजीकरण और छात्र उपस्थिति दर

राज्य/ यूटी	पंजीकरण संबंधी अंतर का % (2003 की तुलना में 2007 में)	छात्र उपस्थिति दर (स्कूलों का %)				मध्याह्न भोजन कराने वाले स्कूलों का %
		90-100%	75-90%	45-75%	45% से <	
आंध्र प्रदेश सं0=8	16.7	87.5	12.5	-	-	100
असम सं0=4	1.1	50	-	50	-	50
महाराष्ट्र सं0=4	41.6	50	-	50	-	100
पुडुचेरी सं0=4	-20.0	100	-	-	-	100
उत्तर प्रदेश सं0=4	-11.0	-	50	25	25	100
पश्चिम बंगाल सं0=4	43.5	-	50	50	-	75
राज्य/ यूटी सं0=28	17.9	53.5	14.2	25	3.57	89.2

सं0= स्कूलों की संख्या. सकल पंजीकरण अनुपात क्योंकि 2003 के लिए बाल जनसंख्या के आकड़े उपलब्ध नहीं थे।

7.7 चयनित स्कूलों में 58% स्कूलों ने रिपोर्ट किया है कि छात्रों की उपस्थिति 75% से अधिक रही है। उत्तर प्रदेश में छात्रों की अनुपस्थिति अधिक थी, जबकि पुडुचेरी ने छात्रों की 100% उपस्थिति सूचित की है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्कूलों में अनुपस्थिति के कारण घर में कार्य का होना, खराब स्वास्थ्य और भाई बहनों की देखभाल करना बताया है।

स्कूल से बाहर रहे बच्चे

7.8 पुना, कानपुर, आगरा और कोलकाता में गंदी बस्तियों के स्कूल से बाहर रहे बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी। चयनित प्रतिदर्शों में गंदी बस्तियों के 20% घरों में बच्चो स्कूल से बाहर थे (तालिका 7.5) प्रवासियों की खराब आर्थिक स्थिति, माता - पिताओं द्वारा ध्यान न दिए जाना, घरों और वाणिज्यिक स्थापनाओं में बालरम आदि ऐसे मुख्य कारण हैं, जिनसे बच्चे स्कूलों से बाहर रहे।

तालिका 7.5 गंदी बस्तियों में बीच में स्कूल छोड़ने वाले और स्कूल से बाहर रहे बच्चे

राज्य\यूटी	एचएच (एस) ओओएससी (एनओएस)	ड्रॉप आउट्स की संख्या/(ओ ओ स्कूल)	ड्रॉप आउट्स की संख्या/ ओओ स्कूल जिससे संबंधित			ड्रॉप आउट लड़कियां/ ओओ स्कूल (%)	प्री प्राइमरी सेक्शन वाले स्कूल (%)
			एससी/ एसटी	ओबी सी	सामान्य		
आंध्र प्रदेश सं0=40	2	2	1	1	0	50	13
असम सं0=40	0	0	0	0	0	0	50
महाराष्ट्र सं0=40	47.5	30	15	1	14	70	100
पुडुचेरी सं0=40	0	0	0	0	0	0	100
उत्तर प्रदेश सं0=40	50	33	28	4	1	52.1	0
पश्चिम बंगाल सं0=40	20	12	1	0	11	40	25
राज्य/ यूटी सं**0=240**	**49 (20.4%)**	**77**	**45 (58%)**	**6**	**26**	**57.5**	**42**

सं0=गंदी बस्तियों में सर्वेक्षित घरों की संख्या

7.9 स्कूल से बाहर रहे बच्चों में आधे से भी अधिक सामाजिक रूप से वंचित रहे स्कूलों (एससी/ एसटी) से संबंधित थे। जब कि उत्तर प्रदेश में चयनित प्रतिदर्शों में स्कूल से बाहर रहे सर्वाधिक थे। महाराष्ट्र में इन बच्चों में से 70% लड़कियां थी। यह देखा गया है कि प्राथमिक स्कूल प्री प्राथमिक सैक्शन उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में नहीं थे और कुछ आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में थे। यदि गंदी बस्तियों के पड़ोस में प्री प्राथमिक सैक्शन/अपर प्राथमिक स्कूल/ पीईजीई स्कूल उपलब्ध हों, तो बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में कमी आ सकेगी।

7.10 पंजीकरण में सुधार के लिए गंदी बस्तियों के बच्चें की वित्तीय प्रोत्साहन एवं वर्दियां प्रदान करने की आवश्यकता है। स्कूल से बाहर रहे बच्चों में 84% स्कूल जाने के इच्छुक थे और उनकी उम्मीद मुफ्त वर्दियां, पाठ्य पुस्तकें और छात्रवृत्तियां लेना बताया गया है। इस संबंध में अधिक जागृति लाने की आवश्यकता है, क्योंकि 55% माता - पिताओं की एसएसए हस्तक्षेपों की जानकारी नहीं थी (तालिका 7.20)।

सर्वोत्तम प्रणालियां

पहल: यह उत्तराखंड सरकार का एक नव प्रवर्त्तनकारी कार्यक्रम है, जो कूड़ा/ रद्दी उठाने वाला, मैला उठाने वाली, अनाथ आदि बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए इस राज्य के जिले की गंदी बस्तियों में शुरू किया गया है इसे एसएसए के अंतर्गत पीपीपी मोड पर कार्यान्वित किया जाता है। निजी स्कूल/स्कूल जहां इन बच्चों को पंजीकृत किया जाता है उसे प्रति बालक 3000 रूपए की दर से भुगतान किया जाता है और पंजीकरण उपस्थिति और इन बच्चों की उपलब्धि के स्तर के बारे में आंतरिक मॉनीटरण सीआरसी, बीआरसी आदि द्वारा किया जाता है।

जैंडर और सामाजिक अंतराल

7.11 लड़कियों के पंजीकरण में ठोस सुधार हुआ है जिससे 2007 में जैंडर समानता अनुपात 0.82 हो गया है (तालिका 7.6) असम और पुड्चेरी में जैंडर

समानता प्राप्त कर ली गई है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लड़कियों के पंजीकरण में ठोस वृद्धि बताई गई है, परिणामस्वरूप जैंडर समानता अनुपात में सुधार हुआ है।

तालिक 7.6 लड़कियों/ एससी, एसटी/ सीडब्ल्यूएसएन के पंजीकरण का हिस्सा

राज्य\यूटी	लड़कियों के पंजीकरण का हिस्सा%		एससी/ एसटी के बच्चों के पंजीकरण का %		सीएसडब्ल्यूएन का %	
	2003	**2007**	**2003**	**2007**	**2003**	**2007**
आंध्र प्रदेश	45.9	48.5	36.8	27.0	0.01	0.01*
असम	50.5	50.8	33.5	30.3	0.29	0.13
महाराष्ट्र	30.6	40.4	22.0	33.2	6.54	3.90
पुड्डुचेरी	49.8	49.7	32.6	32.5	2.06	1.85
उत्तर प्रदेश	51.0	46.1	36.8	39.7	सं0A	सं0A
पश्चिम बंगाल	51.9	45.5	22.3	17.1	1.95	1.04
राज्य/ यूटी	**42.4**	**45.1**	**30.1**	**30.3**		

लड़कियों/ एससी/एसटी के पंजीकरण स्कूलों के अनुसूची से लिए गए हैं। सीडब्ल्यूएसएन के आंकड़े कस्बा स्तरीय अनुसूची से लिए गए हैं। सीडब्ल्यूएसएन के संबंध में आंकड़े मात्र यमीनगनूर से लिए गए हैं।

7.12 स्कूल पंजीकरण में सामाजिक रूप से वंचित समूहों का स्तर स्थिर (30%) रहा है, जबकि राज्यों में महाराष्ट्र में समग्र पंजीकरण में हुए सुधार से जैंडर और सामाजिक समानता अनुपात में सुधार हुआ है। पश्चिम बंगाल में समग्र पंजीकरण 43% की वृद्धि हुई है परन्तु लड़कियों के पंजीकरण और एससी/ एसटी के पंजीकरण में गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में पंजीकरण में आई गिरावट के कारण जैंडर समानता में भी कमी आई है।

7.13 स्कूल में पंजीकरण में अन्यथा रूप से सयोग्य बच्चों की संख्या में कमी आई है। असम, पुड्डुचेरी और उत्तर प्रदेश में स्लम स्कूलों ने छात्रों को कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं किये और स्कूल में कोई हाल नहीं था (तालिका 7.7)। मात्र कुछ स्कूलों में ही व्यक्तिक शिक्षा योजनाएं या प्रोत्साहन रखे गए थे।

उत्तर प्रदेश में दावा किया गया था कि आईईडी पर निधि व्यय की गई है। यह रिपोर्ट मिली है कि चयनित स्कूलों में असहाय बच्चों में किसी को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

तालिका 7.7 सीडब्ल्यूएसएन के लिए प्रोत्साहन				
राज्य\यूटी	वे स्कूल जहां असहाय बच्चे थे **(%)**	आईईपी तैयार करने वाले स्कूल**(%)**	प्रोत्साहन प्रदान करने वाले स्कूल **(%)**	आईईडी का आबंटन **(%) (06-07)**
आंध्र प्रदेश	62.5	20	60	46.84
असम	25	0	0	68.40
महाराष्ट्र	75	0	100	96.11
पुडुचेरी	50	0	0	56.93
उत्तर प्रदेश	25	0	0	सं0A
पश्चिम बंगाल	50	50	0	82.22
राज्य/ यूटी	**50**	**14.3**	**42.8**	

उत्तर प्रदेश में आबंटन के आंकड़े उपलब्ध

अवसंरचनात्मक सुविधाएं

7.14 शहरी गंदी बस्तियों के स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं (तालिका 7.8) दर्शाती है कि यद्यपि 93% स्कूल पक्के (सभी मौसम) भवन में स्थित थे, लेकिन ये प्राय: किराए के भवन में है और उन्हें मरम्मत और रखरखाव संबंधी अनुदान नहीं मिलता है। असम और पश्चिम बंगाल में मात्र 50% स्कूलों में चार दीवारी थी। पंखों और छत (एसबैस्टस शीट) की चोरी के मामले भी नवी मुम्बई के स्कूलों से सामने आए हैं और यमीगानौर में स्कूल के शौचालय का उपयोग स्लम के अन्य लोग भी करते हैं। खेल के मैदान कुछ ही स्कूलों में हैं, लेकिन कक्षा कक्षों में अन्य गतिविधियों के लिए सीमित स्थान है। स्कूलों के सीमित क्षेत्र के कारण स्कूलों को असाहयों के अनुकूल बनाने के लिए ढाल के निर्माण की कोई गुंजाईश नहीं है।

तालिका 7.8 अवसंरचनात्मक सुविधाएं (स्कूलों का %)										
राज्य/ यूटी	पक्के भवन वाले	चार दीवारी वाले	1-3 कक्षा कक्षों वाले	पेयजल सुविधा वाले	सामान्य शशौचालय के साथ	लड़कियों के लिए शौचालय सुविधा	विद्युत कनैक्शन वाले	कंप्यूटर शिक्षा देने वाले	ब्लैक बोर्ड की सुविधा वाले	टीएलएमएस के साथ
आंध्र प्रदेश	87.5	62.5	12	62.5	75	12.5	87.5	12.5	100	100
असम	100	50	75	100	100	25	75	0	100	100
महाराष्ट्र	100	75	0	100	100	100	100	75	100	75
पुडुचेरी	75	75	50	100	100	100	100	25	100	100
उत्तर प्रदेश	100	75	25	75	50	25	50	0	100	100
पश्चिम बंगाल	100	50	25	75	75	0	100	0	100	75
राज्य/ यूटी	**93**	**64**	**29**	**82**	**82**	**39.2**	**85.7**	**62**	**100**	**93**

7.15 यमीनगानूर (आंध्र प्रदेश) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के कुछ स्कूलों को छोड़कर 82% स्कूलों में पेयजल की सुविधा सुलभ थी तथा उत्तर प्रदेश के हैंडपम्प भी कार्य करने की हालत में नहीं थे। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में जल संचयन कंटेनरों से कानपुर और आगरा में हैंडपम्पों से पानी पिलाया जाता है1 यद्यपि 82% स्कूलों में शौचालयों की सुविधा थी, लेकिन 40% स्कूलों में ही लड़कियों के लिए अलग शौचालय बने थे1 पश्चिम बंगाल के चयनित किसी भी स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं थे। शहरी गंदी बस्तियों के स्कूलों में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया था और स्कूल के वातावरण को सुधारने के लिए उन्हें अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए।

7.16 शहरी गंदी बस्तियों के 86% स्कूलों में विद्युत कनैक्शन लिया हुआ था। यद्यपि महाराष्ट्र, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के चयनित सभी गंदी बस्तियों के स्कूलों में बिजली की आपूत्रि थी, लेकिन पुडुचेरी के मात्र एक स्कूल और महाराष्ट्र के तीन स्कूलों में ही यह सुविधा थी। संलग्नक 7.1 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ महत्वपूर्ण सूचकों को दर्शाता है।

स्कूल के सूचक

7.17 कंप्यूटर शिष्य अध्यापक अनुपात (तालिका 7.9) 57% स्कूलों में पीटीआर अनुपात 40 से भी कम है। उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट मिली है कि दो सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पीटीआर अनुपात 70 और 107 था।

तालिका 7.9 स्कूल और अध्यापक सूचक

राज्य\यूटी	पीटीआर के साथ स्कूल < 40%	स्नातक अध्यापकों वाले स्कूल %	मल्टी ग्रेड कक्षाओं के स्कूलों का %	महिला अध्यापकों का %	एससी/ एसटी अध्यापकों का %	प्रति स्कूल औसतन	अध्यापक रिक्तियों की स्थिति का %	एसएसए के अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों का %
आंध्र प्रदेश	50	46	75	40	44.1	5.7	4.3	58.6
असम	100	52	25	48	12.0	6.5	3.8	38.4
महाराष्ट्र	0	27	0	37.5	7.8	16.0	1.5	1.5
पुडुचेरी*	100	11	0	50	22.2	11.2	2.2	6.6
उत्तर प्रदेश	25	25	75	41	0	4.7	68.4	21.1
पश्चिम बंगाल*	50	52	50	47	4.8	3.7	40.9	9.1
राज्य/ यूटी	**57.5**	**36**	**32**	**44**	**20.8**	**7.7**	**12.1**	**21.2**

*मात्र प्राथमिक स्कूल

7.18 पंजीकरण में बढ़ोतरी होने से महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में पीटीआर अनुपात ऊंचा हो गया। यद्यपि सभी स्कूलों में अपर प्राथमिक सैक्शन थे, जो दो पारियों मे ंचलते हैं, परिणामस्वरूप कुछ ही या मल्टीग्रेड कक्षाएं नहीं चलाई गई। आंध्र प्रदेश के स्कूलों में भी पंजीकरण में ठोस सुधार देखा गया पीटीआर भी उच्च थे (50% स्कूलों में पीटीआर 40 से अधिक थे) और कुछ स्कूलों में कक्षा कक्षा बहुत कम (1-3) थे, 75% स्कूलों में मल्टीग्रेड कक्षाएं थीं। उत्तर प्रदेश में एसएसए के अंतर्गत लगाए अध्यापकों के बावजूद भी पीटीआर्स बहुत उच्च थे। पीटीआर अनुपात में सुधार करने के लिए अध्यापक नियुक्त करने की आवश्यकता है और स्कूलों को दो पारियां चलानी चाहिएं। अध्यापकों को मल्टीग्रेड शिक्षण तकनीकों

में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

7.19 2007 में अध्यापक रिक्तियां (जांच अवधि के दौरान) उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में काफी अधिक थी, क्योंकि कई वर्षों से इन स्कूलों में नए अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई थी। फिर भी, एसएसए के अंतर्गत सभी स्कूलों में अर्ध अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। आंध्र प्रदेश के शहरी कस्बों में अन्य बातों कस्बों की तुलना में अधिक संख्या में अर्ध अध्यापक लगाए गए थे।

7.20 पुडुचेरी में महिला अध्यापकों की संख्या स्कूल में महिला अध्यापकों के 50% के अपेक्षित मानदंड के काफी करीब थी। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्कूलों में महिला अध्यापकों की कम संख्या के बावजूद भी लड़कियों के पंजीकरण में वृद्धि हुई थी।

7.21 पुडुचेरी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में स्नातक अध्यापकों की संख्याक म थी, जो कि योग्य व्यक्तियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षण की नौकरी करने में रूचि के अभाव का संकेत देता है। फिर भी, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में अध्यापकों की उपलब्धता बेहतरीन थी जो क्रमश: 11 और 16 अध्यापकों की औसत प्रति स्कूल रही है।

7.22 सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण और इन्डैक्शन प्रशिक्षण कसबा प्राधिकारियों द्वारा दिया गया था। महाराष्ट्र में मात्र 74% अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया था जब कि पुडुचेरी में 91.1% अध्यापकों ने सेवाकालीन प्रशिक्षण में भाग लिया था।

7.23 75% स्कूलों में अध्यापकों को गैर शिक्षण गतिविधियों जैसे जनगणना सर्वेक्षण, निर्वाचन ड्यूटी में शामिल किया गया था (तालिका 7.10)। असम में गैर शिक्षण गतिविधियों में बहुत कम अध्यापकों को ही लगाया गया था और वे अपने वेतन के स्तर से सर्वाधिक संतुष्ट थे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अभी स्कूलों

में अध्यापकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में बहुत कम रूचि लेते हैं और पुड़चेरी में इन गतिविधियों में सबसे कम संतुष्ट थे। यद्यपि पुडुचेरी में अध्यापकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में लगाया गया, 50% स्कूलों ने सूचित किया कि अध्यापकों को पाठ्यक्रम तैयार करने में परामर्श लिया गया है। सामान्यत: जिन अध्यापकों को कोई गैर शिक्षण गतिविधि नहीं सौंपी जाती और स्कूल योजनाएं तैयार करने में उनसे परामर्श नहीं लिया जाता, उन से उच्च स्तार की संतुष्टि की अपेक्षा की जाती है। अध्यापकों के उच्च प्रेरणा स्तर से शिक्षण की गुणवत्ता में काफी सुधार आ सकता है।

तालिका 7.10 गैर शिक्षण गतिविधियों के प्रति अध्यापकों की प्रतिक्रियाए और प्रेरणा स्तर

राज्य\यूटी	गैर शिक्षण गतिविधियों में अध्यापकों को लगाने वाले स्कूलों का %	स्कूलों का % जहां अध्यापक गैर शिक्षण गतिविधियों में रूचि नहीं लेते	उन स्कूलों का % जहां अध्यापकों से पाठ्यकक्रम तैयार करने में परामर्श लिया जाता है	उन स्कूलों का % जहां अध्यापक अपने वेतन से संतुष्ट हैं
आंध्र प्रदेश	62.5	75	37.5	12.5
असम	25.0	0	25.0	75.0
महाराष्ट्र	100	100	0.0	25.0
पुडुचेरी	100	0	50.0	100.0
उत्तर प्रदेश	100	100	25.0	50.0
पश्चिम बंगाल	75	75	25.0	50.0
All राज्य/ यूटी	**75**	**76.2**	**28.6**	**46.4**

स्कूल मुख्याध्यापकों और वरिष्ठ अध्यापकों की प्रतिक्रियाएं

शिक्षण लर्निंग सामग्री और प्रोत्साहन

7.24 छात्राओं और एससी/ एसटी बच्चों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई (तालिका 7.11)। अन्य अपात्र बच्चों को भी राज्य अनुदान या बुक बैंक से मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। 98% छात्रों को पाठ्य पुस्तकें सत्र के

आरंभ में ही मिल गई थीं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पंजीकरण संबंधी अप्रत्याशित वृद्धि के कारण पुस्तक मिलने में कुछ देरी हुई।

तालिका 7.11 प्रोत्साहनों और शिक्षण उपस्करों के संबंध में छात्रों की प्रतिक्रियाएं					
राज्य/ यूटी	सत्र के आरंभ में पुस्तकें प्राप्त करने वाले छात्रा का %	स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा की रिपोर्ट करने वाले छात्रा का % (उपयोग करने का %)	अध्यापकों द्वारा टीएलएम का उपयोग करने की रिपोर्ट देने वाले छात्रों का %	अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड उपयोग करने की रिपोर्ट देने वाले छात्रों का %	छात्रवृत्तियां प्रदान करने वाले स्कूलों का %
आंध्र प्रदेश	98	100 (71%)	98	100	12.5
असम	100	25.8 (25%)	96	100	0.0
महाराष्ट्र	84.3	100 (16%)	96	100	25.0
पुडुचेरी	100	75 (0)	100	100	100.0
उत्तर प्रदेश	100	3.1 (0)	66	100	75.0
पश्चिम बंगाल	100	25.8 (0)	74	96.8	0.0
सभी राज्य/ यूटी	**97.6**	**66.5 (35.6%)**	**91**	**99.6**	**32.1**

7.25 शहरी गंदी बसतियों के 93% स्कूलों में शिक्षण लर्निंग सामग्रियां उपलब्ध थी। मात्र नवीं मुम्बई के एक स्कूल तथा कोलकाता के भी एक स्कूल में ये सामग्रियां उपलब्ध नहीं थी। छात्रों ने अपनी जानकारी के अनुसार 91% ने रिपोर्ट दी कि अध्यापकों के द्वारा प्राय: टीएलएम (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का उपयोग किया जाता था। पुडुचेरी में अध्यापकों द्वारा शिक्षण के दौरान प्राय: ही टीएलएम (एस) का प्रयोग किया जाता था और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे कम उपयोग किया जाता था।

7.26 यद्यपि 66% स्कूलों में पुस्तकालय की स्थापना थी, लेकिन मात्र 35% छात्र ही उसका सदुपयोग कर रहे थे। तुलनात्मक दृष्टि से आंध्र प्रदेश के छात्रों में पुस्तक पढ़ने की आदत अधिक देखी गई क्योंकि वहां %71 छात्र पुस्तकालयों का

7.27 पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में एससी /एसटी लड़कियों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन दिए गये तथा नवी मुम्बई में योग्य एसएसी /एसटी छात्राओं को भी छात्रवृत्तियां दी गई। असम के दो स्कूलों और कोलकाता के एक स्कूल को छोड़कर सभी स्कूलों में छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया गया। पुडुचेरी में शिक्षा विभाग ने छात्रों के रिटेंशन में सुधार करने के लिए उन्हें नाश्ता ,दोपहर का भोजन ,नोट बुक्स ,वर्दियां बरसातियां और स्टेशनरी भी प्रदान की।

7.28 छात्रों ने सूचित किया है कि अध्यापक नियमित थे, यद्यपि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उनकी प्रतिशतता समग्र औसत से कम थी (तालिका 7.12) पुडुचेरी के सभी छात्रों ने उत्तर प्रदेश के 18.7% छात्रा ने और पश्चिम बंगाल के 3.23% छात्रों ने सूचित किया है कि उनके अध्यापक प्राय: उन्हें शारीरिक दंड देते हैं।

तालिका 7.12 अध्यापक उपस्थिति एवं दंड के संबंधों में छात्रों की प्रतिक्रियाएं

छात्रों की प्रतिक्रियाओं का (%)	आंध्र प्रदेश	असम	महाराष्ट्र	पुडुचेरी	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	राज्य/ यूटी
अध्यापक नियमित रूप से स्कूल आते हैं	98.9	100	100	100	93.7	80.6	96.4

अध्यापक प्राय: शारीरिक दंड देते हैं	0	0	0	100	18.7	3.23	15.35

सीखने की उपलब्धियां

7.29 चयनित स्कूलों में कक्षा I और कक्षा II में रोके गये उन बच्चों की प्रतिशतता उच्च रही सिवाय उत्तर प्रदेश के (तालिका (7.13)। यद्यपि सूचित किया गया था कि पश्चिम बंगाल में प्राथमिक कक्षाओं में कोई डिटेंशन नहीं की पॉलिसी राज्य द्वारा अपनाई गई है ,शहरी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को रिटेन किया गया। क्योंकि अधिकांश गंदी बस्तियों के बच्चे कमजोर शैक्षणिक पृष्ठभूमि के हैं और यह सीखने वालों की उनकी पहली जनरेशन है ,किसी के असफल न करने की नीति लर्निंग वातावरण में सहायक होगी और उससे रिटेंशन में सुधार होगा।

तालिका 7.13कक्षा I और II में बच्चों का निष्पादन

राज्य/ यूटी	पास प्रतिशतता (%)	असफल रहे (%)	परीक्षा में नहीं बैठे (%)
आंध्र प्रदेश	92.57	7.43	0
असम	91.36	4.94	3.7
महाराष्ट्र	89.13	10.87	0
पुडुचेरी	95.15	4.85	0
उत्तर प्रदेश	95.58	0	4.42
पश्चिम बंगाल	80.89	17.45	1.66
सभी राज्य/ यूटी	**90.19**	**9.16**	**0.65**

7.30 चयनित स्कूलों में प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों के छात्रों का मौखिक योग्यता पठन और लिखित परीक्षण, अंगेजी, स्थानीय भाषा और गणित में लिया गया (तालिका 7.14)। प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा II) में बच्चों का निष्पादन अंकों को बताने, अंग्रेजी वर्ण पहचानाने, स्थानीय भाषा के वर्ण पहचानने

7.31 रीडिंग परिक्षणों में कक्षा II के छात्रों का निष्पादन स्थानीय भाषा में लिया गया, जिससे पता चलता है कि उनमें 58% छात्र 80% शब्दों को सही ढंग से पढ़ सकते थे ,जबकि अंग्रेजी में 7% से 80% से अधिक शब्दों को सही रूप में पढ़ने के योग्य पाये गये और 88% अंकों की सही पहचान करने में योग्य पाये गये। स्थानीय भाषा में राज्यवार निष्पादन में रीडिंग परीक्षण से पता चलता है कि पुडुचेरी के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है (100%) और महाराष्ट्र में (69%) ने अंकों की सही पहचान की है। निष्पादन असम में और बेहतरीन) (100%) महाराष्ट्र (94%) आंध्र प्रदेश (92%) रहा।

तालिका 7.14 मौखिक और लिखित परीक्षणों में छात्रों का निष्पादन कक्षा II						
राज्य\यूटी	उन छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया (वर्णन परीक्षा)			रीडिंग परीक्षण उन बच्चों का प्रतिशत जिन्होंने 80% सही उत्तर दिए		
	अंग्रेजी	स्थानीय भाषा	अंक	अंग्रेजी	स्थानीय भाषा	अंक
आंध्र प्रदेश	34	92	92	3	55	92
असम	25	88	100	0	56	100
महाराष्ट्र	38	63	81	0	69	94
पुडुचेरी	100	100	100	9	100	93
उत्तर प्रदेश	72	72	97	0	28	69
पश्चिम बंगाल	84	52	100	19	55	87
सभी राज्य/ यूटी	**65**	**80**	**95**	**7**	**58**	**88**

7.32 लिखित परीक्षण के परिणाम (तालिका 7.15) गणित ,अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में लेने पर पता चलता है कि छात्रों ने अंग्रेजी की अपेक्षा अपनी मातृ भाषा में बेहतरीन निष्पादन दिखाया है, स्थानीय भाषा, अंग्रेजी और गणित में उनके औसत अंक क्रमश: 69, 74 और 35 थे। गुणांक में भिन्नता दर्शाती है कि असम, पुडुचेरी ,महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल छात्रों का निष्पादन समग्र औसत से बेहतरीन था।

तालिका 7.15 लिखित परीक्षणों में छात्रों का निष्पादन कक्षा-II

राज्य/ यूटी	गणित		अंग्रेजी		स्थानीय भाषा	
	औसत अंक गुणांक	औसत अंक गुणांक भिन्नता	औसत अंक गुणांक	औसत अंक गुणांक भिन्नता	औसत अंक गुणांक	औसत अंक गुणांक भिन्नता
आंध्र प्रदेश	78	297	6	324	78	35
असम	61	29	20	87	73	29
महाराष्ट्र	66	46	3	388	80	25
पुडुचेरी	88	16	71	20	99	4
उत्तर प्रदेश	38	90	na	na	29	125
पश्चिम बंगाल	69	43	51	54	85	24
सभी राज्य/ यूटी	**69**	**46**	**35**	**100**	**74**	**45**

7.33 कक्षा **VI** (अपर प्राथमिक) के लिए उपलब्धि परीक्षण में 87% छात्र स्थानीय भाषा में अनुच्छेद अच्छी तरह पढ़ सकते थे, जबकि अंग्रेजी में मात्र 16 प्रतिशत ने ही सही पढ़ा। महाराष्ट्र (38%) और पुडुचेरी (25 प्रतिशत) अंग्रेजी अनुच्छेद को समग्र औसत की अपेक्षा सही पढ़ा। स्थानीय भाषा में अनुच्छेद पठन की दक्षता का निष्पादन (तालिका 7.16) महाराष्ट्र के छात्रों में (100 प्रतिशत) और असम में (88 प्रतिशत) था जो समग्र औसत से अधिक था।

तालिका 7.16 अनुच्छेद पठन में छात्रों का निष्पादन (कक्षा VI)		
राज्य\यूटी	पठन परीक्षण	
	अंग्रेजी अनुच्छेद को 80 % सही पढ़ने वाले छात्रों का %	स्थानीय भाषा के सअनुच्छेद को **80%** से अधिक सही ढंग से पढ़ने वालों का %
आंध्र प्रदेश	9	81
असम	6	88

महाराष्ट्र	38	100
पुडुचेरी	25	75
राज्य/ यूटी	**16**	**87**

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गंदी बस्तियों के छात्रों की जांच नहीं की गई।

7.34 अंग्रेजी, स्थानीय भाषा और गणित में सवालों की लिखित परीक्षा (तालिका 7.1) में छात्रों का स्थानीय भाषा में निष्पादन अंग्रेजी और गणित से बेहतर रहा।

तालिका 7.17 लिखित परीक्षणों में छात्रों का निष्पादन कक्षा-VI

राज्य\यूटी	गणित		स्थानीय भाषा				अंग्रेजी निबंध	
			निबंध		अनुच्छेद			
	औसत अंक	गुणांक भिन्नता	औसत अंक	गुणांक भिन्नता	औसत अंक	गुणांक भिन्नता	औसत अंक	गुणांक भिन्नता
आंध्र प्रदेश	63	65	74	29	66	54	37	97
असम	5	265	75	26	70	33	38	74
महाराष्ट्र	45	76	84	26	73	38	44	76
पुडुचेरी	53	51	81	18	63	35	56	19
राज्य/ यूटी	**44**	**92**	**77**	**27**	**69**	**45**	**40**	**82**

7.35 राज्यों में प्राथमिक छात्रों का निष्पादन आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल (कक्षा ।।) और अपर प्राथमिक छात्र असम, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छे रहे हैं। यद्यपि, कुछ राज्यों में बेहतरीन निष्पादन का श्रेणक किसी एक कारक को नहीं दिया जा सकता, अध्यापकों की उपलब्धता (प्रति स्कूल अधिक अध्यापक, कम रिक्तियां और शिक्षण में टीएलएम (एस) का उपयोग सरकारी स्कूलों में लर्निंग परिणामों को प्रभावित करता है।

कार्यान्वयन एजेंसियां

7.36 हैदराबाद, सिकन्दराबाद, यमिगानूर(आंध्र प्रदेश) गुवाहाटी और जोरहट (असम), कराईकल, औजहूकराई (पुडुचेरी) और आगरा शहर (उत्तर प्रदेश)में एसएसए की कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग है। पुणे, नवी मुम्बई) महाराष्ट्र और कोलकाता, रानीगंज (पश्चिम बंगाल) में स्कीम का कार्यान्वयन नगर निगमों के माध्यम से तथा कानपुर में गंदी बस्ती विकास प्राधिकारण के माध्यम से किया जाता है।

7.37 एसएसए हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए निधियां राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नगर निगमों को इसके अंतर्गत आने वाले स्कूलों के प्रबंधन के लिए और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति को, गुवाहाटी में स्कूल प्रबंधन समितियों को और जोरहट एवं पुडुचेरी में स्लम शिक्षा समिति को प्रत्यक्ष रूप में अंतरित की गई। निधियों के अंतरण में यह विभिन्न नगर निगमों के कस्बों के भीतर गतिविधियों के समन्वयन के लिए निधियों के अंतरण हेतु जिला परियोजना कार्यालय की कोई भूमिका नहीं रखी गई है।

टाउन समितियां

7.38 टाउन समितियों को अध्यापकों, वाड्र्स/ गंदी बस्ती में समुदाय सदस्यों, स्कूल के निष्पादन के मॉनीटरण, जागृति अभियानों के आयोजन और शहरी संसाधन केंद्रों एवं क्लस्टर संसाधन केंद्रों के समन्वय संबंधी कार्य संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अध्यापकों और समुदाय सदस्यों के लिए आगरा शहर, गुवाहाटी, पुणे, नवी मुम्बई और रानी गंज में प्रशिक्षण आयोजित किये गये थे, परन्तु आंध्र प्रदेश, जोरहट, कोलकाता, कानपुर और कराईकल में आयोजित नहीं किये गये। यद्यपि कराईकल एक अलग टाउन है, पुडुचेरी में टाउन स्तरीय समिति एसएसए हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन कर रही थी।

7.39 आगरा शहर, कानपुर नगर और पुडुचेरी में टाउन मॉनीटरण समितियों ने सूचित किया है कि डब्ल्यूईसी (ज) एसईसी (ज) के स्कूलों के साथ निधियों, ड्रॉप

आउट करने वालों से संबंधित मुद्दों पर मासिक आधार पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जबकि नवी मुम्बई और पुणे में वार्षिक आधार पर बैठकें होती हैं। दूसरे कस्बों में डब्ल्यूईसी (ज) या स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ आयोजित बैठकों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

7.40 शहरी क्षेत्रों में बीच में स्कूल छोड़ने वालों को मुख्य धारा में लेने के लिए हैदराबाद के टाउन प्राधिकारियों ने लड़कियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित किए, अल्प अवधि के ब्रिज कोर्स आयोजित किए, गतिशील लर्निंग सेंटर चलाए तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए। धीरे सीखने वालों के लिए पुडुचेरी में रात्रि कालीन स्कूल खोले गए हैं और महाराष्ट्र में पंजीकरण अभियान और ब्रिज कोर्स आयोजित किए गए। जोरहट में ''ज्योति केंद्र'' स्थापित किए गए, ताकि स्कूल से बाहर रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सके। स्लम बस्तियों में किसी में भी एनपीईजीईएल स्कीमें या एआईई केंद्र प्रचालन में नहीं हैं।

गंदी बस्तियों की समितियां

7.41 स्लम/ वार्ड स्कूल शिक्षा समितियों ने रिपोर्ट किया है कि वे एसएसए हस्तक्षेपों के मॉनीटरण स्कूल अवसंरचना सुधार निधि, गंदी बस्तियों के बच्चों के पंजीकरण हेतु लर्न, जागृति शिविर आयोजित करने में अधिक सक्रियता से प्रभावकारी रही हैं (संलग्नक 7.2) तुलनात्मक दृष्टि से कर्मचारियों काउनसलर्स/ कारपोरेटर्स में रूचि की कमी के कारण टाउन समितियां बाधित हुई हैं और शहरी गंदी बस्तियों के स्कूलों के लिए योजनाएं नहीं बनाई गई।

7.42 पुडुचेरी में स्लम स्तरीय समितियां सर्वाधिक प्रभावित हुई क्योंकि उन्होंने मासिक आधार पर बैठकें की हैं, बच्चें के पंजीकरण के लिए घर – घर जाने का अभियान चलाया ताकि स्कूल से बाहर रहे बच्चों की संख्या को कम किया जा सके। समुदाय के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दे दिया गया है और असम और महाराष्ट्र में पंजीकरण, डब्ल्यूईसी (ज) के आंकड़ों का रखरखाव भी किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल की स्लम समितियां आंशिक रूप में ही प्रभावी रही हैं। स्लम

समितियों द्वारा महसूस की जा रही दिक्कतें निधि के प्राप्त होने में देरी या कम मिलने की है, परिणामस्वरूप स्कूल अवसंरचना की स्थिति खराब है।

स्कूल निधि

7.43 पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में स्लम बस्तियों में सभी सरकारी स्कूल हैं, उन्हें सिविल कार्यों, रखरखाव और मरम्मत के लिए एसएसए निधियों के अंतर्गत राशि प्रदान की गई। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल किराए के भवनों में हैं, जिन्हें सिविल कार्यों और रखरखाव के लिए अनुदान नहीं दिए गए।

7.44 स्कूल निधियों के आबंटन और सदुपयोग में समग्र रूप से सुधार देखा गया। सभी स्कूल उन्हें 2006-07 में जारी निधियों के 95% सदुपयोग करने में सफल रहे। पुडुचेरी में निधि के कम सदुपयोग करने के पीछे मुख्य कारण्य रहा – निधि की प्राप्ति में विलंबक (तालिका 7.18)। स्कूलों को 2007 में उपलब्ध कराई गई निधि में आंशिक सुधार देखा गया, जो इस तथ्य को बताता है कि अधिकांश निधियां ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में वितरित की गई थी।

तालिका 7.18 स्कूल अनुदान का सदुपयोग* (लाख रूपए में)

राज्य\यूटी	प्राप्त निधियां	खर्च	उपयोग %	प्राप्त निधियां	व्यय	उपयोग %
	2003-04			2006-07		
आंध्र प्रदेश	14000	14000	100	16000	16000	100
असम	42000	42000	100	41000	41000	100
महाराष्ट्र	35000	27000	77.1	50170	50170	100
पुडुचेरी	113600	106163	93.4	139820	118515	84.7
उत्तर प्रदेश	20500	17500	85.3	47970	47970	100
पश्चिमबंगाल	15500	15500	100	15500	36500	243.3

राज्य/ यूटी	**240600**	**222163**	**92.3**	**310460**	**310155**	**99.9**
*चयनित स्कूलों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जोरहट के स्कूलों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।						

7.45 छात्रों पर किया गया दर्शित व्यय (तालिका 7.19) राज्यों के बीच व्यापक अंतर को प्रकट करता है। महाराष्ट्र में टाउन प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उपलब्ध कराई गई निधियां पर्याप्त नहीं थीं।

तालिका 7.19 प्रति छात्र औसत व्यय का प्रदर्शन*		
राज्य\यूटी	प्रति छात्र औसत व्यय का प्रदर्शन **(रूपए में)**	
	2003	**2007**
आंध्र प्रदेश	5.42	6.19
असम	119.32	115.17
महाराष्ट्र	10.74	14.08
पुडुचेरी	96.42	134.83
उत्तर प्रदेश	23.81	73.69
पश्चिमबंगाल	27.72	52.22
राज्य/ यूटी	**29.47**	**35.52**
*स्कूल स्तरीय छात्रवृत्तियां		

माता – पिता – अध्यापक एसोसिएशन

7.46 स्कूल स्तरीय कर्मचारियों ने सूचित किया है कि पीटीए/ एमटीए सभी स्कूल में गठित कर लिए गए हैं तथा माता - पिता भोजन तैयार कराने, संवितरण और शिक्षण में सहायता भी करते हैं। फिर भी, पीटीए/ एमटीए के अस्तित्व के बारे में मात्र 45% को ही जानकारी थी तालिका 7.29)। यमीगानूर में यह सूचित किया गया था कि स्कूल प्रबंधन समितियों और पीटीए (ज) को बंद कर दिया गया है। असम और पुडुचेरी में एसएसए हस्तक्षेपों की अधिक जानकारी है, जिससे इन कस्बों में बीच में स्कूल छोड़ने के कम प्रकरण हुए हैं।

तालिका 7.20 एसएसए ओर पीटीए के बारे में माता - पिताओं की प्रतिक्रयाएं			
राज्य\यूटी	एसएसए की जानकारी का %	पीटीए/ एमटीए की जानकारी का %	स्लम में पंजीकरण अभियान की जानकारी का %
आंध्र प्रदेश	40	45	55
असम	65	52.5	47.5
महाराष्ट्र	30	20	57.5
पुडुचेरी	100	92.5	100
उत्तर प्रदेश	7.5	7.5	12.5
पश्चिमबंगाल	30	55.4	55
राज्य/ यूटी	**45.4**	**45.4**	**54.6**

7.47 एनजीओ (ज) एआईई केंद्रों की स्थापना में बारंबार शामिल हुए तथा लर्निंग संवर्धन कार्यक्रमों के संचालन सीडब्ल्यूएसएन के लिए ईआईडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पुणे, नवी मुम्बई, हैदराबाद, रानीगंज में सहयोग दिया। यद्यपि किसी भी चयनित बस्ती में कोई एनजीओ कार्यरत नहीं थी। दूसरे कस्बों में उनकी उपस्थिति बारंबार नगण्य ही बताई गई।

शहरी और क्लस्टर संसाधन केंद्र

7.48 आगरा, गुवाहाटी, पुणे नवी मुम्बई, रानीगंज और सिकन्दराबाद में शहरी संसाधन केंद्र जो ब्लॉक संसाधन केंद्र के समतुल्य हैं वहां मौजूद अस्तित्व में थे तथा अपना कार्य कर रहे थे और वे जागृति सर्वेक्षण अभियानों के संचालन और सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के पंजीकरण में व्यस्त थे। यूआरसी(ज) स्कूलों में पंजीकृत बच्चों के आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं कर रहे थे।

7.49 कस्बों में क्लस्टर संसाधन केंद्र स्थापित कर लिए गए हैं। 71.4% प्रतिवादी स्कूल मुख्याध्यापकों को सीआरसी (ज) के अस्तित्व की जानकारी थी। 10% सीआरसी(ज) स्केल परिसरों में ही थे और 80% 3 किलोमीटर की दूरी

पर थे। असम और महाराष्ट्र में 2 सीआरसी (ज) स्कूल से 3 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित होने की सूचना है। मात्र कुछ स्कूलों को ही शैक्षणणिक सुख मिल है और 65% ने सूचित किया है कि सीआरसी(ज) असम और उत्तर प्रदेश में सीआरसी(ज) को मॉनीटरण में भी शामिल किया गया था और महाराट्र में पाठ्य पुस्तकों के वितरण में, यद्यपि पुडुचेरी में सीआरसी(ज) 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थिति थे परन्तु उनमें से किसी ने भी स्कूलों को शैक्षणिक सहायता नहीं दी।

तालिका 7.21 सीआरसी (ज) की प्रभावोत्पादकता

राज्य\यूटी	सीआरसी की जानकारी रखने वालों की संख्या (%)	स्कूल से सीआरसी की स्थिति की दूरी (सीआरसी (ज) की संख्या)			स्कूलों को सीआरसी (ज) द्वारा मुहैया कराई गई सहायता (स्कूलों की संख्या)				प्रति सीआरसी के स्कूल*
		स्कूल के भीतर	1-3 कि0मी0	3-5 कि0 मी0	शैक्षणिक मार्गदर्शन	गुणवत्ता मॉनीटरण	पाठ्यपुस्तकें वितरण	अध्यापकों को प्रशिक्षण देना	
आंध्र प्रदेश	4 (50%)	2	2		-			3	27
असम	4 (100%)	-	3	1	1	2		3	15
महाराष्ट्र	4 (100%)	-	3	1	1		3	2	3
पुडुचेरी	4 (100%)	-	4		-			4	3
उत्तर प्रदेश	2 (50%)	-	2		-	1			48
पश्चिमबंगाल	2 (50%)	-	2		-			1	3
सभी राज्य/ यूटी का औसत (%)	**20 (71.4%)**	**10%**	**80%**	**10%**	**10%**	**15%**	**5%**	**65%**	**16**
*परिकलन किया। अन्य प्रतिक्रियाएं स्कूल मुख्याध्यापकों वरिष्ठ अध्यापकों के माध्यम से ली गई हैं।									

7.50 गंदी बस्तियों में कठोर समाजार्थिक दशाओं के रहने के संकुचित वातावरण और साफ सफाई की कम सुविधाओं को समझते हुए यह आवश्यक है कि किराए के भवनों में चल रहे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मरम्मत और अनुरक्षण के

लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निधियों का निर्धारण किया जाए। क्योंकि जिला प्राधिकारियों का नगर निगम स्कूलों पर सीमित क्षेत्राधिकार ही होता है एसएसए के कार्यान्वयनके लिए कोई मॉनीटरण नोडल एजेंसी नहीं है। जो कस्बे के नगर पालिका और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को देख सके। स्कूलों की गतिविधियों के मॉनीटरण के लिए एक अलग नोडल एजेंसी गठित करने की आवश्यकता है। शहरी गंदी बस्तियों के लिए अलग योजनाएं बनाई जाएं, जो गंदी बस्तियों के क्षेत्रों के स्कूल में पढ़ते हैं और वहां रहने वाले सभी बच्चों को वर्दियां भी दी जाएं। गंदी बस्ती के स्तर पर ही शिक्षा मॉनीटरण ही स्थापित किया जाए और वहां एनपीजीएल स्कीमें लागू की जाएं और प्रत्येक क्लस्टर में व्यावसायिक स्कूल स्थापित किए जाएं। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीआरसी(ज) स्थापित करने की आवश्यकता है और सामान्यत: उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ताकि अध्यापकों के साथ विनिमय में उन्हें शैक्षणिक मार्गदर्शन देने, पंजीकरण अभियानों के साथ – साथ जागृति शिविर आयोजित करने में और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

अध्याय-8

कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएं

अध्यापकों की कमी/ अनुपस्थिति

1. अध्यापकों की काफी रिक्तियां, ग्रामीण स्कूलों में 19% तथा शहरी स्कूलों में 12% (जांच के समय) रिक्त थीं। जब कि कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने काफी वर्षों से नियमित अध्यापक नियुक्त नहीं किए थे (कोट में चल रहे मामलों/ राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण(ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की कमी होना भी इसके कारणों में एक बताया गया है।

2. गैर शिक्षण गतिविधियों जैसे पल्स पोलियो, सिविल कार्यों का पर्यवेक्षण, घरों के सर्वेक्षण के कारण अध्यापकों की प्रेरणा भी कमजोर रही है। अध्यापकों से पाठ्यक्रम तैयार करने या जिला शिक्षा योजनाएं तैयार करने में परामर्श नहीं किया जाता है।

3. अध्यापक दूर दराज के क्षेत्रों में तैनाती के इच्छुक नहीं हैं।

4. गणित/ विज्ञान/ कंप्यूटर्स के लिए अलग अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं।

अपर्याप्त जनसाधन – सहयोग

1. जिला और उप जिला स्तरों पर एसएसए के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग/ स्थायी स्टाफ नहीं है। अधिकांश जिला स्तरीय स्टाफ (असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान) के पास अतिरिक्त प्रभार है।

2. ब्लाक संसाधन केंद्रों और कलस्टर संसाधन केंद्रों के पास समॉनीटरण और क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त जनसाधन नहीं हैं।

स्कूल से बाहर रहे बच्चे/ छात्र अनुपस्थिति

1. मौसम प्रवास असाक्षरता भाई – बहनों की देखभाल, आर्थिक पिछड़ेपन के कारणं आदर्श पंजीकरण कर मुख्यकिल चुनौती बन गई है।

2. मल्टीलिंगुअल स्कूलों की अनुपलब्धता, राज्यों के बीच असमान पाठ्यक्रम, मल्टीलिंगुअल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण सार्वजनिक रिटेंशन में दिक्कतें आती हैं। स्कूल का शैक्षणिक वर्ष प्रवासी सीटीजन्स के अनुरूप नहीं है।

3. असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में मौसमी प्रवास और घर के कार्य के कारण छात्र अनुपस्थिति काफी ऊच्चीनी विकास निधि रही है। माता पिता के स्तर पर ध्यान न दिए जाने और स्कूल में मध्याह्न भोजन के अभाव भी अनुपस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।

अपर्याप्त निधियां/ निधि का समय पर जारी न किया जाना

1. उप ब्लाक स्तर पर तिमाही वितरण से अधिक अच्छा सदुपयोग हो सकता था, क्योंकि दूसरी किस्त तो वर्ष के अंत में जनवरी/ मार्च में ही जारी होती रही है।
2. कराईकल (पुडुचेरी) जिले के लिए अलग से बजटीय निधि आबंटित की गई।
3. असम, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में निधि देरी से मिली। ग्राम/ स्कूल शिक्षा समितियों को मासिक आधार पर वितरण की अपेक्षा की जाती है।
4. जिलों को रिजिड हैड्स में निधि मिलती है, संसाधनों के उपयोग में शिथिलता नहीं है।
5. शहरी गंदी बस्तियों के क्षेत्र के स्कूलों में पर्याप्त निधि नहीं मिलती है।

सामुदायिक स्वामित्व/ कमजोर सहभागता

1. यद्यपि कार्यान्वयन को सुदृढ करने के लिए सामुदायिक पहलें महत्वपूर्ण होती हैं, जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल के मुख्याध्यापक पर ही रहती है।
2. वीईसी के सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण या स्वामित्व की भावना से प्रदर्शित नहीं किया गया है, निधि के उपयोग और रिकार्ड के रखरखाव में पारदर्शिता (स्कूलों में व्यापक स्तर पर नोटिस बोर्ड पर नहीं दिखाया जाता)। स्कूल प्रबंधन समितियां अधिक सक्रिय लगी।
3. एसएसए हस्तक्षेपों और पीटीए की जानकारी सामान्यत: कमजोर रही।

मॉनीटरण और पर्यवेक्षण में कमजोर संबंध

1. जिला स्तरीय मॉनीटरण दल का संरचना कुछ सदस्यों जिन में शामिल हैं – लेखाकार, डेटा एंट्री आपरेटर, तक ही सीमित रहती है। अधिकांश में आईईटी या एनजीओ (ज) के प्रतिनिधि नहीं होते। जिला और ब्लॉक की टीमों के पास स्कूलों में किए दौरों का रिकार्ड नहीं रहता है।

2. बीआरसी (ज)/ सीआरसी (ज) की भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं हैं। स्कूलों से बहुत कम सीआरसी (ज) काम कर रहे हैं।

3. शहरी क्षेत्रों में एसएसए के कार्यान्वयन के लिए कोई नोडल एजेंसी नहीं है। प्रत्येक नगर निगम अपने क्षेत्राधिकार में स्कूलों की देखभाल करता है, जो जिला प्रधिकारियों से स्वतंत्र हैं। टाउन स्तरीय समितियों में वचनबद्धता का अभाव है।

4. एनजीओ (ज) की सहभागिता कुछ ही गतिविधियों में रहती है, जो जिला या ब्लॉक स्तर पर होती है। ग्राम स्तर पर उनकी उपस्थिति नहीं रहती है।

2. स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएं (कार्यान्वयन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

	बाधांए	राज्य\यूटी
1.	अध्यापकों की कमी	असम, बिहार, दमन व दीव, गोवा, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश
2.	सहयोगी संस्थानों में अपर्याप्त जनसाधन	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, पश्चिम बंगाल
3.	निधि प्राप्ति में देरी/ निधि का अभाव	आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर व नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल
4.	मॉनीटरण और पर्यवेक्षण के कमजोर संपर्क सूत्र	आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबाल द्वीप समूह, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर व नगर हवेली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
5.	स्कूलों की अधिक संख्या (विशेष रूप से घनी बस्तियां)	तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में एक कलस्टर के पास काफी स्कूल (उत्तराखंड)
6.	मौसमी प्रवास/ समुदाय की अल्प सहभागिता	चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान. (चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, पुडुचेरी, महाराष्ट्र)
7.	कमजोर बुनियादी सुविधाएं (शौचालयों, कक्षा- कक्षों, पेयजल, सड़की की कमी आदि)	अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर व नगर हवेली, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु
8.	कर्मचारियों के बीच प्रक्रियाओं	बिहार, दमन व दीव, (केरल), झारखंड, मध्य प्रदेश,

	के संबंध में स्पष्टता का अभाव (योजना मैनुअलों की कठोरता)	उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल

बाधाओं की सूची उनके महत्व के अनुरूप नहीं है।

3. राज्य/ यूटी कर्मचारियों द्वारा उनके राज्यों में शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता के संदर्भ में उल्लिखित कारण

	राज्य/ यूटी	कारण
1.	छत्तीसगढ़	मॉनीटरण, पर्यवेक्षण, अध्यापकों को सौंपे गए गैर शिक्षण कार्य
2.	हरियाणा	अध्यापकों के के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता
3.	हिमाचल प्रदेश	बीआरसी (ज) द्वारा शैक्षणिक सहायता का अभाव, राज्य परियोजना निदेशकों का बारबार स्थानांतरण, सीआरसी स्तर पर मॉनीटरण का अभाव।
4.	जम्मू व कश्मीर	समय पर निधि जारी नहीं की गई। कार्यान्वयन के लिए सहायतार्थ पर्याप्त संसाधनों की कमी
5.	झारखंड	अध्यापकों की कमी, अध्यापक अनुपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का अभाव
6.	लक्षद्वीप	शैक्षणिक संसाधन संस्थानों का अभाव, परिवहन समस्याओं के कारण अध्यापक प्रशिक्षण में दिक्कतें
7.	मध्य प्रदेश	निधि का अभाव, अध्यापकों की कमी, छात्र अनुपस्थिति, मल्टीग्रेड कक्षाएं
8.	मणिपुर	अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हैं, अनुशासित भी नहीं हैं, निधि का अभाव, कमजोर मॉनीटरण
9.	मेघालय	अध्यापक न तो योग्य हैं और न अनुशासित
10.	मिजोरम	योग्य अध्यापक नहीं हैं, राज्य में कोई तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान भी नहीं हैं।
	उड़ीसा	अर्हता प्राप्त अध्यापक नहीं हैं, माता पिताओं में जागृति का

11.		अभाव
12.	पंजाब	माता पिताओं में कमजोर जागृति का होना
13.	सिक्किम	योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी
14.	त्रिपुरा	अध्यापकों की कमी
15.	उत्तर प्रदेश	अध्यापकों की कमी, छात्र अनुपस्थिति, अध्यापकों में उत्साह की कमी
16.	उत्तराखंड	अध्यापकों की अनुपस्थिति
17.	दादरा एवं केन्द्र शासित प्रदेश, नगर हवेली	डीआईईटी/ एससीईआरटी आदि का न होना

4. कस्बों में एसएसए के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएं

राज्य/यूटी	कस्बे	बाधाएं	सुझाव	
			स्कीम की पुन:संरचना के लिए	बेहतर कार्यान्वयन के लिए
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	• अध्यापन स्टाफ की कमी • निरक्षरता	गंदी बस्ती विशिष्ट योजना	समुदाय में पीआरआई की अधिक सहभागिता
	सिकंदराबाद	• मॉनीटरण में अभाव		
	येमीगनूर	• अपर्याप्त मात्रा में राशि • कमजोर अवंसरचना		अवसंरचना पर जोर देना

असम	गुवाहाटी	• कमजोर वित्तीय स्थिति		पीटीए/ एमटीए के बारे में अधिक जागृति
	जोरहट	• नगर निगम और एसएसए के बीच समन्वय की कमी	स्लम में कार्यान्वयन के लिए बेहतरीन समन्वय/ नोडल एजेंसी	बेहतर निरीक्षण और कार्यान्वयन
महाराष्ट्र	पुणे	• शिक्षण स्टाफ की कमी • निधि की कमी	स्लम विशिष्ट योजना एनजीओ ज) की सक्रिय भागीदारी.	प्रभावी स्लम समितियों के लिए जोर देना
	नवी मुंबई	• कमजोर अवसंरचना	अवंसरचना हेतु बेहतर निधिकरण	
पुडुचेरी	कराईकल	• शिक्षण स्टाफ की कमी • माता पिता की देखभाल की कमी	कराईकल के लिए उप योजना	जिला कार्यालय में रिक्त पदों को भरना
	ओझूकरई	• शिक्षण स्टाफ की कमी	स्कूलों में एबीएल और एएलएम	रात्रि स्कूल चलाने के लिए और अधिक निधि देना
उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	• मॉनीटरण की कमी • शिक्षण स्टाफ की कमी	स्लम विशिष्ट योजना	बेहतर निगरानी और निरीक्षण
	आगरा सिटी	• कमजोरअवसंरचना • निरक्षरता	आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा	

पश्चिम बंगाल	रानीगंज	• गैर शिक्षण स्टाफ की कमी • स्लम बस्तियों में रहने वालों की कमजोर वित्तीय स्थिति	शहरी गंदी बस्तियों के क्षेत्रों में कस्बा स्तर पर योजना बनाना	अवसंरचना पर अधिक जोर देना
	कोलकाता	• कमजोर अवसंरचना • शहरी निवासियों की निरक्षरता.		नगर पालिका की अधिक सहभागिता

अध्याय-9

सिफारिशें /सुझाव

क .बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले/ स्कूल से बाहर रहे बच्चें में कमी लाना

1. ग्राम स्तर पर अपर प्राथमिक स्कूलों केअनुपात को अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता और शहरी गंदी बस्तियों में अधिक प्राथमिक स्कूल/ सामाजिक स्कूल खोल कर अनुकूल बनाना।
2. बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी लाने के लिए प्री प्राथमिक सैक्शन से सम्बद्ध कर प्राथमिक स्कूलों को अधिक प्रभावी बनाना।
3. मल्टीलिंगुअल स्कूलों/ मल्टीग्रेड पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से स्कूल प्रणाली में सुधार करना।
4. बीच में स्कूल छोड़ने वालों और स्कूल से बाहर रहे बच्चों के माता पिताओं में जागृति बढ़ाने के लिए एनजीओ (ज) और सीआरजी (ज) की सहभागिता।
5. दूर दराज की बस्तियों से बच्चों को स्कूल में लाने के लिए परिवहन व्यवस्था करना।
6. प्राथमिक स्तर पर सभी राज्यों द्वारा डिटेंशन पालिसी का नहीं अपनाना।
7. प्रवासी बच्चों में रिटेंशन में सुधार के लिए प्रवासी सीजन के अनुसार जिला कर्मचारियों द्वारा शैक्षणिक कलेण्डर तैयार करना।
8. स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रवासी कार्ड/ मौसमी छात्रावास की व्यवस्था/ संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
9. शहरी गंदी बस्तियों में एनपीईजीईएल स्कीम/ व्यावसायिक स्कूल।
10. शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए मुफ्त वर्दियां और वित्तीय प्रोत्साहन।

ख .अध्यापक और छात्र उपस्थिति में सुधार

1. अध्यापकों की उपस्थिति रिकार्ड के लिए बायोमैट्रिक प्रणालियां लागू करना

2. गैर शिक्षण गतिविधियों में कमी लाना, अध्यापकों द्वारा सिविल निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण व पशु सर्वेक्षण न कराना।
3. बिहार और असम के सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्रदान करना ताकि छात्रों की उपस्थिति में सुधार लाया जा सके। पुडुचेरी के स्कूलों में बच्चों को नाश्ता प्रदान किया जाता है, जिससे रिटेंशन में सुधार आया है।
4. स्कूलों में खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।
5. छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड देने से बचना होगा।
6. अन्यथा रूप से योग्य बच्चों के लिए वैयक्तिक शिक्षा योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता, इन बच्चों के लिए उपस्थिति हेतु दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि करना।

ग. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना

1. रिक्तियों को भरने के लिए अध्यापकों की भर्ती, अपर प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय के लिए अलग अध्यापक की व्यवस्था और पीटीआर को कम करना।
2. बाल अनुकूल पाठ्यक्रम और परीक्षा की बजाय सतत आधार के मूल्यांकन को अपनाना।
3. परिष्कृत शिक्षा प्रणालियां जैसे एबीएल और एएलएम जैसी पद्धतियों को अपनाना।
4. रोट लर्निंग की अपेक्षा लेखन की दक्षता पर जोर देना। लर्निंग को अधिक रूचिकर बनाने के लिए सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।
5. पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए अध्यापकों से परामर्श/ राय ली जानी चाहिए।
6. जाति/ लिंग को ध्यान रखे बिना सत्र के आरंभ में ही सभी बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना।
7. मल्टीग्रेड शिक्षण पद्धतियों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पुनर्संरचना। शिक्षण प्रक्रिया में टीएलएम प्रक्रिया के उपयोग को जरूरी करना।

8. सीआरसी (ज) को स्कूल के पास ही रखना तथा प्रत्येक सीआरसी के लिए ग्राह्य क्षेत्र निर्धारित करना। सीआरसी (ज) द्वारा दिए जाने वाले शैक्षणिक मार्गदर्शन में टीएलएम तैयार करने को भी शामिल किया जाना चाहिए।
9. सभी स्कूलों में पुस्तकालय खोलना तथा पुस्तक पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना।
10. जिला स्तर पर गुणवत्ता हस्तक्षेपों पर व्यय के स्तर में सुधार करना।
11. अध्यापक कमी पर पार पाने के लिए अर्ध अध्यापकों की नियुक्ति के लिए वीईसी (ज) को निधियां प्रदान करना।

घ. स्कूल के वातावरण में सुधार करना

1. सभी अपर प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था और सभी स्कूलों में रैम्प की व्यवस्था।
2. सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था।
3. कंप्यूटरों के प्रभावी प्रयोग के लिए सभी स्कूलों में बिजली के कनैक्शन कराना।
4. सभी स्कूलों में चार दीवारी/ फैंसिंग की व्यवस्था ताकि वहां पशु न आ पाएं तथा कंप्यूटरों और पंखों की चोरी रोकी जा सके।
5. बेहतरीन अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए किराए के भवनों में चल रहे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मरम्मत और अनुरक्षण निधियां उपलब्ध कराना।
6. शहरी गंदी बस्तियों में उचित वित्त पोषण।
7. स्कूल के वातावरण समावेशी शिक्षा, पाठ्यक्रम अतिरिक्त गतिविधियों और गुणवत्ता लर्निंग के आधार पर स्कूलों को प्रमाण प्रदान करना।

ड. मॉनीटरण /पर्यवेक्षण में सुधार करना

1. अध्यापक उपस्थिति और पीटीए/ एमटीए बैठकों के मॉनीटरण के लिए सीआरसी (ज) में स्कूल समन्वयकों की नियुक्ति।

2. छात्रों में नेतृत्व की भावना भरने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों में छात्र प्रतिनिधियों को शामिल करना।
3. जिला मॉनीटरण डीआईईटी एनजीओ (ज) और विषय विशेषज्ञों से प्रतिनिधि लेने क्वालिटी का मॉनीटरण, जिस में स्कूल मैपिंग को अनिवार्य किया जाए और राज्य परियोजना निदेशकों को तिमाही रिपोर्ट भेजनी अनिवार्य की जाए।
4. स्कूल के नोटिस बोर्ड पर निधि प्राप्तियों को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना एवं स्कूलों में सफाई/ सुरक्षा स्टाफ की नियुक्ति के लिए वीईसी (ज) का वित्त पोषण करना।
5. ब्लॉक स्तर पर आकस्मिक/ परिवहन भत्ते में वृद्धि करना। वीआरसी (ज) और सीआरसी (ज) को टेलीफोन सुविधा मुहैया कराना।
6. विभिन्न स्तरों पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से नियमित मॉनीटरण के माध्यम से समुदाय को ऊर्जावान बनान, ताकि वे स्कूल की और अधिक जिम्मेदारी ले सकें। भागीदारों की सहभागिता में सुधार के लिए एनजीओ (ज) का सदुपयोग करना।
7. शहरी स्कूलों के लिए नोडल एजेंसी की व्यवस्था तथा शहरी स्लम बस्तियों के स्कूलों के लिए अलग योजनाएं तैयार करना।

च. सभी राज्यों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन किया जाना

संलग्नक 3.1

वंचित बस्तियां

राज्य/ यूटी	वंचित रही बस्तियों की संख्या **(2002)***	वंचित रही बस्तियों की संख्या **(2007)****
आंध्र प्रदेश	4216	2234
अंडमान द्वीप समूह	244	2
अरूणाचल प्रदेश	2043	1328
असम	9651	1661
बिहार	7014	2903
चंडीगढ़	5	0
छत्तीसगढ़	3103	3741
दमन व दीव	12	0
दिल्ली	36	0
गोवा	62	67
गुजरात	1800	NA
हरियाणा	732	0
हिमाचल प्रदेश	9369	0
जम्मू व कश्मीर	4175	1981
झारखंड	11470	0
कर्नाटक	7221	0
केरल	1353	0
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	3788	0
महाराष्ट्र	6454	219
मणिपुर	791	187
मेघालय	1043	851
मिजोरम	77	22
नागालैण्ड	71	0
उड़ीसा	14528	797
पुडुचेरी	12	10
पंजाब	1118	0
राजस्थान	9846	3121
सिक्किम	317	9
तमिलनाडु	6505	380
त्रिपुरा	1180	508
दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	52	26
उत्तर प्रदेश	27427	9897
उत्तराखंड	4568	909
पश्चिम बंगाल	7645	969
	147928	

*सातवां अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण(2002)

**-राज्यों की प्रतिक्रियाएं। गोवा और हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि राज्य के मानदंडों के अनुसार सभी पात्र बस्तियों को स्कूलों/ ईजीएस केंद्र उपलब्ध कराए गए।

संलग्नक 3.2

ओओएससी (ज)को मुख्य धारा में लाने के लिए नव प्रवर्त्तनकारी गतिविधियां

क्र0 सं0	गतिविधियां	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	चंडीगढ़	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पुडुचेरी	पश्चिम बंगाल
1	विशेष शिविर	वाई	वाई	वाई		वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
2	आरबीसी	वाई		वाई	वाई	वाई		वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		वाई
3	एनआरबीसी	वाई				वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		वाई		
4	लड़कियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम	वाई*				वाई			वाई					
5	स्वास्थ्य जांच शिविर							वाई						वाई
6	हास्य/ आईटी/ प्रकृति के माध्यम से सीखना	वाई		वाई		वाई				वाई	वाई	वाई	*	वाई
7	आवासी/मीग्रेटरी/छात्रावास/ केजीबीबी					वाई		वाई	वाई	वाई		वाई		
8	विविध गतिविधियां													
9	साईकिल (लड़कियों हेतु)													
10	गतिशील स्कूल* (बोट) सैंड/ साक्षर स्कूल	*वाई				वाई		वाई	वाई*					
11	एआईई केंद्र		वाई (ईजीएस)		वाई	वाई	वाई		वाई			वाई		
12	घर घर जा कर अभियान चलाना	वाई							वाई			वाई		
13	समुदाय को शामिल करना - मीणा मंच, मां बेटी मेला	वाई							वाई		वाई	वाई		वाई
14	दूरस्थ शिक्षण (शहरी क्षेत्र)	*												
15	रात्रि स्कूल (शहरी क्षेत्र)												*	

***शहरी क्षेत्रों में प्रतिशत**

क — **आरबीसी रेजीडेंशन ब्रिज कोर्स/ नॉन रेजीडेंशन ब्रिज कोर्स**

ख — **ब्लॉक प्राधिकारियों द्वारा उल्लिखित गतिविधियां**

ग — **मुगे, धुबली, गोरीगांव, गोलपाड़ा, कराइकल, कानपुर नगर, कानपुर देहात में कोई परियोजनाएं शुरू नहीं की गई।**

सलग्नक 3.3

एनपीईजीईएल के तहत गतिविधियां

क्र0 सं0	गतिविधियां	आंध्र प्रदेश	बिहार	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
1.	अध्यापकों की जैंडर सेंसीटाइजेशन	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	**वाई**
2.	जैंडल सेंसीटिव लर्निंग सामग्री का विकास	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		वाई	वाई
3.	आरंभिक बाल देखरेख	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		वाई	
4.	एस्कार्ट का प्रावधान	वाई		वाई		वाई	वाई			वाई	
5.	स्टेशनरी ओर वर्कबुक का प्रावधान	वाई		वाई		वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	
6.	वर्दी का प्रावधान	वाई	वाई	वाई		वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	
7.	अन्य										
क	व्यावसायिक प्रशिक्षण	वाई			वाई		वाई	वाई			
ख	आवासी शिक्षण	वाई			वाई			वाई			
ग	समुदाय गतिशीलता							वाई			
घ	अध्यापक पुरस्कार							वाई			
ड.	जूडो/ करांटे		वाई		वाई						
च	साइकिल/ छात्रवृत्ति		वाई	वाई							
छ	खेल सामग्री/ पंस्तकालय									वाई	

वाई- जिला प्राधिकारियों द्वारा उल्लिखित गतिविधियां

असम, चंडीगढ़. के चयनित जिलों में कोई एनपीईजीईएल गतिविधियां नहीं हैं।

संलग्नक 3.4

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए नवप्रवर्त्तनकारी गतिविधियां

क्र0 सं०	गतिविधियां	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	चंडीगढ़	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
1	ब्रिज कोर्स	वाई	वाई	वाई			वाई			वाई	वाई	वाई	
2	अध्यापकों के लिए संसाधन केंद्रों पर विशेष प्रशिक्षण			वाई	वाई	वाई		वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
3	एड्स और प्लाइनसीज	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
4	गृह आधारित शिक्षा		वाई		वाई	वाई	वाई			वाई	वाई	वाई	वाई
5	अन्य (शिविर) आदि		वाई				वाई	वाई					वाई
6	वैयक्तिक शिक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण		वाई	वाई		वाई				वाई	वाई	वाई	
7	स्वास्थ्य जांच शिविर	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		वाई	वाई	
8	दिन में देखभाल करने वाले केंद्र						वाई				वाई		
9	समुदायिक प्रशिक्षण्			वाई		वाई	वाई				वाई		
10	जीवन कौशल प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण							वाई	वाई				
	2007 में आईईडी आबंटन के संबंध में किए व्यय का प्रतिशत	44.45	92.12	41.33	27.14	95.55	98.67	57.54	96.11	90.03	83.98	69.40	80.81

वाई-जिला प्राधिकारियों द्वारा उल्लिखित गतिविधियां.

संलग्नक 4.1

शिक्षा की गुणवत्त में सुधार के लिए नवप्रवर्त्तनकारी गतिविधियां

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	राज्य (यूटी) के प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर
आंध्र प्रदेश	सीएलएपीएस – बाल लर्निंग अधिग्रहण कार्यक्रम ताकि धारणयता, दीवार पत्रिकार, कक्षा कक्ष पुस्तकालय, जिला विशिष्ट बच्चों के साहित्यिक विकास हेतु।
अंडमान द्वीप समूह	मल्टीग्रेड, मल्टी स्तरीय प्रणाली।
अरुणाचल प्रदेश	प्रतिभा खोज, ''वॉल में हॉल'' स्कूल।
असम	सीएलआईईएस – बुनियादी स्कूलों में कंप्यूटर (स्मार्ट स्कूल)/ नव पदकखेप स्कूल
बिहार	इंटरेक्टव रेडियो अनुदेश कार्यक्रम (आईआरपी)
चंडीगढ़	रीडिंग इंग्लिश और अधिग्रहण कार्यक्रम, स्कूलों/ रैमिडियल कक्षाओं में रीडिंग कॉर्नर।
छत्तीसगढ़	एडीईपीटीएस – अध्यापकों के सहयोग से शिक्षा के निष्पादन का उन्नयन।
दमण व दीव	सीएएलपी – कंप्यूटर की सहायता सेसीखने का कार्यक्रम।
दिल्ली	सीएएलपी – एनिमेटिड पाठों के लिए पाठय सामग्री
गोवा	मल्टीग्रेड, मल्टीलेवल प्रणाली, स्कूलों में गणित और विज्ञान के किट
गुजरात	सीएएलपी/ बीएएलए/ माइग्रेटरी कार्ड्स
हरियाणा	प्राईमरी और अपर प्राइमरी में एडुसैट, अपर प्राथमिक स्कूलों में सीएएल का प्रयोग
हिमाचल प्रदेश	बीएएलए (बिल्डिंग एल लर्निंग एड) कार्यक्रम, आधार, सीएएल

जम्मू व कश्मीर	सीएएलपी – कंप्यूटर एड लर्निंग
झारखंड	बुनियाद, बाल ट्रेकिंग लोक वचन
कर्नाटक	स्कूलों का बाह्य मूल्यांकन, एडूसैट, रेडियो कार्यक्रम
केरल	सीखने में संवर्धन – आसान अंग्रेजी और आसान गणित के माध्यम से
लक्षद्वीप	राज्य संसाधन केंद्रों की स्थापना
मध्य प्रदेश	हैड स्टार्ट – कंप्यूटर आधारित स्व शिक्षण अवधारण, एडुसैट
महाराष्ट्र	शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, सीएलपी, गणित किट/ शिक्षण मित्र
मणिपुर	क्षेत्रीय भाषा चित्रात्मक चार्ट, आवासी खेल
मेघालय	अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्य पात्रता परीक्षण
मिजोरम	सीएएल, खेल अकादमी
नागालैंड	प्रथम की सहभागिता
उड़ीसा	सीएएल – कंप्यूटर आधारित शिक्षण
पुडुचेरी	सीएएल/ स्मार्ट स्कूल/ रात्रि स्कूल
पंजाब	कंप्यूटर आधारित शिक्षण, परहो कार्यक्रम शुरू करना
राजस्थान	सीखने/ गतिविधि आधारित सीखने के लिए क्वॉलिटी आश्वास्त कार्यक्रम
सिक्किम	कंप्यूटर शिक्षा
तमिलनाडु	गतिविधि और आधारित शिक्षण और गतिविधि लर्निंग प्रणाली कार्यक्रम
त्रिपुरा	पीईईआर – लर्निंग प्रणाली, कंप्यूटर आधारित लर्निंग आदि
दादर और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र	सुधारात्मक शिक्षण, कंप्यूटर शिक्षण आदि
उत्तर प्रदेश	दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण, अपर प्राथमिक स्कूलों में सीएएलपी

उत्तराखंड	सीएएलपी – (कंप्यूटर एडिड लर्निंग कार्यक्रम)
पश्चिम बंगाल	एकीकृत शिक्षण सुधार कार्यक्रम, स्कूल स्तरीय आईपी, एडीईपीटीएस

हैड स्टार्ट के तहत, शैक्षिक संस्थानों राजधानी राज्य एक शिक्षण स्टूडियो में कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं वीएसएटी. दूरस्थ स्कूल समाप्त होता है बातचीत रास्ता दो के लिए उपकरणों सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल एसआईटी के हैं प्रदान की दो प्रकार, और प्राप्त केवल टर्मिनल (सड़ांध), जहाँ प्रोग्राम ही प्राप्त किया जा सकता है (जैसा कि डीटीएच में).

हैड स्टार्ट कंप्यूटर शिक्षा से कंप्यूटर आधारित शिक्षा के लिए एक नया कदम है। .

संलग्नक 5.1

केन्द्र-राज्य अनुपात

क्र0 सं0	राज्य \ यूटी	2003-2004 (लाख रुपये में)		सीएसआर		2006-2007 (लाख रुपये में)		सीएसआर	
		केंद्रीय रिलीज	राज्य रिलीज			केंद्रीय रिलीज	राज्य रिलीज		
1.	आंध्र प्रदेश	9578.90	4383.70	69	31	38861.78	12953.93	75	25
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	283.90	214.00	57	43	519.00	175.00	75	25
3.	अरुणाचल प्रदेश	675.30	470.60	59	41	10627.80	400.00	96	4
4.	असम	10798.94	2238.00	83	17	51814.82	19530.60	73	27
5.	बिहार	19448.77	6482.93	75	25	102629.00	53850.00	66	34
6.	चंडीगढ़	224.54	49.00	82	18	300.00	290.63	51	49
7.	छत्तीसगढ़	7616.00	2538.60	75	25	51182.00	16057.00	76	24
8.	दमण, दीव	0.00	5.00	0	100	0.00	34.00	0	100
9.	दिल्ली	1652.60	183.80	90	10	4230.20	1199.30	78	22
10.	गोवा	0.00	0.00	0	0	724.00	498.00	59	41
11.	गुजरात	11660.10	2158.00	84	16	15133.70	8100.00	65	35
12.	हरियाणा	6895.55	2298.51	75	25	25683.68	9125.49	74	26
13.	हिमाचल प्रदेश	5462.17	985.67	85	15	6250.75	2083.59	75	25
14.	जम्मू व कश्मीर	5272.80	1969.70	73	27	22083.30	5989.00	79	21
15.	झारखंड	11388.90	3718.90	75	25	48303.00	8739.00	85	15
16.	कर्नाटक	12399.20	1398.60	90	10	54207.00	15741.00	77	23
17.	केरल	4966.00	2280.00	69	31	4382.00	3650.00	55	45

18.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0	0	87.50	21.50	80	20
19.	मध्य प्रदेश	35237.91	13352.43	73	27	110879.68	66936.59	62	38
20.	महाराष्ट्र	20526.67	7963.45	72	28	52268.25	28639.07	65	35
21.	मणिपुर	500.00	0.00	100	0	1924.20	727.00	73	27
22.	मेघालय	1537.10	391.90	80	20	4306.50	1121.40	79	21
23.	मिजोरम	1182.40	154.60	88	12	4330.00	465.00	90	10
24.	नागालैंड	0.00	500.00	0	100	2315.20	1548.00	60	40
25.	उड़ीसा	13669.80	1886.20	88	12	46125.04	16742.00	73	27
26.	पुडुचेरी	116.46	192.42	38	62	0.00	100.00	0	100
27.	पंजाब	6476.00	3083.00	68	32	12879.90	2626.60	83	17
28.	राजस्थान	15252.00	6255.00	71	29	75138.00	29046.00	72	28
29.	सिक्किम	269.70	140.20	66	34	462.30	330.10	58	42
30.	तमिलनाडु	10563.00	3522.00	75	25	39888.00	18214.00	69	31
31.	त्रिपुरा	2752.40	563.40	83	17	5461.40	2249.30	71	29
32.	केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली	447.40	0.00	100	0	100.00	0.00	100	0
33.	उत्तर प्रदेश	34043.30	11347.77	75	25	211912.43	70101.22	75	25
34.	उत्तराखंड	5633.40	1877.80	75	25	19747.30	6373.20	76	24
35.	पश्चिम बंगाल	16690.00	5563.33	75	25	63062.34	20355.60	76	24
कुल		**273221.21**	**88168.51**	**76**	**24**	**1058437.03**	**453396.16**	**70**	**30**

संलग्नक 5.2

आवंटन और निधियों का सदुपयोग

राज्य \ यूटी का नाम	आवंटन	एसएसए के तहत निधि का प्रवाह (लाख रुपये में)			सहायता के लिए व्यय का %	आवंटन	एसएसए के तहत निधि का प्रवाह (लाख रुपये में)			सहायता के लिए व्यय का %
		कुल सहायता (केंद्र + राज्य)	व्यय	जिलों के लिए संवितरण			कुल सहायता (केंद्र + राज्य)	व्यय	जिलों के लिए संवितरण	
		2003-04 (31/03/ 2004 की स्थिति के अनुसार)					**2006-07 (31/03/ 2007 की स्थिति के अनुसार)**			
आंध्र प्रदेश	37905.76	13962.6	16221.1	13962.5	116.2	117630.0	51815.7	48230.8	57917.7	93.1
अंडमान द्वीप समूह	757.23	498	371.4	210.86	74.6	1350.0	694	548	149.9	79
अरुणाचल प्रदेश	3841.97	1146	1334.7	1840.1	116.5	10139.2	11027.8	10140	10428.6	91.9
असम	41136.93	13036.9	22336.1	13208.5	171.3	104790.5	71345.5	44046.9	32754.9	61.7
बिहार	76476.6	25931.7	24689.4	24689.4	95.2	234015.7	156479	154959	154958.5	99
चंडीगढ़	648.2	273.5	166.4	166.4	60.8	1453.2	590.6	708.8	708.8	120
छतीसगढ़	23483.64	10154.8	7559.2	7475	74.4	83824.4	67239.4	64341.5	62482.1	95.7
दमण व दीव	5.0	5.0	0.8	5.0	16	260.8	34	30.2	34	88.9

दिल्ली	5225.65	1836.5	540.6	499.8	29.4	8456.5	5429.5	4953.3	4866.6	91.2
गोवा	0	0	0	0	0	2096.4	1222	1772.6	1222	145.1
गुजरात	23492.94	13818.1	14717.1	13818.1	106.5	40169.2	23233.7	28430.5	23233.7	122.4
हरियाणा	15093.87	9194.06	9118.4	8649	99.2	36550.7	34809.2	30396.9	31212.5	87.3
हिमाचल प्रदेश	10976.6	6447.8	6331.7	6434.2	98.2	12117.8	8334.3	10182.1	9504	122.2
जम्मू व कश्मीर	16693.04	7242.6	3606.8	7187.8	49.8	32991.8	28072.3	198813	21002	708.2
झारखंड	32125.07	15107.9	11094.8	16165.8	73.4	98196.3	57042	61293.5	59569.7	107.5
कर्नाटक	31467.82	13797.9	16050	14673.6	116.3	74215.1	69948.1	70854.1	66515.2	101.3
केरल	12742	7246	6078	7246	83.9	17154.0	8032	10400	8032	129.5
लक्षद्वीप	137.71	0	7.1	7.1	0	516.6	109	75.7	75.7	69.4
मध्य प्रदेश	84428.22	48590.3	37796	48612.9	77.8	186987.6	177816.3	148922	151092.7	83.8
महाराष्ट्र	76476.92	28490.1	32538.2	33298.1	114.2	101696.9	80907.3	102821	81085.5	127.1
मणिपुर	3160	500	0	491.7	0	6205.1	2650.8	2290	1783.1	86.4
मेघालय	4028.27	1929.1	1027	2239.9	53.2	9153.5	5427.9	6561.6	5334.9	120.9

संलग्नक 5.2 (जारी.......)

राज्य \ यूटी का नाम	आवंटन	एसएसए के तहत निधि का प्रवाह (लाख रुपये में)			सहायता के लिए व्यय का %	आवंटन	एसएसए के तहत निधि का प्रवाह (लाख रुपये में)			सहायता के लिए व्यय का %
		कुल सहायता (केंद्र + राज्य)	व्यय	जिलों के लिए संवितरण			कुल सहायता (केंद्र + राज्य)	व्यय	जिलों के लिए संवितरण	
		2003-04 (31/03/ 2004 की स्थिति के अनुसार)					**2006-07 (31/03/ 2007 की स्थिति के अनुसार)**			
मिजोरम	3152.75	1337	1178.1	865.8	88.1	4607.3	4795.2	4697.5	3866	98
नागालैंड	2951.51	500	1015.2	964.1	203	6203.9	3863.2	3899.8	3820.4	100.9
उड़ीसा	47197.47	15556	15792.8	17656.9	101.5	98880.5	62867	65635.5	65044.3	104.4
पुडुचेरी	730.92	308.9	140.6	140.6	45.5	942.0	100	410.4	410.4	410.4
पंजाब	20145.748	9559	4449.8	8110.9	46.6	23278.1	15506.6	15769.5	14067.4	101.7
राजस्थान	32384.5	21507	22029	26033.6	102.4	123531.0	104184	110632	106255.2	106.2
सिक्किम	1096.6	410	672.7	404.5	164.1	2089.3	792.3	836.1	688	105.5
तमिलनाडु	40493.03	14085.1	23272.3	23477.2	165.2	75466.8	58102.8	56685.1	53766.4	97.6
त्रिपुरा	5116.95	3315.8	4598.2	3165.1	138.7	9085.2	7710.8	8943.8	7290.1	116
दादर और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र के	1193.1	447.4	1.2	1.2	0.3	830.5	100	309.7	309.7	309.7
उत्तर प्रदेश	109513.51	45391.1	47649.1	55459.3	105	375742.8	282013.7	284458	300627.4	100.9
उत्तराखंड	12488.22	7511.3	6659.6	7511.3	88.7	24469.7	26120.5	18579.9	24469.7	71.1

पश्चिम बंगाल	60340.09	22253.33	14371.7	29431.3	64.5	144070.4	83417.94	91983	92935.3	110.2
सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों	**837107.84**	**361390.8**	**353415.1**	**394103.56**	**97.7**	**2069168.8**	**1511834**	**1663611**	**1457515**	**110.03**
स्रोत: राज्य अनुसूचियों में दी गई सूचना के आधार पर										

संलग्नक 5.3

इन्फ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्ता और प्रशासन पर राज्यों/ संघ शासित दोनों का व्यय (व्यय कुल का %)				
	(अवसंरचना पर किए गए व्यय के आधार पर राज्य/संघ शासित क्षेत्र)			
क्र0 सं0	राज्य	बुनियादी ढांचे पर व्यय का %	गुणवत्ता पर व्यय का %	प्रशासन और अन्य पर व्यय निधि का %
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	68	1	31
2	पंजाब	65	17	18
3	पश्चिम बंगाल	60	2	38
4	बिहार	59	2	39
5	आंध्र प्रदेश	57	12	31
6	झारखंड	56	3	41
7	उड़ीसा	55	18	27
8	मणिपुर	54	33	13
9	नागालैंड	54	4	42
10	कर्नाटक	54	7	39
11	उत्तर प्रदेश	51	3	46
12	असम	50	5	45
13	मेघालय	50	4	46
14	दिल्ली	49	12	39
15	दादरा एवं नागर हवेली	49	7	44
16	गुजरात	48	20	32
17	हिमाचल प्रदेश	48	9	43
18	मध्य प्रदेश	47	7	46
19	हरियाणा	47	15	38
20	त्रिपुरा	47	5	48
21	अरुणाचल प्रदेश	46	13	40
22	उत्तराखंड	46	5	49
23	राजस्थान	44	6	50
24	जम्मू व कश्मीर	43	4	53
25	तमिलनाडु	43	16	41

26	गोवा	38	41	21
27	महाराष्ट्र	34	9	57
28	केरल	33	27	40
29	मिजोरम	21	6	73
30	सिक्किम	19	2	79
31	दमण व दीव	6	30	64
32	चंडीगढ़	2	4	94
33	छत्तीसगढ़	1	6	93
34	लक्षद्वीप	1	4	95
35	पुडुचेरी	0	9	91

नोट:

1. रखरखाव अनुदान और सिविल कार्य, विद्यालय अनुदान. इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं:
2. गुणवत्ता में शामिल हैं: आदि शिक्षण अधिगम उपकरण, निः शुल्क पाठ्यपुस्तकें, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स अनुदान के लिए व्यय, सीडब्ल्यूएसएन, नवीन गतिविधि, अनुसंधान और मूल्यांकन आदि

3. प्रशासन में शामिल हैं: शिक्षक वेतन एमआईएस, और प्रबंधन लागत, बीआरसी/ सीआरसी व्यय, एनपीईजीईएल एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सामुदायिक प्रशिक्षण और अन्य विविध व्यय.

स्रोत: राज्य स्तरीय अनुसूची

संलग्नक 6.1

गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियां

क्र.सं.	गतिविधियां	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	चंडीगढ़	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
1.	निगरानी / पर्यवेक्षण							वाई		वाई	वाई	वाई	
2.	एआईई / ईजीएस केन्द्र	वाई			वाई	वाई			वाई	वाई	वाई	वाई	
3.	जागरूकता कार्यक्रम	वाई						वाई				वाई	वाई
4.	सहायता शिक्षण	वाई	वाई	वाई	वाई				वाई		वाई		
5.	विकास/ टीएलएमएस का उपयोग						वाई		वाई				वाई
6.	स्वास्थ्य जांच शिविर	वाई									वाई	वाई	
7.	निधि सहायता										वाई	वाई	
8.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	वाई	वाई	वाई			वाई			वाई	वाई	वाई	वाई
a.	गैर शिक्षण गतिविधियां			वाई		वाई	वाई				वाई		
ज.	जीवन दक्षता प्रशिक्षण / व्यावसायिक प्रशिक्षण							वाई	वाई				

जिला प्राअधिकारियों द्वारा गतिविधियां

संलग्नक 7.2

एसईसी (ज)/ डब्ल्यूईसी (ज)/ स्कूल स्तरीय समितियों की प्रभावकारिता

क्र0 सं0	एसईसी (ज)/ डब्ल्यूईसी (ज) की प्रभाकारिता	आंध्र प्रदेश	असम	महाराष्ट्र	पुडुचेरी	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	सभी राज्यों
1	एसईसी (ज), डब्ल्यूईसी (ज)	4 – यमीनगर में कोई एसईसी/ डब्ल्यूईसी नहीं	4	4 (डब्ल्यूईसी)	4		4 (कोलकाता में डब्ल्यूईसी और रानीगंज में एसईसी)	22 (एसईसी का% \ हम)
2	**नामांकन में सुधार**							
क	अभियान शुरू			4	3		1	36.36
ख	प्रति दरवाजा दौरा		4		1	1	3	40.91
ग	दाखिला के लिए विशेष प्रोत्साहन	2		1				13.64
घ	समझाने वाले संरक्षक		2	1		2	2	31.82
3	**सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी**							
क	स्कूल का निरीक्षण	2	2		1		2	31.82
ख	सिविल कार्य का निरीक्षण गुणवत्ता				3			13.64
ग	निगरानी कोष					1		4.54
घ	नियमित बैठकें		1	1			1	13.64
4	**बुनियादी ढांचे में सुधार**							
क	सिविल कार्यों की निगरानी	2			4			27.37
ख	विकास योजना तैयार करना	1	2	2		2		31.82
ग	गैर सरकारी संगठनों से धन का अनुरोध करें		2	1			1	18.18
5	**ओओएससी को कम करना**							
क	अभियान शुरू करना		1	2			2	22.73
ख	प्रति द्वार दौरा	1	3	2	4	2	2	63.64
ग	स्कूल छोड़ने वालों के लिए प्रोत्साहन			2				9.09

घ	खेल \ संगीत गतिविधियों							
6	**शिक्षक की नियुक्त**							
क	आवेदन अग्रेषित करना			1				4.54
ख	तदर्थ शिक्षकों की मांग की			1		1		9.09
7	**नामांकन के आंकड़े एकत्र करना**		2		4		2	36.36
8	**बैठकों की आवृत्ति**							
क	मासिक	1		1	3	2	2	40.91
ख	त्रैमासिक	1		2	1			13.64
ग	प्रतिवर्ष			1				4.54
घ	तय नहीं		4				2	27.27
9	**समुदाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना**		2	1	3			27.27
10	डब्ल्यूईसी/ **एसईसी के सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं**		4	2	2		1	40.91
11	सामना की गई बाधाएं							
एक	अपर्याप्त निधि/ देरी	2				2	2	27.27
ख	प्रबंधन से संबंधित मुद्दे	2				2	2	27.27
ग	सामुदायिक भागीदारी ज्ञान का अभाव \ जागरूकता	2					2	18.18
घ	शौचालयों का अभाव	1			3	2	2	36.36
ई	पुस्तकों की उपलब्धता/ देरी	2				1	1	18.18

22 बस्तियों की जांच की गई

संक्षिप्तियां

1.	एआईई	वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा
2.	एबीएल	गतिविधि आधार पर सीखना
3.	एएलएम	गतिविधि सीखने की प्रणाली
4.	बीआरसी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
5.	सीआरसी	क्लस्टर संसाधन केंद्र
6.	सीडब्ल्यूएसएसन	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे
7.	सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	डीईओ	जिला शिक्षा अधिकारी
9.	डाइट	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान
10.	डीपीईपी	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
11.	डीपीओ	जिला परियोजना अधिकारी
12.	ईसीसीई	आरंभिक बचपन और देखभाल
13.	ईजीएस	शिक्षा गारंटी स्कीम
14.	एडुसैट	शैक्षिक उपग्रह
15.	आईईडी	असहाय बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा
16.	एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
17.	एमटीए	मदर टीचर एसोसिएशन
18.	एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
19.	एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
20.	एनपीईजीईएल	बुनियादी स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
21.	ओओएससी	स्कूल से बाहर रहे बच्चे
22.	पीआरआई	पंचायती राज संस्था
23.	पीटीए	माता - पिता अध्यापक संघ
24.	पीटीआर	छात्र शिक्षक अनुपात

25. एसईसी	स्लम शिक्षा समिति
26. एसएमसी	स्कूल प्रबंधन समिति
27. एससी/ एसटी	अनुसूचित जाति\ अनुसूचित जनजाति
28. टीएलएम	अध्ययन सामग्री
29. यूआरसी	शहरी संसाधन केन्द्र
30. यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
31. वीईसी	ग्राम शिक्षा समिति
32. डब्ल्यूईसी	वार्ड शिक्षा समिति

चयनित सन्दर्भ

एल्सटन, फिलिप और नेहाल भूटा (2005), *एक मौलिक अधिकार और सार्वजनिक वस्तु भारत में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा, मानव अधिकार केंद्र और वैश्विकेन्द्रीकृत खरीद योजना न्याय।*

बनर्जी, अभिजीत, शॉन कोल, ई. डुफ्लो और लेह लिंडल (2006), शिक्षा को ठीक करना, भारत में दो मानकीकृत अनुभावों से प्रमाण। (अर्थशास्त्र पर त्रैमासिक खण्ड 122 (3), खंड.122

झिंगरान, और दीपा *"शंकर* (2006) आवश्यकताओं *की ओर अभिमुख सपरिव्यय यूएसए के प्रति इक्विटी ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित प्रमाण-ज्ञापन*

मेहता, अरुण. , (2002). सी: क्या पंजीकरण के वैकल्पिक सूचक हो सकते हैं? आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले संकेतकों की आलोचनात्म्काम के बदले अनाज कार्यक्रम समीक्षा। शिक्षा योजना और प्रशासन जर्नल खंझ 16 सं0 4

मेहता, अरुण. सी (2006), यूईई की प्रगति विश्लेषणात्मक रिपोर्ट *2005-06".*

मेहता, अरुण. सी (2004), हमारा स्थान कहां आता है? भारत में बुनियादी शिक्षा रिपोर्ट 2004

मुखर्जी, एन अनीत, और तापस सेन, (2007) *"प्राथमिक शिक्षा सर्वव्यापीकरण का: सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका का मूल्यांकन एक,"* एनआईपीएफ का नीतिगत सारांश।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2003-04),.

प्रथम संगठन). शिक्षा के स्तर की *"वार्षिक रिपोर्ट."* (प्रथम संसाधन केंद्र: मुंबई, 2006,2007.

योजना आयोग, शिक्षा संचालन रिपोर्ट संबंधी समिति, *"दसवीं पंचवर्षीय योजना"* (2002-2007) और *"ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना"* (2007-2012)

संलग्नक 7.2

एसईसी (ज)/ डब्ल्यूईसी (ज)/ स्कूल स्तरीय समितियों की प्रभावकारिता

क्र0 सं0	एसईसी (ज)/ डब्ल्यूईसी (ज) की प्रभाकारिता	आंध्र प्रदेश	असम	महाराष्ट्र	पुड्डुचेरी	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	सभी राज्यों
1	एसईसी (ज), डब्ल्यूईसी (ज)	4 – यमीनगर में कोई एसईसी/ डब्ल्यूईसी नहीं	4	4 (डब्ल्यूईसी)	4		4 (कोलकाता में डब्ल्यूईसी और रानीगंज में एसईसी)	22 (एसईसी का% \ हम)
2	**नामांकन में सुधार**							
क	अभियान शुरू			4	3		1	36.36
ख	प्रति दरवाजा दौरा		4		1	1	3	40.91
ग	दाखिला के लिए विशेष प्रोत्साहन	2		1				13.64
घ	समझाने वाले संरक्षक		2	1		2	2	31.82
3	**सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी**							
क	स्कूल का निरीक्षण	2	2		1		2	31.82
ख	सिविल कार्य का निरीक्षण गुणवत्ता				3			13.64
ग	निगरानी कोष					1		4.54
घ	नियमित बैठकें		1	1			1	13.64
4	**बुनियादी ढांचे में सुधार**							
क	सिविल कार्यों की निगरानी	2			4			27.37
ख	विकास योजना तैयार करना	1	2	2		2		31.82
ग	गैर सरकारी संगठनों से धन का अनुरोध करें		2	1			1	18.18
5	**ओओएससी को कम करना**							
क	अभियान शुरू करना		1	2			2	22.73
ख	प्रति द्वार दौरा	1	3	2	4	2	2	63.64
ग	स्कूल छोड़ने वालों के लिए प्रोत्साहन			2				9.09

घ	खेल \ संगीत गतिविधियों							
6	**शिक्षक की नियुक्त**							
क	आवेदन अग्रेषित करना			1				4.54
ख	तदर्थ शिक्षकों की मांग की			1		1		9.09
7	**नामांकन के आंकड़े एकत्र करना**		2		4		2	36.36
8	**बैठकों की आवृत्ति**							
क	मासिक	1		1	3	2	2	40.91
ख	त्रैमासिक	1		2	1			13.64
ग	प्रतिवर्ष			1				4.54
घ	तय नहीं		4				2	27.27
9	**समुदाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना**		2	1	3			27.27
10	डब्ल्यूईसी/ **एसईसी के सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं**		4	2	2		1	40.91
11	सामना की गई बाधाएं							
एक	अपर्याप्त निधि/ देरी	2				2	2	27.27
ख	प्रबंधन से संबंधित मुद्दे	2				2	2	27.27
ग	सामुदायिक भागीदारी ज्ञान का अभाव \ जागरूकता	2					2	18.18
घ	शौचालयों का अभाव	1			3	2	2	36.36
ई	पुस्तकों की उपलब्धता/ देरी	2				1	1	18.18

22 बस्तियों की जांच की गई

संक्षिप्तियां

1.	एआईई	वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा
2.	एबीएल	गतिविधि आधार पर सीखना
3.	एएलएम	गतिविधि सीखने की प्रणाली
4.	बीआरसी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
5.	सीआरसी	क्लस्टर संसाधन केंद्र
6.	सीडब्ल्यूएसएसन	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे
7.	सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	डीईओ	जिला शिक्षा अधिकारी
9.	डाइट	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान
10.	डीपीईपी	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
11.	डीपीओ	जिला परियोजना अधिकारी
12.	ईसीसीई	आरंभिक बचपन और देखभाल
13.	ईजीएस	शिक्षा गारंटी स्कीम
14.	एडुसैट	शैक्षिक उपग्रह
15.	आईईडी	असहाय बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा
16.	एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
17.	एमटीए	मदर टीचर एसोसिएशन
18.	एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
19.	एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
20.	एनपीईजीईएल	बुनियादी स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
21.	ओओएससी	स्कूल से बाहर रहे बच्चे
22.	पीआरआई	पंचायती राज संस्था
23.	पीटीए	माता - पिता अध्यापक संघ
24.	पीटीआर	छात्र शिक्षक अनुपात
25.	एसईसी	स्लम शिक्षा समिति

26. एसएमसी	स्कूल प्रबंधन समिति
27. एससी/ एसटी	अनुसूचित जाति\ अनुसूचित जनजाति
28. टीएलएम	अध्ययन सामग्री
29. यूआरसी	शहरी संसाधन केन्द्र
30. यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
31. वीईसी	ग्राम शिक्षा समिति
32. डब्ल्यूईसी	वार्ड शिक्षा समिति

चयनित सन्दर्भ

एल्सटन, फिलिप और नेहाल भूटा (2005), *एक मौलिक अधिकार और सार्वजनिक वस्तु भारत में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा, मानव अधिकार केंद्र और वैश्विकेन्द्रीकृत खरीद योजना न्याय।*

बनर्जी, अभिजीत, शॉन कोल, ई. डुफ्लो और लेह लिंडल (2006), शिक्षा को ठीक करना, भारत में दो मानकीकृत अनुभावों से प्रमाण। (अर्थशास्त्र पर त्रैमासिक खण्ड 122 (3), खंड.122

झिंगरान, और दीपा *"शंकर* (2006) आवश्यकताओं *की ओर अभिमुख सपरिव्यय यूएसए के प्रति इक्विटी ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित प्रमाण-ज्ञापन*

मेहता, अरुण., (2002). सी: क्या पंजीकरण के वैकल्पिक सूचक हो सकते हैं? आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले संकेतकों की आलोचनात्म्काम के बदले अनाज कार्यक्रम समीक्षा। शिक्षा योजना और प्रशासन जर्नल खंझ 16 सं0 4

मेहता, अरुण. सी (2006), यूईई की प्रगति विश्लेषणात्मक रिपोर्ट *2005-06".*

मेहता, अरुण. सी (2004), हमारा स्थान कहां आता है? भारत में बुनियादी शिक्षा रिपोर्ट 2004

मुखर्जी, एन अनीत, और तापस सेन, (2007) *"प्राथमिक शिक्षा सर्वव्यापीकरण का: सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका का मूल्यांकन एक,"* एनआईपीएफ का नीतिगत सारांश।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2003-04),.

प्रथम संगठन). शिक्षा के स्तर की *"वार्षिक रिपोर्ट."* (प्रथम संसाधन केंद्र: मुंबई, 2006,2007.

योजना आयोग, शिक्षा संचालन रिपोर्ट संबंधी समिति, *"दसवीं पंचवर्षीय योजना"* (2002-2007) और *"ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना"* (2007-2012)

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तुलनात्मक सूचक

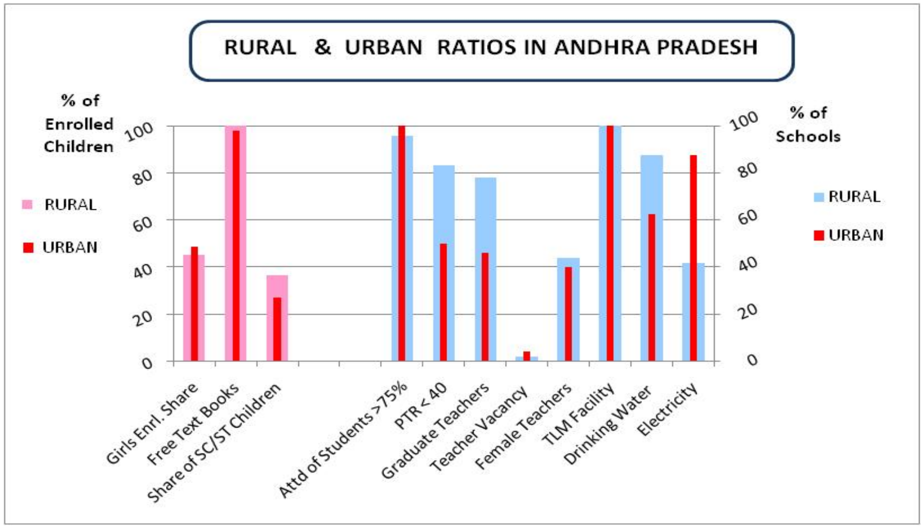

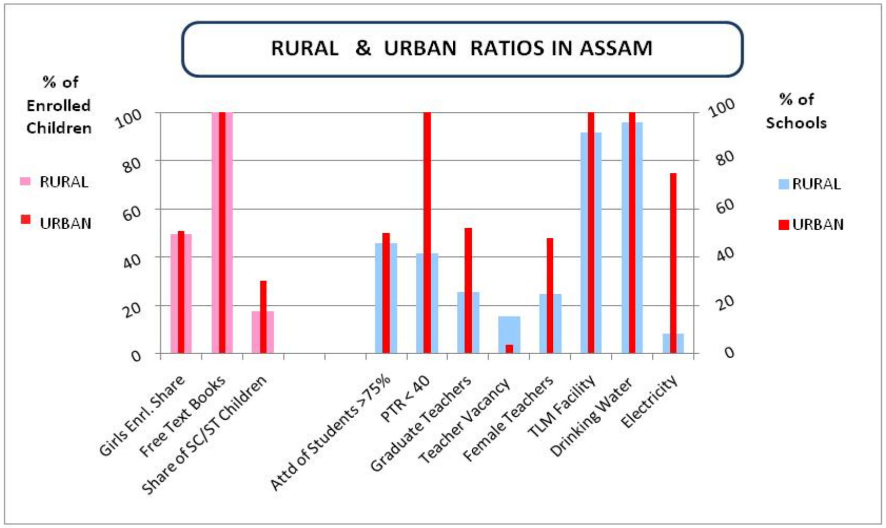

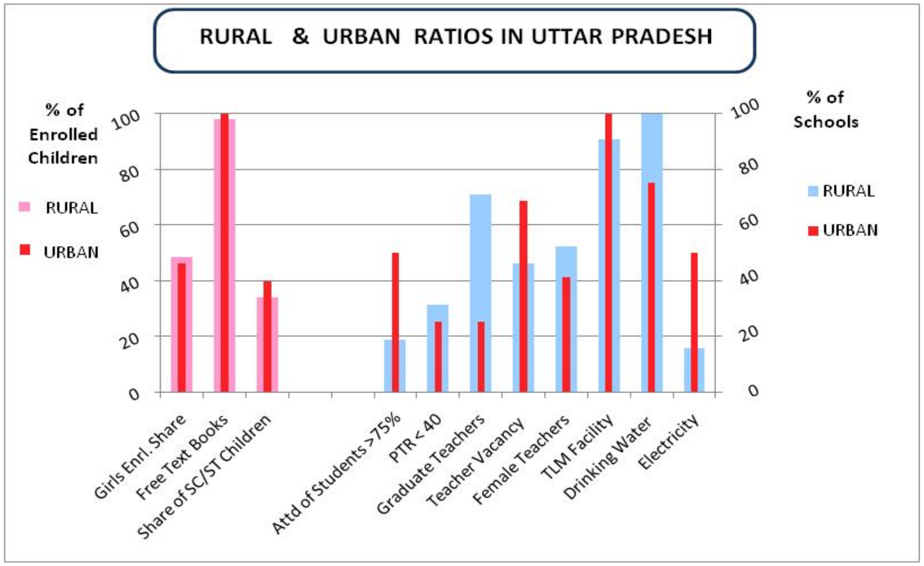

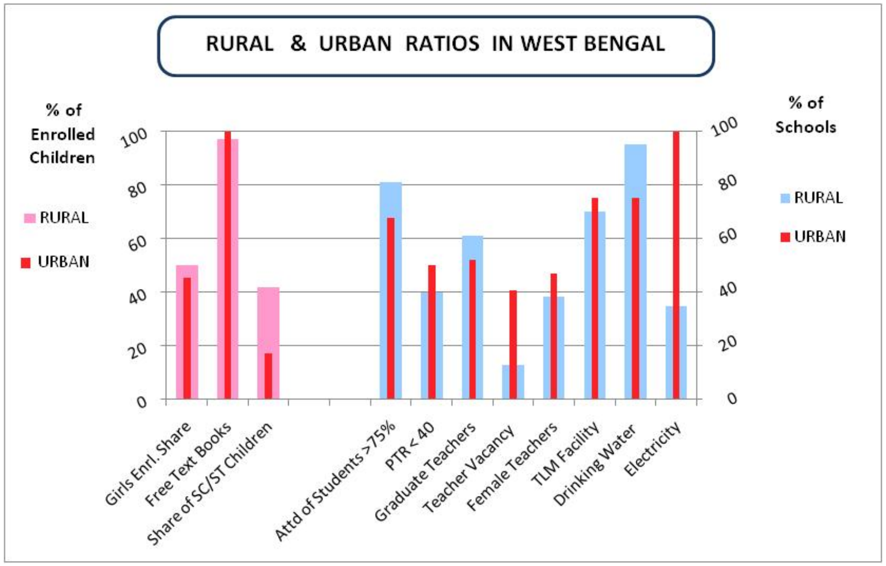

संलग्नक 7.1 जारी

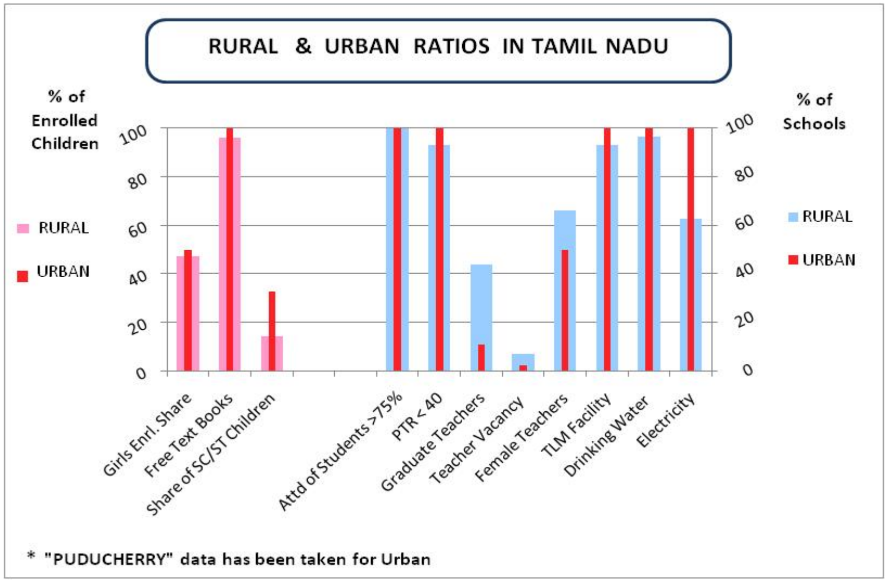

RURAL & URBAN RATIOS IN TAMIL NADU
% of Enrolled Children
% of Schools
RURAL
URBAN
RURAL
URBAN
100
80
60
40
20
0
Girls Enrl. Share
Free Text Books
Share of SC/ST Children
Attd of Students >75%
PTR < 40
Graduate Teachers
Teacher Vacancy
Female Teachers
TLM Facility
Drinking Water
Electricity
* "PUDUCHERRY" data has been taken for Urban

परियोजना टीम

परियोजना निदेशक	
	श्रीमती. उषा सुरेश, निदेशक, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुम्बई
अध्ययन डिजाइन	
1.	श्री के.एन. पाठक, उप सलाहकार (एसडी और टीसी), पीईओ, मुख्यालय, नई दिल्ली
2.	श्रीमती. दीप्ति श्रीवास्तव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, पीईओ, मुख्यालय, नई दिल्ली
क्षेत्र अन्वेषण	
	आरईओ (ज) और पीईओ (ज) के सभी स्टाफ
डेटा प्रविष्टि और सारणीकरण	
1.	श्रीमती. दीप्ति श्रीवास्तव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, पीईओ, मुख्यालय, नई दिल्ली
2.	श्री विपिन कुमार, आर्थिक अधिकारी, पीईओ, मुख्यालय, नई दिल्ली
3.	श्री भुवन चन्द्र, आर्थिक अन्वेषक, पीईओ, मुख्यालय, नई दिल्ली
4.	सभी क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालयों/ पीईओ (ज) के अधिकारी और स्टाफ
तिथि विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन	
1.	श्री एस. भट्टाचार्य, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, आरईओ, मुम्बई.
2.	श्री पी.जी. कुलकर्णी, आर्थिक अधिकारी, आरईओ, मुम्बई
3.	श्री मनीष एम. गडे, आर्थिक अन्वेषक आरईओ, मुंबई
4.	श्री नीरज कुमार कर्ण, आशुलिपिक, आरईओ, मुम्बई